पंचदश माला, खंड 16, अंक 20

मंगलवार, 22 मार्च, 2011
1 चैत्र, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 83
Dated 18 July 2013

(खण्ड 16 में अंक 11 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 16, सातवां सत्र 2011/1933 (शक)]

अंक 20, मंगलवार, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1-13
अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 123वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन	13
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
12वें से 14वां प्रतिवेदन	14
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
कुमारी सैलजा	14
(दो) (क) खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
(ख) खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री हरीश रावत	15-17
'गायों की संख्या में गिरावट' के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के संबंध में 17 अगस्त, 2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण	
श्री अरुण यादव	17
कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव	18
सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011	19

विषय	कॉलम
(दो) संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011	20
विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न की सूचना के संबंध में	21
सदस्यों द्वारा निवेदन	
लीबिया पर आक्रमण के बारे में	35-43
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) राजस्थान के चंबल कमान क्षेत्र तथा कोटा बराज की नहरों की मरम्मत के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री इज्यराज सिंह	45
(दो) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदम्बिका पाल	46
(तीन) लक्षद्वीप के अंदरौत में तीसरे चरण के ब्रेक वाटर के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री हमदुल्लाह सईद	46
(चार) राजस्थान के जयपुर में सांभर झील को अतिक्रमण से बचाए जाने की आवश्यकता	
श्री लालचन्द कटारिया	47
(पांच) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कृत्रिम निषेचन कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	48
(छह) सऊदी अरब की जेल में कैद भारतीय नागरिकों को रिहा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री पन्ना लाल पुनिया	48
(सात) मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हीरा खनन परियोजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	49

विषय	कॉलम
(आठ) हिमाचल प्रदेश में स्नो लैपर्ड के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की स्नो लैपर्ड परियोजना को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	50
(नौ) गुजरात के साबरकंठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वीरावाड़ा रेलवे स्टेशन को गांभोई में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	51
(दस) गुजरात में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत रोगियों की शल्य-चिकित्सा के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती दर्शना जरदोश	51
(ग्यारह) देश में किसानों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री नीरज शेखर	52
(बारह) उत्तर प्रदेश में देवरिया से बरहज, बडहलगंज होते हुए मऊ तक एक रेलवे लाईन का निर्माण करने तथा देवरिया में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	53
(तेरह) बिहार में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
श्री कौशलेन्द्र कुमार	53
(चौदह) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेन्द्र कुमार राय	54
(पन्द्रह) उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर रोड पर एक नया रेल मंडल बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री मोहन जेना	54

विषय कॉलम

(सोलह) देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में किसानों को बीजों की उपलब्धता सुकर बनाने के लिए बीज बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 55

वित्त विधेयक, 2011

विचार करने के लिए प्रस्ताव 56

श्री प्रणब मुखर्जी 56

डॉ. के.एस. राव 62

श्री एच.डी. देवगौडा 73

श्री शैलेन्द्र कुमार 75

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 81

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 84

श्री खगेन दास 87

श्री भर्तृहरि महताब 90

श्री भक्त चरण दास 95

श्री जे.पी. अग्रवाल 101

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 101

चौधरी लाल सिंह 104

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 109

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली 115

डॉ. संजीव गणेश नाईक 119

श्री दारा सिंह चौहान 121

श्री मदन लाल शर्मा 123

श्री ओम प्रकाश यादव 125

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना 126

खंड 2 से 76 और 1 139

पारित करने के लिए प्रस्ताव 153

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदया, आज बिहार दिवस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बिहार दिवस पर मैं सबको बधाई देती हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : महोदया, मैं श्री शरद पवार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलाजी इंटरप्रेन्यूरशिप एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्यूरशिप एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 4326/15/11]

प्रवासी कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदया, मैं वर्ष 2011-12 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 4327/15/11]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4328/15/11]

(3) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4329/15/11]

(5) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4330/15/11]

(7) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4331/15/11]

(9) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4332/15/11]

(11) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4333/15/11]

(13) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4334/15/11]

(15) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4335/15/11]

(17) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4336/15/11]

(19) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4337/15/11]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4338/15/11]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 2780(अ) जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 49(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 255(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, बिहार का गठन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 254(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, पंजाब का गठन किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2646(अ) जो 26 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश का गठन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2551(अ) जो 13 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य

स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का गठन किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2402(अ) जो 4 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, कर्नाटक का गठन किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1803(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, गुजरात का गठन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1333(अ) जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल का गठन किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4339/15/11]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : महोदया, मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 जो 1 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 211(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान नियम, 2011 जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.नि. 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) विधिक मापविज्ञान (परिकलन) संशोधन नियम, 2011 जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.नि. 109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) विधिक मापविज्ञान (परिकलन) नियम, 2011 जो 10 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.नि. 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4340/15/11]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4341/15/11]

(3) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4342/15/11]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 70 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4343/15/11]

(3) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 जो 9 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 3313(अ) जो 30 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 31 दिसम्बर, 2009 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किए जाने के बारे में है जिसको दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008, के उपबंध, सिवाय धारा 5, धारा 6 और धारा 21 के खंड(ख) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(तीन) का.आ. 2687(अ) जो 30 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 1 नवम्बर, 2010 को ऐसी तारीख के रूप नियत किए जाने के बारे में है जिसको दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 5, धारा 6 और धारा 21 के खंड(ख) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4344/15/11]

(5) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 71 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2216(अ) जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त को उनके कार्यभार के अंतर्गत पुलिस सबडिवीजन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4345/15/11]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4346/15/11]

(2) वर्ष 2011-2012 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4347/15/11]

(3) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4348/15/11]

(5) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अेग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4349/15/11]

(7) (एक) आफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाईन, ट्रेड मार्क एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाईन, ट्रेड मार्क एण्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4350/15/11]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : महोदया, मैं सविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायुसेना और नौसेना (2010-11 की संख्यांक 32) - भारतीय नौसेना जलपोतों के स्वदेशीय निर्माण की निष्पादन लेखापरीक्षा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4351/15/11]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4352/15/11]

(3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1992-1993 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1992-1993 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4353/15/11]

(ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4354/15/11]

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4355/15/11]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 123वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : मैं 4 से 6 अक्तूबर, 2010 तक जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 123वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

12वें से 14वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी (आंवला) : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:

(1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोध के संबंध में 12वां और 13वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों के संबंध में 14वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.3¼ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा में निर्देश 73(क) के अनुसरण में निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं जो निम्नानुसार है:-

"संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित लोक सभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा में छह महीनों में एक बार एक वक्तव्य देंगे।"

मैं सभा के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि 15वीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन 21 अप्रैल 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रतिवेदन में 10 सिफारिशें है। सरकार द्वारा प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4356/15/11

[कुमारी सैलजा]

है। जुलाई 2010 की इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही टिप्पण 19.7.2010 को शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजे गए थे।

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इन सिफारिशों पर आगे की अनुवर्ती कार्यवाही, जहां कहीं आवश्यक होगा, की जाएगी।

इस विवरण का अनुलग्नक सभा पटल पर रख दिया गया है।

पूर्वाह्न 11.03¾ बजे

(दो) (क) खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिश रावत) : महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

कृषि संबंधी स्थायी समिति की 5वीं रिपोर्ट दिनांक 03.03.2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2009-10 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित है।

उक्त 5वीं रिपोर्ट में समिति द्वारा 21 सिफारिशें/प्रेक्षण किए गए थे जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के प्रोत्साहन, बजटीय आयोजना, बजट आबंटन, चौथी तिमाही और मार्च के व्यय का आधिक्य, वार्षिक योजना 2009-10, मध्यावधि मूल्यांकन, खाद्य पार्कों के लिए अवसंरचना विकास स्कीम, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण, शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि और परिरक्षण अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), खाद्य प्रसंस्करण नीति, संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, विजन-2015, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र की जनशक्ति सघन प्रकृति और लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। कृपया इसे पढ़ा गया समझा जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4357/15/11

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(दो) (ख) खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिश रावत) : महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

स्थायी कृषि समिति की 9वीं रिपोर्ट दिनांक 03.05.2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2010-11 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित है।

उक्त 9वीं रिपोर्ट में समिति द्वारा 13 सिफारिशें/प्रेक्षण किए गए थे जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र द्वारा खाद्य प्रसंस्करण नीति के प्रोत्साहन, मांग का सिंहावलोकन, योजना परिव्यय और वार्षिक योजना आबंटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र को आबंटन, मध्यावधि मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन और भावी आयोजना, मेगा खाद्य पार्क, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना और आधुनिकीकरण स्कीम, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, परिणामी बजट और लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4358/15/11

दी गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। कृपया इसे पढ़ा गया समझा जाए।

पूर्वाह्न 11.04¼ बजे

'गायों की संख्या में गिरावट' के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के संबंध में 17 अगस्त, 2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : महोदया, मैं गायों की संख्या में गिरावट के संबंध में श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री हरीश चौधरी, माननीय संसद सदस्यों द्वारा 17.08.2010 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के भाग (ख) के उत्तर में शुद्धि करने और वक्तव्य देने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखता हूं:

(क) 17वीं पशुधन संगणना (2003) तक पशुधन की संख्या से संबंधित नस्लवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सरकार ने 18वीं पशुधन संगणना (2007) में नस्लवार सूचना एकत्र की है, जिसे तालिकाबद्ध किया गया है। अत: कोई ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए स्वदेशी नस्लों की वर्तमान संख्या को पूर्व की संगणनाओं के साथ तुलना करना संभव नहीं है।

(ख) 18वीं पशुधन संगणना (2007) के अनुसार गोपशुओं की राज्यवार और नस्लवार संख्या विवरण में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी नस्लों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उनके विकास व संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) विभाग अक्तूबर, 2000 से राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) क्रियान्वित कर रहा है, जो स्वदेशी नस्लों के विकास और उनके संरक्षण पर ध्यान देती है। परियोजना के चरण-1 के दौरान, अनन्य रूप से स्वदेशी नस्लों के केवल विकास व संरक्षण के लिए राज्यों को 58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। एनपीसीबीबी के चरण-2 के लिए अनन्य रूप से स्वदेशी नस्लों के विकास व संरक्षण के लिए 356.78 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

(2) सरकार आनुवांशिक रूप से बेहतर नस्ल के सांड बछड़ों की नस्ल वृद्धि, अच्छी गुणवत्ता वाले हिमित वीर्य और देश में कुछ महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के सांडों व हिमित वीर्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीन केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है नामत: केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना।

(3) सरकार "पशुधन के संकटाधीन नस्लों का संरक्षण" नामित परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े पशुधन नस्लों के संरक्षण के लिए समर्पित है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4359/15/11

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा 18 मार्च, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन से, उसके पैराग्राफ 2 की मद (1) और पैराग्राफ 3 को छोड़कर, जिसका निपटान सभा में किया जा चुका है, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 18 मार्च, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 26वें प्रतिवेदन से, उसके पैराग्राफ 2 की मद (1)

और पैराग्राफ 3 को छोड़कर, जिसका निपटान सभा में किया जा चुका है, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री प्रणब मुखर्जी विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह केवल विधेयकों का पुर:स्थापन है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मुझे केवल दो विधेयक पुर:स्थापित करने हैं। अभी मैं वित्त विधेयक नहीं ले रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, हमने एडजर्नमेंट मोशन को नोटिस दिया हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : थोड़ा शांत हो जाइए, यह काम करवा लेने दीजिए। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : ये दो विधेयक पुर:स्थापित हो जाने दीजिए। तत्पश्चात, आप ये मुद्दे उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों में पारिणामिक संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों में पारिणामिक संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(दो) संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.03.11 में प्रकाशित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.03.11 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

पूर्वाह्न 11.07½ बजे

विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न की सूचना के संबंध में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे आज पूर्वाह्न 10.00 बजे, दिनांक 22 मार्च, 2011 को लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना मिली है जो विकीलीक्स द्वारा किए गए खुलासों के बारे में 18 मार्च, 2011 को इस सभा में वक्तव्य देते समय सभा को कथित रूप से गुमराह करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह के विरूद्ध दिया गया है। मैं विशेषधिकार के प्रश्न की सूचना में उठाए गए मुद्दों का अध्ययन कर रही हूं। वर्तमान में यह मामला मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : महोदया, आप मुझे विषय तो कह लेने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैंने अपनी टिप्पणी में यह कह दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : मैडम इनको बोलने तो दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यह मेरे विचाराधीन है। मुझे सूचना मिली है। मैं कह चुकी हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हमारे पास नोटिस आ गया है, बात भी हो गई है।

[अनुवाद]

यह मेरे विचाराधीन है। मुझे यह दस बजे ही मिला है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : मैडम, लीडर ऑफ ओपोजिशन की बात तो सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* मैडम, जीडर ऑफ ओपोजिशन खड़ी हों और उन्हें बोलने के लिए संघर्ष करना पड़े।...*(व्यवधान)* मैंडम, लीडर ऑफ ओपोजिशन को बोलने के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मुझे आपसे दो निवेदन करने हैं।...*(व्यवधान)* मैडम, मुझे आपसे दो निवेदन करने है।...*(व्यवधान)* मैडम, आप मेरी तरफ देखिए।...*(व्यवधान)* अध्यक्षा जी, आप मेरी तरफ देखिए ताकि मैं बोलूं।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदया, हमें भी सुन लीजिए, हमने भी नोटिस दिया हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको भी सुन लेंगे।...*(व्यवधान)* मैडम, मुझे आपसे दो निवेदन करने है।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदया, प्वांइट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया एक मिंनट के लिए शांत हो जाइए, प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया एक मिनट के लिये बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप यह किसी नियम के अधीन उठा रहे है? नियम क्या है?

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं इसे नियम 376 के अधीन उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर 376 में उठाना चाहता हूं और 334ए के बारे में कहना चाहता हूं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग सुन लीजिए।

[अनुवाद]

वे नियम उद्धृत कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : नियम 334क में कहा गया है:

[अनुवाद]

"334क. अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने तथा सदस्यों में परिचालित किए जाने तक किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा इस सूचना का प्रचार नहीं किया जाएगा।"

[हिन्दी]

महोदया, यदि कोई प्रिवलैज का नोटिस है, उसे जब तक आप एडमिट नहीं करेंगी, अखबार में देने से नहीं होगा। इन लोगों ने परसों ही, भारतीय जनता पार्टी ने परसों ही कह दिया कि हम प्रधानमंत्री के विकीलीक्स के मामले पर प्रिवलैज की नोटिस लाना चाहते हैं। इसे अखबारों में दिया गया, टेलीविजन पर दिया गया। यह नियम स्पष्ट कहता है कि यह सदन इस नियमावली से चलेगा, यह सदन आपके फैसले से चलेगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : इसमें जो कहा गया है मुझे उसका अध्ययन करने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, 334ए में यह दिया हुआ है कि 'किसी प्रश्न की सूचना नहीं दी जाएगी'। महोदया, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। कृपया इस पर व्यवस्था दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं इसकी जांच करूंगी और इसकी व्यवस्था दूंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी सूचना मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जिस पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप कह रही हैं कि प्रिविलेज मोशन कंसीडर करेंगे, मैं उस पर बोल ही नहीं रही हूं।*...(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनें, मैं उस पर नहीं बोल रही हूं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप किस मुद्दे पर बोल रही हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं उस पर नहीं बोल रही हूं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे किसी अन्य मुद्दे पर आपकी सूचना नहीं मिली है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप किस पर बोल रही हैं?

[अनुवाद]

मुझे विशेषाधिकार के मुद्दे पर आपकी सूचना मिली है जो मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं अपने प्रिविलेज मोशन पर नहीं बोल रही हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप किस पर बोल रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप इन्हें बैठाएं तो मैं बताऊं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल जी, मैं व्यवस्था दूंगी। मुझे इसका अध्ययन करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप किस बात पर बोलना चाहती हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको क्या कहना है?

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, हमने भी एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है, हमारी बात भी सुनी जाए। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.13 बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.14 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार अपने स्थान पर वापस चले गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आडवाणी जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, हमने भी एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : इनके बाद आपको भी बुलवा देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, आडवाणी जी कुछ कह रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं स्मरण दिलाऊंगा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ही अधिवेशन पर हम पूरी तरह से चर्चा नहीं कर सके। उसका एक कारण यह था कि पहले ही दिन श्रीमती सुषमा जी को नहीं बोलने दिया गया। विपक्ष के नेता को इस प्रकार से बोलने से रोकना और पूरे के पूरे सरकारी दल के लोग खड़े होकर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम लगातार कहते हैं कि हम कोई भी संवैधानिक संकट पैदा नहीं करेंगे। हमने श्री प्रणब जी को भी कहा, आज सुबह श्रीमती सुषमा जी ने भी कहा कि हम कोई फाइनेंस बिल को रोकने की बात नहीं करेंगे, इस बारे में हम सोच ही नहीं सकते। हम चाहेंगे कि फाइनेंस बिल पास हो, लेकिन अगर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होगी।

अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि इस मामले में आप संरक्षण दें, विपक्ष की नेता जब भी बोलना चाहे, जैसे प्रधान मंत्री जी बोलना चाहे, सदन की नेता बोलना चाहें तो आपका संरक्षण देना कर्तव्य है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया : श्री बंसल जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू, आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री पवन कुमार बंसल जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू, आप बैठ जाइए। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू आप बैठ जाइए। कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया : श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी, आप बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री बंसल जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं सभा को,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप को और श्री आडवाणी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के पद को पूर्ण महत्व और सम्मान देती है। इस पक्ष के किसी भी सदस्य का कभी भी यह प्रयास नहीं रहता है कि नेता प्रतिपक्ष के बोलते समय कोई बाधा उत्पन्न करे। बल्कि यह जानना निराशाजनक है, कि जैसा कि श्री आडवाणी ने कहा है, कि पिछला सत्र इस संकल्पित भावना के कारण व्यर्थ चला गया कि इस पक्ष के सदस्यों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। ऐसा नहीं था। हम नेता प्रतिपक्ष के पद को अत्याधिक महत्व देते हैं।

बल्कि हमारा यह अनुभव रहा है कि जब भी उस ओर से हस्तक्षेप, होता है वह चाहे नेता प्रतिपक्ष द्वारा हो सकता है, श्री आडवाणी द्वारा से सकता है अथवा किसी अन्य के द्वारा हो सकता है, सदस्यों को सभा के बीचों बीच तक जाने के लिए कहा जाता है और हम आगे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। बल्कि अनेक अवसरों पर हमारे सदस्यों को बोलने के अधिकार से वंचित किया गया है।

महोदया, संसद चर्चा के लिए है और हम हर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। हमने सदैव कहा है कि कोई भी मुद्दा, जिस पर आप सहमत हों, और कुछ भी, जो नियमों के अधीन अनुमत्य है, पर चर्चा की जा सकती है। हम सदैव यही कहते हैं। उन्होंने यह अवधारणा कैसे बना ली? महोदया, वाद-विवाद में अक्सर आप पाती हैं कि जब कोई सदस्य बोलता है तो कुछ व्यवधान होते हैं। स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उचित नहीं है। और केवल इसी अहम पर सारी सभा का पिछला सत्र व्यर्थ चला गया? क्या ऐसा कहना तार्किक है? आज हमें बताया गया है और देश को बताया जा रहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण में कुछ व्यवधान थे और उसके परिणामस्वरूप सारा सत्र व्यर्थ चला गया। क्या हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए? ऐसा हम अकसर पाते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई खड़ा होता है तो सदैव ही व्यवधान होता है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि वे जो कुछ भी कहना चाहें, उन्हें कहने का अधिकार है और आपने सदैव उनको यह अधिकार दिया है; लेकिन उनके द्वारा हम पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। बल्कि मैं अपील करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद, उन्होंने जो कुछ बोला, उसका प्रतिकार करने के लिए हमें भी बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यही लोकतंत्र की पहचान है। संसद चर्चा के लिए ही है। वे ऐसा कहां से कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मेरे प्रिवलेज मोशन पर दी गई आपकी रूलिंग मैं स्वीकार करती हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बात सुने बिना कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा है, कोई इधर से बोल रहा है। मैं प्रिवलेज मोशन पर नहीं बोल रहा हूं। मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस आपकी सेवा में दिया है। आपने कहा कि आप उसको एग्जामिन कर रही हैं, मैं उस रूलिंग को स्वीकार करती हूं। मैं कोई दूसरी बात कहने के लिए खड़ी हुई, लेकिन बिना उसको सुने, पाइंट ऑफ आर्डर शुरू हो जाते हैं, पूरे सदन में शोर हो जाता है। मैं यह कह रही हूं. ..*(व्यवधान)* अब ये खड़े हो गये हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

रिकार्ड में केवल सुषमा जी की बात ही जायेगी।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : कुछ लोगों को लाइसेंस प्राप्त है क्या कि वे जब चाहे, तब खड़े हो जायें।

अध्यक्षा जी, मैं प्रिवलेज मोशन पर बात नहीं कर रही, आप उसको एग्जामिन कर रही हैं। आप उसको एग्जामिन करके मुझे बताएंगी, उसकी एडमीसिबिलिटी पर मैं नहीं बोल रही।

मैं अपने दूसरे नोटिस के बारे में बोल रही हूं, जो शरद यादव जी, यशवन्त सिन्हा जी और मैंने नियम 193 के तहत दिया है।

जिस समय प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे और मैंने एक नोटिस देकर प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी थी, तब आपने यह कहा था कि मैं अभी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकती। अगर आप

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

चर्चा चाहते हैं तो प्रोपर नोटिस दीजिए। मैंने आपकी बात से सूत्र पकड़ कर, प्रस्तावक बनकर, दो समर्थक शरद यादव जी और यशवन्त सिन्हा जी के साथ वह नोटिस आपकी सेवा में दिया है। सुबह प्रणव दॉ से भी मेरी बात हुई। मैंने उनसे यह कहा कि आज फाइनेंस बिल है, लेकिन शार्ट ड्यूरेशन डिबेट मात्र ढाई घंटे की होती है, इसलिए 11 बजे हम वह डिबेट शुरू करें और डेढ़ बजे समाप्त कर दें और दो बजे से फाइनेंस बिल ले लें। आडवाणी जी ने जो बात कही कि हम संवैधानिक संकट पैदा नहीं करना चाहते, फाइनेंस बिल पारित करना चाहता हैं, फाइनेंस बिल की डिबेट में पार्टीसिपेट करना चाहते हैं, मगर उससे पहले वह विषय तो समाप्त हो जाये, जो विषय इतने दिन से चल रहा है। वह विषय तब समाप्त होगा, जब उस पर डिबेट हो जायेगी, इसलिए उसकी डिबेट के लिए ढाई घंटे रख लीजिए। अभी से ढाई घंटे तक वह चर्चा हम कर लें और उसके बाद दो बजे नहीं तो ढाई बजे आप फाइनेंस बिल ले लें तो सदन शान्ति से चलेगा और उसमें हम भी पार्टीसिपेट करेंगे। मैं यह निवेदन करने के लिए खड़ी हुई थी, मगर वह निवेदन भी आप सुनना नहीं चाहते। इसमें मैं आपकी रूलिंग चाहूंगी।... *(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, हमारी बात भी सुन लीजिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीया नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वस्तुतः, मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए वक्तव्य पर चर्चा के लिए सूचना दी है। इसलिए, मेरा विश्वास है कि सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमें इस सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आज चर्चा करनी चाहिए। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा तुरंत आरंभ होनी चाहिए। उस चर्चा के पश्चात् वित्त विधेयक पर चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी पवन बंसल जी बोल रहे हैं। इनके बाद मैं आपको बुला लेती हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : वे मेरी बात पर यील्ड कर गये हैं। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि जो सुषमा जी ने कहा है, वह वाजिब बात है। उससे सदन का सब तरह का काम होगा, इसलिए यदि आप उसे स्वीकार कर लें तो अच्छा है। मैं बंसल जी से भी अपील करूंगा कि इसमें रूल न निकालें तो अच्छा ही होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय नेताओं का इस आश्वासन के लिए आभारी हूं कि वे वित्त विधेयक पारित कराना चाहते हैं। मुझे भलीभांति याद है कि कल ही जब हम कार्य के लिए समय आबंटित कर रहे थे तो वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए ज्यादा समय निर्धारित करने की लगातार मांग हो रही थी। हमारा एकमात्र अनुरोध यह है कि हम पहले वित्त विधेयक पर चर्चा कर लें।...*(व्यवधान)* इस संबंध में उन नियमों को पढ़ना चाहता हूं। जिनके अधीन यह सूचना दी गई है।

"193. अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर महासचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा:

194.(1) यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाये कि विषय अविलंबनीय है और सभा में जल्दी ही उठाये जाने के लिए पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा:

महोदया, ऐसी कभी नहीं हुआ कि सूचना देने वाले माननीय सदस्य अध्यक्ष से तुरंत निर्णय लेने के लिए कहे और तत्पश्चात

इसे तत्काल उठाया जाए। अध्यक्ष पद और माननीय अध्यक्ष को कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हैं सूचना दी गई है। हम सूचना पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं? आप यह कैसे मान रहे हैं कि हम सूचना पर आपत्ति कर रहे हैं? हम अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इस प्रकार यह पूरे राष्ट्र की चिंता है। मैं जानता हूं कि इस चिंता पर आपका एकाधिकार है, चाहे वह देश भक्ति है। अथवा कुछ और मैं उसमें नहीं जा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : 12 बजे रात में फाइनेंस बिल पर बहस कर लेंगे, लेकिन इस पर अभी बहस कर लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, हमारी बात भी सुनिए।...*(व्यवधान)* हमने भी एडजर्नमेंट मोशन के लिए नोटिस दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं कि यह राष्ट्रहित में ही है और हम पहले वित्त विधेयक पारित कर लें। यदि आप आठ घंटे चर्चा नहीं करना चाहते है तो दो घंटे चर्चा कर लीजिए और इसे आज पारित कर दीजिए और उसके तुरंत बाद इसे ले लीजिए। हमारे पास तीन दिन हैं। आज 22 मार्च है। यदि आप आठ घंटे चर्चा नहीं करना चाहते तो हम तुरंत वित्त विधेयक पर चर्चा कर लेते हैं और इसे दो घंटे में निपटा देते है। तत्पश्चात, हमें नियमानुसार चलना होगा। आप माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे, और तत्पश्चात आप समय निर्धारित करेंगे। उसके पश्चात वे कोई भी समय निर्धारित कर सकते हैं।

मेरी एकमात्र चिंता यही है कि हम पहले वित्त विधेयक ले लें। क्या मैं इस बारे में कोई अनुचित मांग कर रहा हूं। क्या उनको इस मांग पर इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करना ठीक है? ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदया, सूचना देने वाले सदस्य के रूप में, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हूं कि माननीया नेता प्रतिपक्ष ने एक व्यवहारिक तरीका सुझाया है कि सभा किस प्रकार कार्य करेगी और वित्त विधेयक भी पारित हो जाएगा। वित्त विधेयक को प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति अथवा कोलाहल अथवा शोर में पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम वही तरीका बता रहे हैं। हम केवल यही कह रहे हैं कि पहले आप हमें सभा में कल प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करने का अवसर दीजिए और फिर सारा कार्य हो जाएगा। अब, मैं सरकार के लिए, तकनीकियों और नियमों में नहीं जाना चाहता। मैंने आपको व्यवहारिक सुझाव दिया है।

सदन के माननीय नेता यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे पास व्यवहारिक तरीका यही है कि पहले हम नियम 193 के अधीन चर्चा करें और हम वित्त विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए हम आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हैं। मेरा यही निवेदन है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने प्रातःकाल नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा की थी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि पहले वित्त विधेयक पारित किया जाए और तत्पश्चात, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं उस पर अल्प कालिक चर्चा की जाएगी। मैं पहले वित्त विधेयक लेने की जो बात कह रहा हूं उसका कारण यह है कि संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, वित्त विधेयक पारित होने के पश्चात् यह अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और तत्पश्चात यह राज्य सभा में जाएगा। और राज्य सभा, यद्यपि संवैधानिक रूप से यह उच्च सदन है, को सिफारिश करने का अधिकार है जिनको यह सभा स्वीकार करे अथवा न करे। अतः, इस सभा में वित्त विधेयक पारित होने और तत्पश्चात इसे राज्य सभा को भेजने के बीच कुछ समय होना चाहिये। अतः, उसे ध्यान में रखते हुये मैं इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बना रहा हूं तथा कोई बात नहीं है। सिर्फ आज, 22 मार्च और 25 मार्च के बीच समय उपलब्ध होने की जरूरत है। यदि आप सहमत हो तो वित्त विधेयक पारित किया जाना और उसके बाद अन्य अल्प कालीन चर्चा आरंभ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ समय होगा और उस समय में इसे राज्य सभा को भेजना संभव होगा? यदि अन्य को स्थिति की जानकारी नहीं है तो कृपया सिर्फ अपनी राय ना दें। इसे राज्य सभा को भेजना होगा और किसी धन विधेयक को राज्य सभा भेजने से पूर्व, संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार हमें राष्ट्रपति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। यदि हम वित्त विधेयक पारित करने के बाद 193 के अंतर्गत चर्चा आरंभ करें तो मुझे नहीं लगता कि आसमान टूट पड़ेगा। मेरा विपक्ष के नेता से अति आदरपूर्वक निवेदन है...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : वित्त विधेयक पर चर्चा को दो ढाई घंटे तक स्थगित करने से कुछ बदलाव नहीं होने वाला हमारे पास तब भी माननीय राष्ट्रपति के पास जाकर उनकी अनुमति लेने और कल विधेयक को राज्य सभा ले जाने के लिए समय होगा। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.30 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

लीबिया पर आक्रमण के बारे में

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक गंभीर मामला उठा रहा हूं।*...(व्यवधान)* यह किसी एक दल का सवाल नहीं है। लीबिया पर जो हमला हुआ है, इस सदन को सर्वसम्मति से उसकी निन्दा करनी चाहिए। हिन्दुस्तान की यह नीति रही है कि यदि कोई दुनिया के किसी भी देश पर हमला करेगा, मानव अधिकारों का हनन करेगा तो हिन्दुस्तान चुप नहीं रहेगा। यह इसी सदन का संकल्प है। इसलिए मेरी पूरे सदन से अपील है कि लीबिया पर अमरीका ने जो हमला करवाया है, इस सदन द्वारा उसकी निन्दा होनी चाहिए। लीबिया में जो निर्दोष और निहत्थे नागरिक मारे गए हैं, जिनका कोई वास्ता नहीं था, उस बारे में संसद को चुप नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि नेता सदन, आडवाणी साहब और हम सबको लीबिया पर हमले की सर्वसम्मति से निन्दा करनी चाहिए। *..(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : लीबिया पर नृशंस और अकारण हमला हुआ है। जब इराक पर हमला हुआ था हमने तीन दिनों तक इस सभा की कार्यवाही रोकी थी। तब इस सभा द्वारा इराक पर नृशंस हमले की निंदा नहीं परंतु उस पर खेद व्यक्त करते हुए संकल्प पारित किया गया था। इस सभा को संयुक्त राज्य अमरीका और उसके सभी देशों द्वारा लीबिया पर नृशंस और अकारण हमले की निंदा करनी चाहिए। इस हमले के कारण बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए है। सभा को इसकी निंदा करनी चाहिए और संकल्प पारित करना चाहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : मैंने एक सूचना दी थी। मैं सरकार द्वारा अपनाए गए रूख की सराहना करता हूं क्योंकि सरकार ने दुख व्यक्त किया है। परंतु यह पर्याप्त नहीं है। मैं पूरी सभा से अनुरोध करूंगा कि मेरी बात सुने।

नाटो शक्तियां गद्दाफी को निकालने का प्रयास करने के बहाने बमबारी कर रही है। यह झूठा बहाना है। गद्दाफी को पकड़ने के नाम पर नाटो शक्तियां उस देश में हजारों आम लीबियाई व्यक्तियों की हत्या कर रही हैं। मेरा विश्वास है कि एक और इराक और दूसरा अफगानिस्तान बनाया जा रहा है। नाटो शक्तियों के विश्व की राजनीति का अगुवा बनने का अधिकार किसने दिया है? यह कार्य करने के लिए सुरक्षा परिषद है। निसंदेह, हम लीबिया में लोकतंत्र की लड़ाई का समर्थन करते हैं और हम गद्दाफी के विरूद्ध हैं। परंतु यह लड़ाई लोकतंत्र की नहीं है। नाटो शक्तियों को देश में इस प्रकार से विनाशकारी कार्य करने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह युद्ध गद्दाफी के विरूद्ध नहीं बल्कि तेल के लिए है। उनकी नजर लीबिया के तेल पर है। इसीलिए यह किया गया है। मैं चाहता हूं कि यह सभा लीबिया पर किए जा रहे हमले की निंदा करे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है।*...(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि लीबिया पर वो हमला हुआ है, वह बहुत शोचनीय है और इसे पूरे सदन को गंभीरता से लेना चाहिए। भारत सरकार ने जो बयान दिया है, वह थोड़ा कड़ाई से होना चाहिए। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं, जिन्होंने इस सवाल पर अपनी एक मजबूत राय रखी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन और सरकार को इसमें एक सीधा, कल वह कह सकते हैं कि भारत या दुनिया में कहीं भी बहुत से सिविलयन राइट्स खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जाकर बमबारी करने लगें। यह ठीक बात नहीं है। हम सबको एक होकर इसे रोकना चाहिए।*...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, हमने भी नोटिस दिया है, इसलिए हमारी बात सुनी जाये।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र जी, हम आपको भी बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : मुलायम सिंह जी, आपके ही नेता हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : महोदया, मैं स्वयं को माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से संबद्ध करना चाहूंगा। हम उस बात को लेकर बहुत चिंतित है जो कुछ लीबिया में हो रहा है और जिस आधार पर यह हो रहा है। हम पूरी तरह से अलोकतांत्रिक शक्तियों के साथ है जो तानाशाही के विरूद्ध है और लीबिया में तानाशाही शासन के विरूद्ध हैं। परंतु यह उनका आंतरिक मामला है। हम विश्व के किसी देश में शासन परिवर्तन लाने के लिए किसी भी सैन्य हस्तक्षेप के विरूद्ध हैं। इसलिए, हम नाटो अथवा अमरीकी कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : हमें इसकी निंदा करनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप पहले उन्हें सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं उस पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)* महोदया, संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस मांग का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि इस सभा को सर्वसहमति से लीबिया पर बाह्य हमले की निंदा करने वाला संकल्प पारित करना चाहिए और हमें उनसे तत्काल युद्ध विराम के लिए कहना चाहिए। हमें इस समय लीबिया में लोकतांत्रिक ताकतों का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। हमें यही करना चाहिए। परंतु यह कहने के बाद, मैं आपका ध्यान वापस उस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसे श्रीमती सुषमा जी पहले उठा चुकी हैं। कृपया हमें उस मुद्दे पर अपना विनिर्णय दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं उस मुद्दे पर वापस आउंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, आप इस विषय को खत्म कीजिए। मैंने पहले जो विषय उठाया था...*(व्यवधान)* उसका विषयांतर हो गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग) : भारत का जहां तक लीबिया संकट का संबंध है तो भारत सरकार पहले ही अपना मत रख चुकी है। हम इस मत की सराहना करते है और हमने यह मत चीन से भी काफी पहले रखा जोकि हमारी विदेश नीति के लिए बहुत अच्छा है। परंतु हमें मध्य मार्ग तलाशना होगा। यह केवल एक विचार है जिसे सभा में व्यक्त किया जा रहा है। आपको लोगों के मन को समझना होगा। वे तानाशाही शासन में रहे हैं। अतः, आप उसे रातो-रात नहीं बदल सकते। आपको बीच का मार्ग तलाशना होगा। ऐसा नहीं है कि यदि अचानक गद्दाफी चला जाएगा। तो उस देश में लोकतंत्र फले-फूलेगा। आपको उन्हें समय देना होगा। अतः, कोई बीच का मार्ग तलाशना होगा। आप उसे अपनी जनता का संहार नहीं करने दे सकते साथ ही आप अमरीका को हस्तक्षेप करने और ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। अतः लोकतंत्र के लिए लड़ रही लीबिया की जनता और अन्य लोगों को बचाने हेतु बीच का मार्ग तलाशना होगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला) : मैडम, बहुत-बहुत शुक्रिया। यह बहुत ही गंभीर मसला है। अमेरिका की...* बढ़ती जा रही है। गरीब लोगों, गरीब मुल्कों पर उसकी...*(व्यवधान)* अमेरिका की ... बढ़ती जा रही है। हर मुल्क में वह अपना दबाव डाल रहा है। वह हर मुल्क की अपनी पालिसी को अमेरिका के हक में तब्दील करने के लिए दबाव डाल रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी ...* उसके कहने पर करती है। सिक्योरिटी काउंसिल एक बेएतबार इरादा हो गया है। उस पर दुनिया का कोई एतबार नहीं रहा है, वह ... अमेरिका की रह गयी है। मैं अपनी हिन्दुस्तान की सरकार को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया, बल्कि इससे ज्यादा स्टैंड लेकर यूनाइटेड नैशंस का इजलास फोरी तौर पर हिन्दुस्तान को तलब करना चाहिए और अमेरिका की वहां भी मजम्मत करनी चाहिए, इंटरवेंशन बंद करना चाहिए और लीबिया के लोगों को अपना मसला खुद हल करने का मौका देना चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): میڈم، بہت بہت شکریہ، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ امریکہ کی (**پروسیڈنگ میں شامل نہیں کیا گیا**) بڑھتی جارہی ہے۔ غریب لوگوں پر، غریب ملکوں پر اس کی، امریکہ کی غنڈہ گردی بڑھتی جارہی ہے۔ ہر ملک میں وہ اپنا دباؤ ڈال رہا ہے، وہ ہر ملک کی اپنی پالیسی کو امریکہ کے حق میں تبدیل کرنے کے لئے دباؤ ڈال رہا ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل کو اپنی (**پروسیڈنگ میں شامل نہیں کیا گیا**) اس کے کہنے پر کرتی ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل ایک بے اعتبار ادارہ ہوگیا ہے۔ اس پر دنیا کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا ہے، (**پروسیڈنگ میں شامل نہیں کیا گیا**) امریکہ کی رہ گئی ہے۔ میں اپنی ہندوستان کی سرکار کو مبارک باد دیتا ہوں جنہوں نے ایک اچھا اسٹینڈ لیا، بلکہ اس سے زیادہ اسٹینڈ لے کر یونائیٹڈ نیشنس کا اجلاس فوری طور پر ہندوستان کو طلب کرنا چاہئے، اور امریکہ کی مذمت کرنی چاہئے، انٹرونیشن بند کرنا چاہئے اور لیبیا کے لوگوں کو اپنا مسئلہ خود حل کرنے کا موقع دینا چاہئے۔

---شکریہ

[हिन्दी]

डा. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : मैं और मेरी पार्टी माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों के साथ एसोशिएट करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेब आचार्य : सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदया, भारत सरकार द्वारा इसकी पहले ही घोषणा की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अपनाया गया पक्ष पूर्णत: सराहनीय है। गद्दाफी वाले मुद्दे को स्पष्ट किया जा चुका है और भारत सरकार का दृढ़ मत है। अमरीका के विरूद्ध भी यह जरूरत के समय खड़ा हुआ है और बहुत उचित समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

हम वित्त विधेयक पर भी चर्चा करने की अति उत्सुक हैं क्योंकि अस्पतालों पर अधिभार लगाया गया है; गारमेंट/हाजरी पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है। अत: इन सभी अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर अविलंब और विलंब किए बिना चर्चा की जा सकती है। मैं इस संबंध में सभा के नेता श्री प्रणव मुखर्जी और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल से पूर्णत: सहमत हूं। वित्त विधेयक पर चर्चा कराई जाए। अति आवश्यक हुआ तो इस पर दो घंटे की समयसीमा के भीतर चर्चा कराकर उसे पूरा किया जा सकता है। उसके बाद, श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। परंतु शुरू में वित्त विधेयक पर चर्चा की अनुमति दी जाए। यह हमारी मांग है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)* सरकार को इसका उत्तर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : महोदया, जब भी किसी कमजोर

मुल्क पर हमला होता है, निश्चित रूप से भारत सरकार उसके साथ खड़ी होती है। लीबिया पर अमेरिका और उसके समर्थित मुल्कों द्वारा जो हमले हो रहे हैं, उसके बारे में भारत सरकार द्वारा दिया गया बयान निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके बाद भी कोई कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। लीबिया में रह रहे निर्दोष लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर भी भारत सरकार द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है। इतना ही मेरी पार्टी मांग करना चाहती है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदया, लीबिया में तानाशाही के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वहां दमन भी हो रहा है लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनओ हैं, उनके हिसाब से तीन-चार मजबूत देश उस पर हमला कर रहे हैं। उनमें 80 सिविलियन मारे गए हैं, बाहर से बम बरसाए जा रहे हैं, इससे और लोगों के भी मारे जाने का खतरा है। ऐसी परिस्थिति में सदन का चुप बैठना उचित नहीं है। दुनिया में कहीं भी इस तरह का अन्याय हो, जबर्दस्ती हो, सिविलियन पर बम बरसाया जाए, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए और सदन को उस पर अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

हम सभी जानते हैं कि लीबिया एक गुट-निरपेक्ष देश है। गत दो-तीन महीनों के दौरान जो कुछ हो रहा है, वह विश्व के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है। पूरे अरब और लीबिया में भी लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे है परंतु हम सभी जानते है कि लीबिया मिश्र नहीं है। लीबिया में दो समुदायों के बीच लड़ाई चल रही है। पूर्व और पश्चिम के बीच में विभेद रहा है; लीबिया में लोकतांत्रिक बलों और निरंकुश बलों के बीच खींचतान चलती रहती है। विश्व समुदाय ने अपना मत व्यक्त कर दिया है। हमारी सरकार ने भी अपनी राय दे दी है। मैं सरकार के उप निर्णय की सराहना करता हूं जिसमें सरकार ने सुरक्षा परिषद में मतदान में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। केवल भारत ने ही नहीं बल्कि जर्मनी, चीन और कई अन्य देशों ने भी मतदान में भाग नहीं लिया। परंतु लीबिया के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप चीन, भारत, जर्मनी और कई अन्य देशों के लिए चिंता का विषय रहा है। पश्चिमी ताकतों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जिस तरह की प्रतिक्रिया की है वह चिंता का विषय है। मैं इस सभा के नेताओं की सराहना करता हूं जिन्होंने इस मामले में अपनी राय व्यक्त की है। हमें सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए कि हम लीबिया पर आक्रमण की भर्त्सना करते है।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी) : महोदया, इस पर किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने अमेरिका की लीबिया के अंदरूनी मामलों में दखल देने की प्रवृत्ति की निंदा करने का कदम उठाया है। यह स्वाभाविक है। अमेरिका अब इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। यह अरब देशों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहता है। इसमें उसका अपना पूंजीवादी हित है। निःसन्देह, भारत हमेशा इस प्रकार की कार्रवाईयों के विरूद्ध अत्यन्त दृढ़ दृष्टिकोण बनाए रखता है। इसलिए, मेरा यह सुविचारित मत है कि इस सम्मानीय सभा को इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रवृत्ति की सर्वसम्मति से निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करे।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : मुलायम सिंह जी ने लीबिया का जो मुद्दा उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके साथ मैं भी अपने को एसोसिएट करता हूं। सरकार ने कहा है कि भारत ने इस मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी कौंसिल में एब्सटेन किया। चीन और अन्य देशों ने भी एब्सटेन किया है। लेकिन अमेरिका फिर भी अपनी नीति नहीं बदल रहा है और अपने मित्र देशों के साथ लीबिया पर हमला कर रहा है। इससे वहां की आम जनता भी प्रभावित हो रही है। इसलिए हम लोगों को मजबूती के साथ इस हमले की निंदा करनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए और हाउस में एक रिजोल्यूशन मूव करके इसकी निंदा करनी चाहिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों ने लीबिया में जो कुछ हो रहा है, उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। भारत सरकार ने पहले ही कुछ ताकतों द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। किसी देश में क्या हो रहा है, यह उसका अंदरूनी मामला है और किसी भी बाहरी शक्ति को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी तंत्र है और उसका पालन किया जाना चाहिए। कोई दो देश या तीन या चार देश यह निर्णय नहीं ले सकते कि वे किसी देश में कोई विशेष शासन को पसंद नहीं करते और इसलिए हम उस शासन को बदलना चाहते हैं; कोई शासन चलता रहेगा या नहीं

[श्री प्रणब मुखर्जी]

यह उस देश विशेष की जनता पर निर्भर करेगा न कि किसी बाहरी ताकतों पर।

इसलिए, भारत सरकार ने अपना मत पहले ही व्यक्त कर दिया है। यदि माननीय सदस्य और अधिक व्यापक चर्चा में रूचि रखते है तो हम इस पर चर्चा के लिए सभा में कोई उपर्युक्त तरीका और समय ढूढ़ सकते हैं। मैं उनकी इस चिन्ता में भागीदार हूं और उस दृष्टिकोण को दोहराता हूं, जो भारत सरकार ने पहले ही व्यक्त कर दिया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब आप क्यों खड़े हो गए हैं, आपके नेता बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मेरा दूसरे विषय पर कार्य स्थगन का नोटिस है।

अध्यक्ष महोदया : आपका उसी पर है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा विषय दूसरा है। मैंने जो नोटिस दिया है, आप उसका विषय देख लें। मेरा जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है मैं उस पर एक मिनट कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं। आप लोग चिंता न करें हम चर्चा कराएंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब मुझे 'शून्य काल' के कुछ मामलों को उठाने दें, सभी को नहीं। अब हमें उन्हे उठाने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नहीं, मैंने यह कहा कि मैं नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दूंगी। यह मैं करूंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मुझे एक मिनट का समय दे दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव में जो नोटिस आपको दिया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका अभारी हूं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.48 बजे

इस समय, श्री वीरेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

आज देश में 20 करोड़ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए तमाम आयोग और समितियां बनाई गई हैं। चाहे रंगनाथ मिश्र आयोग हो या सच्चर कमेटी हो। लेकिन उनकी रिपोर्ट्स और संस्तुतियों पर कोई कार्रवाई इस सरकार द्वारा नहीं की गई। पिछले सत्र में भी मुलायम सिंह जी ने यह मामला उठाया था। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इस विषय पर चर्चा कराएंगे। हम चाहते हैं कि रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर आयोग की रिपोर्ट्स में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर की गई संस्तुतियों पर चर्चा होनी चाहिए और उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए, जिससे उनका जीवन स्तर उठ सके।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : सभापति महोदय, पहले हमें शार्ट-ड्यूरेशन चर्चा चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मैं उस पर आ रहा हूं।

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाएंगे। सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गयी है और जो इन्हे सभा-पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे व्यक्तिगत रूप से पर्चियां सभा-पटल पर 20 मिनट के भीतर जमा कर दें। केवल वे मामले, सभा-पटल पर रखे हुए माने जाएंगे, जो सभा-पटल पर निर्धारित समय पर जमा किए जाएंगे। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) राजस्थान के चंबल कमान क्षेत्र तथा कोटा बराज की नहरों की मरम्मत के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र में कोटा सिंचाई व्यवस्था पचास साल पुरानी है जिसमें चम्बल कमांड एरिया एवं कोटा बराज से दो नहरें निकलती हैं। राईट मेन गेट कैनाल 324 किलोमीटर बहकर हजारों किलोमीटर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की भूमि को सिंचित कर रही है जिसमें राजस्थान में कैनाल के 124 किलोमीटर के मार्ग के माध्यम से 6656 क्यूसेक पानी से 1 लाख 27 हजार हैक्टयर भूमि की सिंचाई हो रही है और लेफ्ट मेनगेट कैनाल से कोटा, बूंदी एवं बारां की कृषि क्षेत्र के 1 लाख 2 हजार हैक्टेयर को 1500 क्यूसेक पानी से सिंचाई का लाभ मिल रहा है। देश में यह सिंचाई परियोजना काफी पुरानी हो गई है जिसके कारण नहरों के कई स्ट्रेप टूट गये हैं और नहर के साथ लगी सड़कों पर कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आने वाले समय में अगर इनके मरम्मत कार्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन नहरों की दशा दयनीय एवं खतरनाक हो जायेगी। चम्बल कमांड एरिया सिंचाई अंतर्गत भी नहरों की यही हालत है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में नहरों के मरम्मत कार्य में आर्थिक मदद के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता दी जाए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चम्बल कमांड एरिया एवं कोटा बराज से निकलने वाली उपरोक्त नहरों के मरम्मत कार्य को दुरस्त करने हेतु केन्द्र स्तर पर मदद या विशेष परिस्थितियों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता दी जाए।

(दो) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जनहित एवं अंतर्राज्यीय महत्व को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जनपद ककरहवा से मोहाना, नवगढ़, सिद्धार्थ नगर, बांसी, बस्ती, अतरौलिया, आजमगढ़ होते हुए वाराणसी तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग 233 घोषित किया है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई शून्य से 121.80 किलोमीटर तक के 2 लेन के लिए 648.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। इसी तरह 121.800 किलोमीटर से 298.900 किलोमीटर कुल लम्बाई 176.65 किलोमीटर को 4 लेन के लिए 1790.68 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। उक्त सड़कों को बनाने के लिए संविदा भी आमंत्रित कर ली गयी है। लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है जबकि आवागमन की दृष्टि से उक्त सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के निर्माण को तत्काल एवं समयबद्ध सीमा में पूरा कराने की मांग करता हूं।

(तीन) लक्षद्वीप के अंदरौत में तीसरे चरण के ब्रेक वाटर के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री हमदुल्लाह सईद]

आकर्षित करना चाहता हूं कि एन्ड्रोथ द्वीप पर तीसरे चरण के ब्रेकवाटर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तीसरे चरण के ब्रेकवाटर के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। अन्य भार संबंधी मुद्दे का कारण श्रमिक और सामग्री में कमी तीसरे चरण के ब्रेकवाटर के निर्माण कार्य में विलंब और स्थगन को बताये गये हैं। पोत-परिवहन लक्षद्वीप की जीवन-रेखा है। तीसरे चरण के ब्रेकवाटर का निर्माण यात्रियों तथा सामग्रियों के सुचारू और प्रभावी आवागमन के लिए अनिवार्य है क्योंकि एन्ड्रोथ द्वीप केन्द्रीय रूप से अवस्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध और आग्रह करता हूं कि वह एन्ड्रोथ में तीसरे चरण के ब्रेकवाटर के निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दें ताकि इसे लक्षद्वीप का केन्द्रीय पत्तन बनाया जा सके। निर्माण में विलंब के लिए जवाबदेही तय की जा सकती है और जहां कही भी अपेक्षित हो, उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

(चार) राजस्थान के जयपुर में सांभर झील को अतिक्रमण से बचाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लालचन्द कटारिया (जयपुर ग्रामीण) : जयपुर जिले के अंतर्गत सांभर झील जो कि खारे पानी की विश्व प्रसिद्ध झील है, 190 स्क्वायर किलोमीटर का फैलाव लिए हुए हैं तथा क्षेत्रीय पर्यावरणीय संतुलन के लिए वर्षों तक जयपुर जिले का प्रमुख स्रोत रही है। यह झील प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण झील है। इसी झील में जब जल भरा हुआ रहता था तो हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पक्षी अपना डेरा जमाते थे। परन्तु इस झील में नावां स्थित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के कारण इसका प्राकृतिक सौंदर्य खराब हो रहा है एवं पिछले 15-20 वर्षों से पानी का अवैध तरीके से दोहन भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह झील रामसर साईट्स की श्रेणी में शामिल है एवं भारत सरकार द्वारा भी इसके अस्तित्व को बनाये एवं बचाए रखने के लिए समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा श्री विनोद कपूर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गयी थी जिसकी सिफारिशों के आधार पर इस झील को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराने के लिए विभिन्न विभागों को त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए थे, परन्तु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अभी तक इस सांभर झील के भराव में हुए अवैध अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया है।

मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि सांभर झील के भराव क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाकर इस प्राकृतिक झील के सौंदर्य को यथावत रखा जाए।

(पांच) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कृत्रिम निषेचन कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : कृत्रिम गर्भाधान, कम लागत पर पशुओं के उन्नत नस्ल को पैदा करने का एक सुनिश्चित तरीका है। आंध्र प्रदेश में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश पशु (गाय और भैंस) देशी और कम उत्पादन वाली हैं। चूंकि वे बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, इनकी नस्ल के उन्नयन का सबसे अच्छा तरीका इन पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराना है। मुझे विश्वास है कि कई और जिले इसी प्रकार की स्थिति में है। महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को प्राथमिकता दें और अपेक्षित अवसंरचनात्मक सहायता जैसे सभी पंचायतों में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करें और शुक्राणु संरक्षित रखने के लिए ट्राई आइप सिलिंडरों (तरल नाइट्रोजन सिलिंडरों) सहित कृत्रिम गर्भाधान किट प्रदान करें तथा शुक्राणु बैंकों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शुक्राणु की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। हमारे जैसे राज्यों को इन पैरा-वेट्म के प्रशिक्षण तथा उनके लिए किट् प्रदान करने हेतु सहायता पर प्रति उम्मीदवार लगभग 50,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए की लागत आएगी जो एकबारगी निवेश होगा जिसका वर्षों तक प्रतिफल मिलता रहेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन गर्भाधान शुरू करने की अनुमति दी जाए जिससे पशुपालन में विशेष रूप से निपुण युवाओं को रोजगार मिल सके।

(छह) सऊदी अरब की जेल में कैद भारतीय नागरिकों को रिहा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : मैं सदन का ध्यान अत्यंत

महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि तीन भारतीय नागरिक सऊदी अरब की दम्माम जेल में 22 सितम्बर, 2009 से बंद हैं और उन्हें अब तक यह भी नहीं बताया गया है कि उनका दोष क्या है। ये तीनों भारतीय नागरिक लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी के निवासी हैं उनमें से एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित हैं और समाज में ख्याति प्राप्त है। दो अन्य भारतीय नागरिकों के बारे में मैंने जानकारी की है, वे भी अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनका कभी कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा। ये तीनों प्रतिष्ठित भारतीय नागरिक 6 सितम्बर, 2009 को एक महीने के बिजनस वीजा पर उमरा करने के लिए सऊदी अरब गए थे, जिन्हें सऊदी अरब पुलिस द्वारा मदीना से 22 सितम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये तीनों भारतीय नागरिक सऊदी अरब के दम्माम जेल में बंद हैं, इन्हें आज तक यह नहीं बताया गया कि इनका दोष क्या है। ऐसी प्रतीत होता है कि किसी गलतफहमी में इन्हें वहां पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तत्काल विदेश मंत्रालय का हस्तक्षेप किया जाना अनिवार्य है। मैंने भी पिछले लगभग 6 महीने से अनेक पत्र माननीय विदेश मंत्री जी को भेजे हैं। विदेश मंत्री जी द्वारा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव से पत्राचार करने का सुझाव प्राप्त हुआ, उन्हें पूरे तथ्यों से अवगत कराते हुए भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय भी मैंने विदेश मंत्री जी को पुनः एक पत्र की प्रति देकर कार्यवाही का अनुरोध किया। डेढ़ वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद भी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अब वे ही इस मामले में हस्तक्षेप कर इन तीनों भारतीय नागरिकों को रिहा कराने की पहले करें, जिसके लिए मैं आपका अभारी रहूंगा।

(सात) मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हीरा खनन परियोजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो) : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा तहसील में एक विदेशी कंपनी वन्डर प्रोजेक्ट के नाम से हीरा खनन का कार्य कर रही है, जिससे इस क्षेत्र को कोई विकास का लाभ नहीं मिल रहा है, इसके द्वारा हजारों फीट गहराई से खनन का कार्य किया जा रहा है। जिससे इस क्षेत्र के कई ग्रामों में जलस्तर काफी नीचे चला गया है एवं इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति बनती जा रही है। साथ ही इस क्षेत्र के हजारों पेड़ निरंतर सूखते जा रहे हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट हेतु सरकार द्वारा कितने क्षेत्रफल (वन-राजस्व) में उत्खनन की स्वीकृति दी गई है।

दूसरी ओर एशिया की सबसे पहली हीरा खनन परियोजना केन्द्र सरकार की है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश होने पर भी स्वीकृति नहीं दी जा रही है एवं वन विभाग द्वारा 21 बिन्दुओं की आपत्ति लगाई है। पन्ना जिला में यह परियोजना ग्रामीण का एकमात्र रोजगार का साधन वहां के ग्रामीणों को है एवं इस प्रोजेक्ट द्वारा कई सामाजिक एवं विकास कार्य किये गये है।

सरकार वंडर प्रोजेक्ट की पुनः गंभीरता से समीक्षा करे एवं जांच कमेटी गठित करें जिससे ग्रामीणों को अकाल से एवं वन क्षेत्र को नष्ट होने से बचाया जा सके।

(आठ) हिमाचल प्रदेश में स्नो लैपर्ड के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की स्नो लैपर्ड परियोजना को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हिम तेन्दुए (स्नो लैपर्ड) विकास की अपार संभावनाएं हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं उनकी वृद्धि की मंत्रालय की योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक प्रस्ताव गत वर्ष प्रेषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश हिम तेन्दुआ परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर चलाने हेतु बहुत उत्साहित है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के उत्तुंग हिम श्रृंखलाओं में हिम-तेन्दुओं के प्राकृतिक निवास हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों में स्थित जिला किन्नौर, लाहौल-स्पीति एवं जिला चम्बा के पांगी-भरमौर मंडलों में अत्यधिक ठंड एवं बर्फबारी के कारण कार्य करने के अवसर बहुत कम होते हैं। वहां सिर्फ अप्रैल से अक्तूबर तक ही कार्य का सीजन होता है। इस योजना में हिम-तेन्दुओं हेतु जी.पी.एस. कालरिंग, टैलीमैट्री एवं नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से किब्बर में एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना आदि अनेक कार्य किए जाने हैं।

अतः मेरा आग्रह है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हिम-तेन्दुआ परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करें।

(नौ) गुजरात के साबरकंठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वीरावाड़ा रेलवे स्टेशन को गांभोई में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र से गुजरने वाली अहमदाबाद, उदयपुर, नोर्थ वैस्टन रेलवे लाइन में आमान परिवर्तन का काम स्वीकृत हो चुका है और इसके लिए सर्वे का काम शुरू हुआ है। इस रेलवे प्रखंड पर कई ऐसे स्टेशन है जिन पर लोग कई कारणों से उतरते एवं चढ़ते नहीं है। जिसके कारण रेलवे को लाभ नहीं हो रहा है। अहमदाबाद-उदयपुर रेलवे की आय बहुत कम है। घाटे में चल रही है।

मेरा सुझाव है कि इसी लाइन पर हिम्मतनगर से आगे विरावाड़ा स्टेशन है। जहां पर कोई ज्यादा यात्री चढ़ते-उतरते नहीं है। बीच में तो इस स्टेशन को बंद कर दिया गया था। अब जब गेज परिवर्तन हो रहा है, तो विरावाड़ा स्टेशन को समाप्त करके उसे सिर्फ दो कि. मी. की दूरी पर गांभोई के पास स्टेशन बनाया जाये तो रेलवे को ज्यादा राजस्व मिलेगा। क्योंकि गांभोई 50 से अधिक गांवों का केन्द्र है, व्यापारिक केन्द्र, सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बैंक, कचहरी का एक बड़ा और अच्छा केन्द्र है। इसलिए अगर गांभोई को रेलवे स्टेशन बनाया जाये तो यह सबके लाभ में रहेगा क्योंकि यह आज एक बड़ा शहर बन चुका है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद-उदयपुर (नार्थ वेस्टर्न रेलवे) प्रखंड पर स्थित विरावाड़ा स्टेशन को गांभोई के पास शिफ्ट किया जाये। रेलवे को राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी और रेल यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। यह अहमदाबाद-उदयपुर के बीच स्थित है।

(दस) गुजरात में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत रोगियों की शल्य-चिकित्सा के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत) : प्रधानमंत्री सहायता कोष से हृदय की शल्यक्रिया या किडनी की शल्यक्रिया हेतु गरीब आदमी को सहायता प्रदान की जाती है। देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत लाभार्थियों के इलाज हेतु मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या अलग है एवं इनमें काफी अंतर है। कई राज्यों में अच्छी मात्रा में मान्यता प्राप्त अस्पताल हैं जबकि गुजरात जैसे बड़े राज्य में एक ही अस्पताल मान्यता प्राप्त है।

पूरे गुजरात में सिर्फ एक ही अस्पताल इस सूची में सम्मिलित है। मेरा क्षेत्र, सूरत पूरे दक्षिण गुजरात में सबसे विकसित विस्तार में आता है। सबसे बड़े वनवासी क्षेत्र एवं आदिवासी बाहुल्य जिले डांग-उमरगाम-नवसारी से गरीब आदमी सूरत शहर में जाकर शल्यक्रिया करवाने में असमर्थ है। इस स्थिति में अगर प्रधानमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत इलाज हेतु मान्यताप्राप्त अस्पताल की संख्या बढ़ाई जाये तो ये अस्पताल पूरे दक्षिण गुजरात के गरीबों के लिए बहुत बड़ा आधार बन सकते हैं। मेरी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि इस विषय में तत्काल कार्रवाई की जाए और पूरे गुजरात में कम से कम तीन अस्पतालों को मान्यता दी जाए।

(ग्यारह) देश में किसानों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री नीरज शेखर (बलिया) : मैडम, पिछले 10-12 सालों में देश में दो लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। देश की 65 से 70 प्रतिशत आबादी आज भी खेती से अपनी रोजी-रोटी चला रही है, पर आज किसान सबसे बदहाल स्थिति में है। पूरी दुनिया में उपलब्ध जमीन का केवल 10 प्रतिशत ही खेती के उपयुक्त है जबकि हमारे देश में 57 प्रतिशत जमीन खेती के लिए उपलब्ध है। इतनी अच्छी स्थिति में जमीन उपलब्धता के बावजूद भी इस देश में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं।

पिछले बीस सालों में सरकार द्वारा खाद, बीज, बिजली और डीजल के दामों में कई गुना वृद्धि की गयी, पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में उस रफ्तार से वृद्धि नहीं की। कभी 10 पैसे तो कभी 20 पैसे और चुनावी मौसम में 1 रुपए तक की वृद्धि की गयी। परिणामस्वरूप कभी सबसे सम्मानित पेशा कृषि किसानों की उत्तरोत्तर गरीबी और कर्ज का कारण बन गया।

आज देश में 80 प्रतिशत किसानों के पास 2 हैक्टेयर से कम की जोत है और वो 4 लोगों के परिवार का खर्च इस खेती से वहन करने में पूरी तरह अक्षम है। कारण कृषि का अलाभकारी और खर्चीला होना।

अतः सरकार किसानों के हित के लिए एवं कृषि को लाभकारी बनाने के लिए गेंहू और धान का न्यूनतम समर्थन मुल्य 20 से 25 रुपए प्रति किलों करें और गरीबों (बी.पी.एल.) हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित कर 2 से 3 रुपए प्रति किलो की दर से खाद्यान्न

उपलब्ध कराएं एवं किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। उनको 3 प्रतिशत की दर से ऋण की व्यवस्था करें और कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए तत्काल एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करें।

(बारह) उत्तर प्रदेश में देवरिया से बरहज, बडहलगंज होते हुए मऊ तक एक रेलवे लाईन का निर्माण करने तथा देवरिया में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया) : मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया से बरहज, बडहलगंज होते हुए मऊ तक सड़क मार्ग नहीं के बराबर है और यह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां के लोगों से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इस उपरोक्त मार्ग को नई रेलवे लाईन से जोड़ना अति आवश्यक है। इससे देवरिया को अन्य हिस्से से सीधा जोड़ा जा सकता है। विकास के अभाव में इस क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे हिस्सों में जाकर नौकरी कर रहे हैं।

अत: उपरोक्त रेलवे लाईन पर विचार एवं सर्वे करवाया जाये। बिहार संपर्क क्रांति का दिल्ली से बिहार जाते समय देवरिया स्टेशन पर ठहराव नहीं है जिसके कारण दिल्ली से आने वाले लोग इस रेल सेवा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अत: इसी बजट में इस रेलगाड़ी के ठहराव की घोषणा भी होनी चाहिए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देवरिया से बरहज एवं बडहलगंज होते हुए मऊ तक रेलवे लाईन जोड़ा जाए एवं बिहार संपर्क क्रांति का ठहराव देवरिया में किया जाए।

(तेरह) बिहार में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार राज्य में रबी और खरीफ फसल की बुआई के दौरान रासायनिक खाद की काफी कमी हो जाती है और किसानों को ऊंचे दामों पर अन्य स्त्रोतों से खरीदना पड़ता है जिससे उनकी माली हालत और दयनीय हो जाती है तथा वह साहूकारों के कर्जदार हो जाते हैं। फसल कटने के बाद उनकी फसल का दाम उतना नहीं मिल पाता जितनी उनकी लागत लगती है। फलस्वरूप वह साहूकारों के कर्ज के तले दबते चले जाते हैं और दुबारा दूसरी फसल की तैयारी में जी जान से जुट जाते हैं। किसान इस धरती का सबसे सहनशील जीव है और इस धरती का अन्नदाता है।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार राज्य में सभी किसानों को रबी और खरीफ फसलों के दौरान किफायती दरों पर रासायनिक खाद उपलब्ध करायें ताकि देश का अनाज उत्पादन बढ़े तथा किसानों की माली हालत सुधरे और वह अपने कर्ज से मुक्त हो सकें।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी) : मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यह उत्तरी बंगाल का डिवीजनल शहर है। वहां पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की आवश्यकता है। जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना की चिर लंबित मांग रही है। और पिछले दस वर्षों से हमने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और भारत सरकार के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह मांग रखी गयी थी।

इस संबंध में पश्चिम बंगाल और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जलपाईगुड़ी का कई बार दौरा किया है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को सर्किट बेंच के लिए आवश्यक अवसंरचना तैयार करने का निदेश दिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुदेशों के अनुसार, जिला प्रशासन ने उक्त सर्किट बेंच के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया। अब हर चीज उद्घाटन के लिए तैयार है। परंतु माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से सर्किट शाखा खोले जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग इसकी वजह से बहुत दु:खी हैं।

इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह जलपाईगुड़ी जिला में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच खोले जाने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक प्रबंध करे।

(पन्द्रह) उड़ीसा में जाजपुर-क्योंझर रोड पर एक नया रेल मंडल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन जेना (जाजपुर) : मैं सरकार का ध्यान अपने जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन अर्थात् जाजपुर-क्योंझर रोड की ओर दिलाना

[श्री मोहन जेना]

चाहता हूं। यह नाम ही अपने आप में इस रेलवे स्टेशन के बारे में कई बातें बताता है। यह ओडिशा के खनिज बहुल परंतु सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों अर्थात् जाजपुर और क्योंझर का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ही लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अजा और अजजा जनसंख्या की बहुलता के कारण क्रमशः अजा और अजजा के लिए आरक्षित हैं। इसलिए भारतीय रेल के परिकल्पित लक्ष्य के अनुसार सामाजिक रूप से प्रयेक्षित क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। अतः निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते मैं जाजपुर और क्योंझर की उचित और न्यायसंगत मांग को हम सभा में रखना चाहता हूं कि पूर्व तटीय रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे जोनों का पुनर्गठित कर जे.के. रोड पर एक नया रेल मंडल बनाया जाए।

पूर्व तटीय रेलवे देश का सबसे छोटा रेल जोन है जिसमें केवल तीन रेल मंडल खुदी रोड, अम्बलपुर और वालिहयर शामिल हैं। कई खनिज बहुल क्षेत्र, महत्वपूर्ण शहर और औद्योगिक केन्द्र पूर्व तटीय रेलवे के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसलिए हम पूरे क्षेत्र से अर्जित राजस्व दक्षिण पूर्व रेलवे को जा रहा है और ओडिशा तथा पूर्व तटीय रेलवे जोन इससे वंचित रह जाता है। यही कारण है कि रेलवे जोनों का पुनर्गठन और जे.के.रोड पर एक नए डिवीजन का सृजन अन्यन्त महत्वपूर्ण है।

एक और प्रमुख तर्क यह है कि यह जे.के. रोड कलिंग नगर इस्पात हब के क्षेत्र के भीतर अवस्थित है। धमारंद पारादीप पत्तन बरास्ता जाजपुर शहर इसके निकट है। यह जाजपुर जिले के बौध स्थलों के द्वार का भी काम करता है।

इसलिए, मैं जे.के. रोड पर तत्काल एक नया रेल मंडल बनाए जाने की मांग करता हूं।

(सोलह) देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में किसानों को बीजों की उपलब्धता सुकर बनाने के लिए बीज बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट) : मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की शेष अवधि के दौरान न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे देश में बीज बैंकों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं।

जैसा कि यह सभा इस बात से अवगत है कि आंध्र प्रदेश में किसानों को बोआई के समय गुणवत्तापूर्ण बीज मिलने में कठिनाई हो रही है। पिछले चार वर्षों से किसानों को समय पर अच्छे बीज नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले वर्ष किसानों को बोआई के समय बीज नहीं मिल पाए और इसके लिए उन्हें सुबह से शाम तक लाईन में खड़ा रहना पड़ा। कई वृद्ध और महिलाओं की अत्यधिक गर्मी की वजह से लंबी लाईन में खड़े रहने के कारण मौत हो गयी और बहुत सारे किसान बीजों की कमी के कारण बुआई शुरू नहीं कर पाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित प्राधिकारी समय से पहले समुचित सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अर्थात् गुणवत्ता बीज के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यह पाया गया है कि वही बीज दलालों के पास खुले बाजार में अत्यधिक मूल्य पर उपलब्ध है और गरीब किसान बोआई के मौसम में इतनी अधिक दर पर बीज नहीं खरीद सकते।

इसलिए मैं अध्यक्ष के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया बीज बैंको की स्थापना बीज ग्राम योजना के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण बीजों के बेहतर उत्पादन, परिवहन और वितरण की दिशा में कदम उठाएं ताकि हम कम से कम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में किसानों की मांगों को पूरा कर सके और उन्हें अधिक आय अर्जित करने में मदद की जा सकें तथा अपने भावी पीढ़ी के लिए भी कृषि के पेशे को जिंदा रख सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मद संख्या 20, वित्त विधेयक।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह हम इसके पश्चात लेंगे।

अपराह्न 12.32 बजे

वित्त विधेयक, 2011

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैंने उनको बताया था कि वित्त विधेयक पारित होने के पश्चात् वाद-विवाद होगा...

(व्यवधान) हम इस बात पर सहमत हैं कि वित्त विधेयक पारित होने के पश्चात् अल्पावधि चर्चा होगी। प्रात: काल मैंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि हमें नियम 193 के अधीन अल्पावधि चर्चा स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे वित्त विधेयक पारित होने दें और वित्त विधेयक पारित होने के पश्चात् सबसे पहले चर्चा के लिए समय होगा।

वित्त विधेयक की अपनी शुचिता है। इसलिए, मैं नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। प्रात:काल में हम इस पर सहमत हो चुके हैं और इस पर चर्चा कर चुके हैं। अत:, वित्त विधेयक पारित कर दिया जाए और तत्पश्चात वे अल्पावधि चर्चा आरंभ कर सकते हैं जहां दोनों पक्ष भाग लेंगे और सभा सामान्य रूप से कार्य करेगी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : सभापति जी, जो विषय पहले चल रहा है वह पहले समाप्त हो जाए और फिर हम वित्तीय विधेयक पारित करें। हम रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, पहले वह विषय खत्म कर लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अब तो केवल इतना सा अंतर रह गया कि हम भी वित्त विधेयक पारित करना चाहते हैं, फाइनेंस बिल पारित करना चाहते हैं, आप हमें डिबेट देना चाहते हैं। ये दोनों चीजें हो गयीं। हम फाइनेंस बिल पारित करवाना चाहते हैं, कोई संवैधानिक संकट पैदा करना नहीं चाहते और आप हमें डिबेट देना चाहते हैं, सवाल ये केवल आगे-पीछे का है। हमारा यह कहना है कि ढाई घंटे में यह डिबेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप फाइनेंस बिल ले लीजिए। हम रात के 12 बजे तक बैठने को तैयार हैं, आप डिबेट के बाद फाइनेंस बिल पारित कर लीजिए।...*(व्यवधान)* आप कह रहे हैं नहीं, पहले आप फाइनेंस बिल पारित करवाइये। हमारे कहते ही वे नो-नो-नो करना शुरू कर देते हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि केवल ढाई घंटे का सवाल है, अगर हम अब चर्चा शुरू करते हैं तो ढाई घंटे के बाद चर्चा खत्म हो जाएगी और आप फिर फाइनेंस बिल शुरू कर लीजिए, इसमें आपको एतराज क्या है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की परंपरा आरंभ न करें। जब अल्पावधि चर्चा की सूचना आती है तो सरकार समय देती है। उन्होंने आज सुबह सूचना दी है और मांग कर रहे है कि अभी चर्चा आरंभ की जाए। मैं उनसे इस प्रकार की परंपरा आरंभ न करने का अनुरोध करता हूं। मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं कि उन्होंने अल्पावधि चर्चा की सूचना दी है, वे 24 घंटे का समय दें, कल वे चर्चा कर सकते है, और मुझे कोई समस्या नहीं है। यद्यपि मुझे बताया गया है कि दूसरी सभा के कार्य का कोई जिक्र नहीं किया जाना चाहिए, यदि दूसरी सभा भी यही चाहती है तो कल वे चर्चा कर सकते हैं और एक साथ चर्चा हो सकती है।

वित्त विधेयक का समय निर्धारित है, यह निर्धारण काफी समय पहले ही कर दिया गया था। मैं उनसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने और पहले वित्त विधेयक लेने का अनुरोध करता हूं और तत्पश्चात चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : वित्त विधेयक के तुरंत पश्चात नियम 193 के अधीन चर्चा की जायेगी। अब, माननीय मंत्री विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रणब दा, नोटिस आज नहीं कल दिया था, नोटिस को 24 घंटे हो गये हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुकी हैं। माननीय मंत्री अब वित्त विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर आप जिद पर हैं कि आपको अभी पहले फाइनेंस बिल करना है तो हम बहिर्गमन करते हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.35 बजे

इस समय, श्रीमती सुषमा स्वराज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं।

"कि वित्त वर्ष 2011-2012 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, 28 फरवरी, को जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था उसके पश्चात् देश के बाहर, विश्व में अनेक बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। जापान में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा आई है जिससे केवल उस देश में ही गंभीर समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई हैं बल्कि जापान विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण, उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था और विश्व की अथव्यवस्था पर भी हुआ है। मध्य पूर्व, अफ्रीका और कतिपय अन्य देशों में समस्याएं चल रही हैं जिससे कच्चे तेल की उपलब्धता और मूल्य प्रभावित होगा और उसके फलस्वरूप ऊर्जा मूल्य प्रभावित होंगे। ये बड़ी घटनाएं हुई हैं।

प्रात:काल हमने लीबिया पर आक्रमण की चर्चा की थी। जैसा कि भारत सरकार पहले ही अपना सरोकार व्यक्त कर चुकी है कि यदि किसी देश में लोकतांत्रिक आंदोलन होता है तो उस देश के लोग ही यह निर्णय लेंगे कि वे इसका समाधान किस प्रकार से और किस रूप में करते हैं; कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम अपना दृष्टिकोण पूर्णत: स्पष्ट कर चुके हैं; हमारा विदेश कार्यालय इस स्थिति को दुनियाभर में स्पष्ट कर चुका है।

लेकिन अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव का पूर्वानुमान अभी नहीं लगाया जा सकता जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व में उत्पादन, ऊर्जा मूल्यों, वस्तुओं के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव होने जा रहा है और इसका प्रभाव हम पर भी हो सकता है। मैं इस सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस पर नजर रखेंगे और जब, जैसी भी आवश्यकता होगी, हम उचित कदम उठाएंगे।

संकट की इस घड़ी में हम अपने जापानी भाई-बहनों के साथ हैं, हमें यह भी उम्मीद है कि मध्य-पूर्व और लीबिया की विचलनकारी घटनाओं का जल्द और शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा।

हालांकि हम एक वैश्वीकृत विश्व में आने वाली अनिश्चितताओं के लिए योजनाएं बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सदैव ही ऐसी घटनाएं होंगी जिनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता अथवा योजनाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। ऐसे अवसरों पर, ऐसे मुद्दों को हल करने में वांछित नीति कवच सहायक होता है। हमें उस समय ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता होती है जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा हो। इस विचार ने ही मुझे ये प्रस्ताव लाने के लिए प्रेरित किया जो मैंने वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट में रखे हैं।

विकास की गति को बाधित किए बिना जब कभी भी मैं ऐसा कर सकता हूं, तभी मैंने काफी हद तक वित्तीय स्थिरीकरण करने का प्रयास किया है। इससे घरेलू मध्यावधि समष्टि-आर्थिक वातावरण को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही हमने वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण विधायी कार्यसूची भी तैयार की है। बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 इस सत्र में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आज प्रात: ही जीएसटी को सुकर बनाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जा चुका है। तीन अन्य विधेयक, नामत:, संशोधित पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, फेक्टर विनियमन (प्राप्तव्यों का समनुदेशन) विधेयक और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन विधेयक आगामी दिनों में पुर:स्थापित किए जाएंगे। इस विधायी कार्य को पूरा करने के लिए, मैं दोनों सभाओं के सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

सभापति महोदय, 2011-12 के बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मुझे सभा में मेरे साथियों से और बाहर से भी अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और कर प्रस्तावों से संबंधित कुछ अन्य सुझावों पर मैं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान बात करने का इच्छुक हूं। लेकिन, मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूं जो पिछले कुछ सप्ताह के दौरान बार-बार उठाए गए हैं।

मुझे बताया गया है कि सिले-सिलाए ब्रांडिड वस्त्रों और कपड़ो पर प्रस्तावित 10 प्रतिशत शुल्क से एसएसआई वस्त्र विनिर्माताओं को कठिनाइयां हो सकती हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए में खुदरा विक्रय मूल्य पर 40 प्रतिशत से 55 प्रतिशत कटौती करने का सुझाव देता हूं। इस राहत से, कोई भी इकाई 2011-12 में एसएसआई छूट के लिए आई होगी भले ही चालू वर्ष में खुदरा विक्रय मूल्य पर आधारित उसका टर्नओवर 8.9 करोड़ रुपए हो। इस से संबंधित आवश्यक अधिसूचना आगे जारी की जाएगी।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कच्चे (उलटा बटा हुआ नहीं) रेशम पर मूल सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत 'यथा मूल्य' कर दिया गया है। ऐसा हथकरघा और विद्युतकरघा, दोनों खंडों में बुनकरों के लिए घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किया गया था। इस कदम के समर्थन और विरोध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वस्तुत:, उत्पादक क्षेत्र और उपभोक्ता क्षेत्र-दोनों क्षेत्रों के बीच हितों का टकराव है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो अभी कहा है,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बाद में बोलिए। *[अनुवाद]* श्री जय प्रकाश जी, कृपया बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार आयातित मात्रा और घरेलू मूल्यों पर कड़ी नजर रखेगी। यदि आवश्यक हुआ तो घरेलू रेशम कीट पालन पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के उपशमन के लिए और कदम उठाएगी।

अंत में, स्वास्थ्य परिचर्या पर प्रस्ताव से सभा के अंदर और बाहर काफी बेचैनी उत्पन्न हुई है। प्रस्तावित नए शुल्क का उद्देश्य केवल राजस्व में वृद्धि नहीं था। यह वस्तु और सेवा कर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। लेकिन, जीएसटी लागू होने तक मैंने अस्पतालों और निदान परीक्षण केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, दोनों पर ही प्रस्तावित शुल्क न लगाने का निर्णय लिया है और मुझे आशा है कि कोई भी इसे 'कपणता कर' नहीं कहेगा।

सभापति महोदय, मैं अगले वित्तीय वर्ष से जीएसटी के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए संविधान संशोधन, डीटीसी को अधिनियमित करने और कर सुधारों, को जारी रखने के महत्व पर जोर देना चाहता हूं। रियायतों और छूटों पर बल देने का इन आधे-अधूरे सुधारों से कर प्रणाली की जटिलता और विरूपण में ही वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप इन उपायों के वांछित लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा से वित्त विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्त वर्ष 2011-2012 के लिए केन्द्र सरकार के प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डॉ. के.एस. राव (एलूरू) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम, वित्त विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

वस्तुत:, यदि विपक्ष यहां होता तो मुझे खुशी होती। जो भी हो, उनकी अपनी कार्यसूची है और वे सभा से चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं इस बात से अत्यधिक प्रभावित हूं कि गत छह वर्षों में शहरी क्षेत्रों में, उद्योगों में धन का संचय हो रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों, कृषक समुदाय, कृषि मजदूर का ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। अत:, संसद में आरंभ से ही मेरा संघर्ष इस बात के लिए है कि धन का प्रवाह शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हो।

गत छह वर्ष के दौरान श्री चिदम्बरम और श्री प्रणब मुखर्जी, दोनों के द्वारा प्रस्तुत बजट स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि धन ग्रामीण लोगों के हाथों में पहुंचना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। जिससे पुन: उद्योगों की विकास-गति में वृद्धि होगी। हमारे 70 प्रतिशत लोग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, की क्रय शक्ति के बिना देश में कोई भी उद्योग पल्लवित नहीं हो सकता है। 2004 में रु. 73,000 करोड़ से आरंभ करके, आज माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी ने ग्रामीण क्षेत्र को दिए जाने वाले कृषि ऋण की मात्रा रु. 4,75,000 करोड़ कर दी है।

महोदय, पूर्व और वर्तमान, दोनों वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। उनसे मेरा यह विनम्र अनुरोध है- मैं नहीं जानता कि वे रिजर्व बैंक के गवर्नर और अन्य बैंकरों को कैसे विश्वास में लेंगे- कि ब्याज दरों को घटाने के बारे में विचार करें। ब्याज दरें अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहीं हैं। यदि ब्याज दरें कम कर दी जाती है तो कम से कम ग्रामीण लोगों, कृषकों, दस्तकारों, महिलाओं स्व-सहायता-समूहों और सभी गरीबों तथा कृषि मजदूरों के लिए यह बहुत अच्छा होगा; अत्यधिक वृद्धि होगी; और अर्थव्यवस्था में एक वास्तविक परिवर्तन आएगा। इससे राजग सरकार की तुलना में हम न केवल 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करेंगे, बल्कि मुझे विश्वास है कि हमारी वृद्धि दो अंकों में पहुंच जाएगी।

[डॉ. के.एस. राव]

इस संदर्भ में, एक अन्य बात, जिनके लिए मैं सदैव संघर्ष करता रहा हूं वह यह है अब, हमने समझ लिया है कि इस देश में गरीबों का ध्यान रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कम दामों पर खाद्यान्न कराए जाएं। फिर हमे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी होंगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आवास पर समुचित खर्च करें। मैं चाहता हूं कि उन्हें आवास के लिए 40,000 अथवा 50,000 अथवा 60,000 देने के स्थान पर सरकार स्वयं उनको स्थाई मकान बना कर दे जिसकी कीमत रु. 1 लाख, अथवा रु. 1.5 लाख हो सकती है। मेरा अभिप्राय यह है कि ऐसा करके, एक दीर्घकालिक आवास, जो कम से कम 60 वर्ष चलेगा, गरीब वर्गों के हाथों में होगा जिसके लिए जमीन नि:शुल्क दी जाएगी। अभी हम एक गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए रु. 40,000 दे रहे हैं लेकिन उसके पास घर बनाने के लिए क्षमता, जानकारी और संसाधन नहीं हैं। मौजूदा लागत को देखते हुए भी, वह मकान का निर्माण नहीं कर पाएगा। वह मकान बना लेगा जिसके पूरा होने में कम से कम छह-सात वर्ष लग जाएंगे; और पूरा होने के बाद वह केवल 15 वर्ष ही चलेगा।

अत:, यहां मैं कहना चाहता हूं कि हमें उन्हें कम से कम एक लाख रुपए के मूल्य वाला मकान देना चाहिए जिनका निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। फिर, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए मकान और जमीन की कीमत भी लगभग 10 वर्ष में 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। इसका अर्थ हुआ, कि गरीब 10 लाख रुपए की संपत्ति का स्वामी होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हम उत्क्रमित गिरवी रखने की प्रक्रिया अपना सकते हैं; और यदि वह अपनी गरीबी के कारण समय पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक 10 वर्ष, 15 वर्ष अथवा 20 में किस्तों का भुगतान करेगा। इस प्रकार, हर व्यक्ति यह समझ सकेगा कि यदि वह किस्तों का भुगतान नहीं करेगा तो 10 लाख रुपए की संपत्ति खो देगा। अत:, स्वाभाविक रूप से, वह किसी भी प्रकार से बचत करेगा, अपनी किस्तों का भुगतान करेगा और 10 लाख रुपए की संपत्ति को बचाए रखेगा। अन्यथा, वह संपत्ति उसके पास नहीं रहेगी।

लेकिन, अब क्या हो रहा है। पांच यह छह वर्ष पश्चात्- चाहे इन गरीब आदमियों ने अपनी किस्तों का भुगतान किया हो अथवा नहीं- हम, राजनीतिज्ञ, चाहे इस पक्ष के हों अथवा उस पक्ष के, कहते हैं; "हम इसे बट्टे खाते में डाल रहे हैं।" कोई बात नहीं, बट्टे खाते में डालिए। लकिन उसे ऐसा स्थायी आवास नहीं मिल पाएगा जिसकी उपयोग अवधि 50 वर्ष अथवा 100 वर्ष हो। इसलिए यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में वैसी मशीनरी पर सीमा शुल्क को कम किया है, जिसका आयात कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है और उन्होंने विशेष रूप से 'कोल्ड चेन' की लागत में भी कमी की है जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिला है। उनकी सहायता करने का मुख्य कारण यही है।

मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यह संदेह है, कि यदि कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी तो उसका अर्थ है यदि आप किसान को अधिक मूल्य का भुगतान कहेंगे तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तुरंत वृद्धि हो जाएगी जिसके कारण विपक्षी दल शोर मचाएंगे जैसा कि उन्होंने पिछले सत्र में किया था और सभा को बिलकुल ही नहीं चलने दिया। लेकिन अगले ही दिन भाजपा नेता श्री एम. वेंकैया नायडु के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और चावल के निर्यात की अनुमति देने के लिए श्री प्रणब मुखर्जी के पास गए थे। यह एक जायज मांग है। मेरा भी यही विचार है। इसका कारण यह है कि बफर मानक लगभग 230 लाख टन है जबकि एफसीआई, सीडब्ल्यूसी के गोदामों और अन्य निजी गोदामों में उपलब्धता दोगुनी है। इसका अर्थ हुआ कि वे उन मात्राओं को दोगुना कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता सामान्यत: एक मानक के रूप में होती है। अब शेष फसलों को ध्यान में रखते हुए, जुलाई तक चावल की मात्रा 1,615 लाख टन तक पहुंच जाएगी। यह रखे जाने वाले मानक से पांच गुना अधिक है।

उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि गोदामों में पड़ा हुआ कुछ खाद्यान्न अप्रयोज्य हो चुका है और नाममात्र के मूल्य पर उसे नीलाम किया अथवा निपटाया जा सकता है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा था "आप इसे नि:शुल्क दीजिए।" ऐसी स्थिति क्यों आई जब हमारे पास भंडारण क्षमता ही नहीं है तो हम इतना स्टॉक क्यों रखें? हमें अतिरिक्त स्टाक खुले में क्यों रखना पड़ता है जो वर्षा में खराब हो सकता है? यही कारण है कि एक वर्ष में अच्छी फसल पैदावार को ध्यान में रखते हुए हमने वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध स्टाक की मात्रा में वृद्धि करने की मांग की है। किसानों को केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

के द्वारा ही नहीं बल्कि उन्हें इसके निर्यात की अनुमति देकर भी उचित मूल्य मिलना चाहिए। उस प्रक्रिया से उन्हें ज्यादा धन प्राप्त होगा। वे उस प्रक्रिया का प्रयोग करके अत्यंत प्रसन्न होंगे। उनको मिलने वाला धन लंदन और अमेरिका नहीं जाएगा। वह हमारे किसानों के हाथों में ही रहेगा। उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वे अपने लिए अधिक सामान भी खरीदे सकेंगे।

खाद्य मुद्रास्फीति के नाम पर विपक्षी दल शोर मचा रहे हैं। जब सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं तो उन्होंने पांच वर्ष में एमएसपी को भी 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। लेकिन जब राजग सरकार सत्ता में थी तो उसमें ऐसा करने का साहस नहीं था। हमारी सरकार ने एमएसपी को दोगुना करने का साहस दिखाया है।

मेरी अगली बात यह है। मुद्रास्फीति से कौन प्रभावित होगा। क्या हमारे 70 प्रतिशत लोग गांवों में रह रहे हैं? जब कृषि उत्पादों के मूल्य बढ़ गए हैं तो कृषि श्रम की लागत में स्वत: वृद्धि होगी। कृषि श्रमिक, जिसे 100 रुपए मिल रहे हैं, को 200 रुपए मिलेंगे। कृषि उत्पादक, जिसे 200 रुपए मिल रहे हैं, उसे 400 रुपए मिलेंगे।

इस प्रकार, गांवों में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। फिर कौन प्रभावित होगा? इससे निश्चित आय वाले शहरी लोग प्रभावित होंगे। यह सत्य है। इन प्रभावित लोगों का प्रतिशत कितना है? यह मुश्किल से छह से सात प्रतिशत है। औसत से ऊपर के एक परिवार का बजट लाखों रुपए होता है और खाद्यान्नों पर उनका खर्च लगभग 2 प्रतिशत होता है। लेकिन, क्योंकि वही लोग मीडिया में आते हैं; उन्हीं लोगों की समाचार पत्रों तक आसान पहुंच है; उन्हीं लोगों में सरकार की आलोचना की क्षमता है, इसलिए उनकी आवाज सुनी जा रही है। विपक्ष इन सब बातों का फायदा उठाता है और कहता है कि सत्तारूढ़ दल अक्षम है। लेकिन इस समय विपक्ष में बैठे लोग जब इस तरफ आते हैं तो उनमें वृद्धि करने का साहस नहीं होता है। ऐसा कब तक चलना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि श्री प्रणब मुखर्जी अथवा श्री चिदम्बरम मुझसे सहमत होंगे अथवा नहीं लेकिन जब मुद्रास्फीति की चर्चा हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने से हमारे किसान और गरीब लोग प्रभावित नहीं होते तो मुद्रास्फीति है ही नहीं। यदि कुछ लोग प्रभावित होते हैं तो हमें उसका समाधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करना चाहिए।

हम उन्हें एक निर्धारित मूल्य पर सामान दे रहे हैं। वे प्रभावित नहीं होंगे लेकिन जो केवल एक चीज प्रभावित हो रही है वह है विपक्षी सदस्यों द्वारा शोर करने के कारण प्रभावित होने वाली चर्चा। हममें यह कहने की योग्यता होनी चाहिए, "क्या हुआ यदि खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ गई है?" यह कालाबाजारी करने वालों द्वारा जमाखोरी के कारण होती है। हमें कठोरतापूर्वक कार्यवाही चाहिए। उन्होंने ही उस समय आवश्यक वस्तु अधिनियम को निष्प्रभावी कर दिया था। यदि कोई व्यापारी खाद्यान्नों की जमाखोरी करता है अथवा उसे कालाबाजारी से बेचता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत यह एक गैर-जमानती अपराध होगा। वह नहीं छूटेगा। यदि श्रीमती सोनिया गांधी भी कहें, तो वे उसे नहीं छोडेंगे। यह स्थिति थी...*(व्यवधान)*

आप नहीं कहेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह स्थिति थी और यह अधिनियम था लेकिन उन लोगों ने इसे काफी हद तक निष्प्रभावी बना दिया है क्योंकि व्यवसायियों के साथ है। वे व्यवसायियों के साथ है और यह बात पूरे देश को पता है। भाजपा क्या है? भाजपा व्यापारियों का दल है। भाजपा निर्यातकों का दल है। वे सदैव इसी ढंग से सोचेंगे कि निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिया जाए। वे सब आज के शेयर और कल के शेयर के बारे में सोचते हैं। यदि 10 रुपए का शेयर मूल्य दो वर्ष में 1000 रुपए हो जाए तो उन्हें चिंता नहीं होती। वे अत्यंत प्रसन्न होंगे लेकिन कोई भी संसद सदस्य यह नहीं कह सकता कि किसी गांव में किसान की संपत्ति में वृद्धि हुई है। यदि किसी किसान के पास 20 एकड़ जमीन है जो अपने बच्चे को चिकित्सा अथवा इंजीनियरिंग की शिक्षा देना चाहता है तो उसे चिकित्सा की शिक्षा दिलाने के लिए एक-दो एकड़ जमीन बेचनी पड़ती है। यदि उसके पास 20 एकड़ जमीन भी है तो भी वह अपनी फसल से होने वाली आय से अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं भेज सकता, अथवा, उसे उस दहेज पर निर्भर होना पड़ता है जिसकी वह अपने लड़के को मिलने की आशा करता है। इसलिए वह ऋण लेता है और अपने बच्चे को महाविद्यालय भेजता है। यह दयनीय दशा है।

आज के आंकड़े दर्शाते हैं कि यदि किसी गांव में कोई 10 एकड़ जमीन खरीदता है तो वह किसान नहीं होता बल्कि कोई व्यवसायी अथवा उसका पुत्र अथवा उसका दामाद होता है जो शहर

[डॉ. के.एस. राव]

में रहता है, जिसने व्यवसाय किया है और धन कमाया है। वह आता है और गांव में जमीन खरीदता है न कि किसान। यदि इस देश में किसान की ऐसी दयनीय दशा है तो यह स्थिति कब तक चलनी चाहिए। यह मेरी इच्छा है और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे नेता यह कहने की हिम्मत करें, हां, हमने मूल्य वृद्धि की है; हमारी सरकार ने मूल्य वृद्धि की है; और मूल्यों में वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे गरीब लोग इससे प्रभावित न हों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्गों की आय दोगुनी अथवा तीन गुनी हो जाए।

मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता हुई थी जब किसानों पर बकाया 73,000 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई थी। मैं चाहता हूं कि धन शहरी क्षेत्र से और व्यवसायिक समुदाय अथवा औद्योगिक समुदाय से हटकर गांवों में जाए।...*(व्यवधान)*

हां, यदि आप 4,75,000 करोड़ रुपए ऋण के नाम पर किसानों को देते हो इसका अर्थ है कि यह धन ग्रामीण क्षेत्र में गया है। यदि आज आप शिक्षा के लिए 60,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो यह ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है लेकिन इस मामले में श्रीमती सोनिया गांधी सहित यहां बैठे सभी प्रमुख नेताओं से पुन: मेरा यही विनम्र अनुरोध है। शिक्षा पर हम रु. 60,000 करोड़ से रु. 70.000 करोड़ व्यय कर रहे हैं। यह किस प्रकार की शिक्षा है? हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि कोई बीच में पढाई न छोड़े। गरीब परिवार से प्रत्येक बच्चा कम से कम 12वीं कक्षा का शिक्षा प्राप्त करे। यह ठीक है और यह एक अच्छी स्थिति है। अब, 12वीं कक्षा के पश्चात वह क्या करेगा? उसके पास कोई उत्पादक कौशल नहीं है। उसकी शिक्षा केवल 12वीं कक्षा अथवा बी.ए. अथवा एम.ए. है। फिर, बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी।

अत:, मेरा नम्र निवेदन है कि जैसे आप व्यक्तिगत रूचि लेकर मनरेगा को लाए और रु. 41,000 करोड़ आबंटित किए, कृपया सरकार को रु. 40,000 करोड़ कौशल विकास के लिए देने के लिए कहें। गांव के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को कोई-न-कोई कौशल प्राप्त हो सकेगा। जिस समय तक वह 12वीं कक्षा में पहुंचता है, वह एक अच्छा बढ़ई बन सकता; वह एक अच्छा ऑटो चालक बन सकता है; और वह एक अच्छा रसोइया बन सकता है। महोदया, आज देश में एक अच्छा रसोइया मिलना भी कठिन है।...*(व्यवधान)*

महोदया, वह समय शीघ्र ही आएगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राव, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

अपराह्न 1.00 बजे

डॉ. के.एस. राव : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के महत्व को समझ लिया है, हम ग्रामीण लोगों के लिए लाखों करोड़ रुपए देते रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गरीब वर्गों में जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं, उनके पास कुछ उत्पादक कौशल भी होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई उत्पादक कौशल होगा तो उसका आत्म-विश्वास बढ़ेगा। तब वह सोचेगा कि कोई काम पाने के लिए उसे अपने संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वह सोचेगा कि वह सक्षम है और कोई काम प्राप्त कर सकता है। यदि उसे कोई काम नहीं मिलता तो वह वस्तुओं का उत्पादन करेगा और जीविका चलाएगा।

यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ऐसा कहा है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक धर्मार्थ ट्रस्ट चला रहा था। मैं पिछले 25 वर्ष से कौशल प्रदान कर रहा हूं। छह अथवा सात वर्ष पूर्व हमारे आदमी कुछ मुस्लिम परिवारों के पास गए और उनकी महिलाओं को कुछ उत्पादक कौशल सीखने के लिए कहा। उन्होंने कहा 'इज्जत की बात' है, हम अपनी महिलाओं को घर से बाहर नहीं भेज सकते। मनाने पर उन्होंने कहा कि यदि हम महिलाओं के लिए अलग हाल रखें तो वे अपनी महिलाओं को भेज देंगे। हमने मेहनत की और उनको पृथक रूप से प्रशिक्षित किया। उनको प्रमाण पत्र देने के लिए हमने जिले की महिला कलेक्टर को आंमत्रित किया। हमने उनसे उनके इच्छानुसार किसी भी प्रशिक्षु महिला को चुनने और उससे प्रश्न करने को कहा। उन्होंने एक महिला प्रशिक्षु को चुना और उससे पूछा कि उसने क्या पाठ्यक्रम सीखा। उस महिला ने उत्तर दिया कि उसने फिनाइल बनाना सीखा है। फिर कलेक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह अभी फिनाइल बना सकती है और क्या उसमें इतना विश्वास है कि वह स्वयं फिनाइल बना सके। उस महिला ने दृढ़तापूर्वक गर्व के साथ जवाब दिया कि वह बना सकती है। फिर कलेक्टर ने उससे पुन: पूछा कि वह इसे बना क्यों नहीं रही थी तो महिला ने बताया कि उसके

पास धन नहीं है। तब कलेक्टर ने उससे पूछा कि वह कितना कमा सकती है। उसने उत्तर दिया कि फिनाइल बनाकर वह 150 रुपए प्रतिदिन कमा सकती है। तब कलेक्टर ने कहा कि यदि वह महिला निवेश चाहती है तो वह (कलेक्टर) निवेश कर सकती है और पूछा कि वह कितना निवेश चाहती है। यदि वह मेरी तरह कोई राजनीतिज्ञ होती, कोई कामगार होती अथवा कोई और भी होती तो वह तुरंत कहती कि उसे एक लाख रुपए की आवश्यकता है। लेकिन उस महिला ने कहा कि उसे 150 रुपए के निवेश की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति थी।

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि गरीब वर्गों के सभी लोगों को जिनकी संख्या काफी अधिक है, को किसी व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जाए तो जब तक हम उन्हें 12वीं तक शिक्षा देंगे तब तक उनमें पूरा आत्मविश्वास आ जाएगा और वे अपनी जीविका स्वयं चला सकेंगे। तब, उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री सारे बैंकों को जोड़ दें ताकि उनको दिए गए प्रत्येक रुपए को वे उचित ढंग से उपयोग में ला सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

हमने एक बजट बनाया है। यह 10 लाख करोड़ रुपए अथवा 20 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। लेकिन हमने बजट में जो दिया है, उसकी तुलना में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बैंकों में लाखों करोड़ रुपए पड़े हैं। एक बैंकर कर क्या कर्त्तव्य है? यह किसी के वित्तपोषण, उसे उत्पादन के लिए और फिर उक्त धन को वापस भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। यदि वे इस निधि को पुन: ऋण के रूप में उचित एव उत्पादक तरीके से यह ध्यान रखते हुए दे सकते हैं कि ऋण प्राप्त व्यक्ति ने इसके उचित प्रयोग से संपदा और स्वयं के लिए आय सृजन के लिए पर्याप्त कौशल प्राप्त कर लिया है, तो यह केवल उस व्यक्ति के लिए आय नहीं होगी, केवल उस व्यक्ति की संपदा नहीं होगी, बल्कि यह राष्ट्र की संपदा होगी। सकल घरेलू उत्पाद, जहां हम 5 से 8 प्रतिशत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, में 13 अथवा 14 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। शीघ्र ही हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। आज चीन कैसे उभरा है? यह उनके कौशल के कारण है। अथवा कहें कि मलेशिया अथवा कोरिया अथवा जर्मनी आज कैसे उभरे हैं? यह उस कौशल के कारण है जो उन्होंने विकसित किया है।

कांग्रेस दल के एक सदस्य के रूप में मैंने श्री प्रणब मुखर्जी को स्वास्थ्य परिचर्या जो एक महत्वपूर्ण बात है, के बारे में एक पत्र लिखा था। यदि आप स्वास्थ्य परिचर्या पर सेवा कर लगाते हैं तो यह आम आदमी को प्रभावित करेगा। अब हमारे पास पर्याप्त चिकित्सक नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं और हमारे पास उल्लेख करने तक के लिए अस्पताल नहीं यद्यपि आज हम काफी कार्य कर चुके हैं।

यदि हम यह सेवा कर लगाते हैं तो इससे स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है जिससे समाज के गरीब वर्ग प्रभावित होंगे। अत:, हमें स्वास्थ्य क्षेत्र पर सेवा कर नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। मुझे इस संबंध में बहुत खुशी हुई। इसी प्रकार, हमें ग्रामीण लोगों का ध्यान रखना है और उन्हें शिक्षित, सक्षम और किसी व्यवसाय में कुशल बनाना है। यह कठिन नहीं है। मैंने इसी संदर्भ में ये सारी बातें कही हैं।

खाद्यान्नों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है। हमारे पास वैसी ही एक किस्म है जिसका उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है जिसकी 25 लाख टन मात्रा मिलों में अथवा किसानों के गोदामों में बेकार पड़ी है। मैं श्री प्रणब मुखर्जी, श्री पी. चिदम्बरम और अध्यक्ष महोदया से एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। यदि वे इस उत्तम किस्म के चावल, कम से कम 20 लाख टन, के निर्यात की अनुमति देते है तो इस से आसमान नहीं फट पड़ेगा और न ही देश में इसके मूल्य आकाश को छूएंगे। यदि आवश्यक हो तो एक मूल्य स्थिरीकरण निधि, का संग्रह कर सकते हैं। वे दो रुपए, तीन रुपए अथवा पांच रुपए प्रति किलोग्राम ले सकते हैं और इस राशि को मूल्य स्थिरीकरण निधि के रूप में रख सकते हैं। आवश्यकता की स्थिति में, यदि आवश्यक हो तो तीन-चार वर्ष के पश्चात कमी हो तो वे इसका प्रयोग आयात के लिए कर सकते है। यदि वे इसकी अनुमति देते हैं तो किसानों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

पिछली बार, उनकी उपस्थिति में ही मैंने बताया था कि देश में 19 लाख टन खाद्य तेलों का आयात हो रहा है जिस पर 39 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च होती है जबकि हमारे किसान इतना उत्पादन कर सकते हैं बशर्ते उन्हें लाभकारी मूल्य मिले यह हमे देखना है। हम आयात कर रहे हैं, हम सीमा शुल्क में कमी कर रहे हैं और हम टीपीडीएस पर रु. 15 प्रति किलोग्राम की राजसहायता भी दे रहे हैं। यह करने के स्थान पर यदि आप तेल-उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य दें तो वे आपकी इच्छानुसार

[डॉ. के.एस. राव]

उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। हम कब तक आयात करेंगे? जब भी कमी होती है, आप आयात करते हैं। यदि आप आयात करते हैं तो वह वस्तु उत्पादित करने के लिए किसान को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। वह उस वस्तु के उत्पादन से हट जाएगा।

हमने चीनी की स्थिति देखी है। जब हमने गन्ने का सही मूल्य नहीं दिया तो गन्ने का उत्पादन कम हो गया था। जब इसके मूल्य में देश में कमी आई तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो चुकी थी। तब हमें इसे दोगुने मूल्य पर खरीदना पड़ा। आप इतना अधिक भुगतान क्यों करते हैं? हमें अपने किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि अधिशेष भी होगा तो वह हमारे पास ही रहेगा और हमें बाहर से धन प्राप्त हो जाएगा।

आज मुझे यह देखकर खुशी है कि देश में विदेशी मुद्रा का आरक्षित भंडार 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। यह बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात से खुशी है, लेकिन जब हम बारीकियों में जाते हैं तो पाते हैं कि यह व्यापार अधिशेष के कारण नहीं हैं। यदि हम अपने किसानों को निर्यात की अनुमति दें तो हम इसे व्यापार अधिशेष से भी प्राप्त कर सकते हैं। मछली का उदाहरण लीजिए। हमारे किसान हजारों करोड़ रुपए की मछली का उत्पादन कर सकते हैं। शर्त यही है कि हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। जिनमें ये लोग कार्य कर सकते हैं।

मैं यह उदाहरण देना चाहता हूं। जब मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंची तब वे सभी बहुत चिन्तित थे। यह ऊपर क्यों गई? यह फलों और सब्जियों के कारण हुआ। इसका क्या रहस्य है? तथ्य यह है कि फल और सब्जियां दो अथवा तीन दिन से अधिक नहीं चल पाती और उसके पश्चात वे सड़ने लगते हैं। इसलिए उनका तुरंत प्रयोग होना चाहिए। किसान को अपने उत्पादन का श्वेत में एक रुपया प्रति ईकाई का भी मूल्य नहीं मिलता जबकि उपभोक्ता को 30 रुपए देने पड़ते हैं। इसका कारण परिवहन सुविधाओं और भंडारण सुविधाओं की कमी है। इसलिए, मुझे पुन: खुशी है कि बजट में उन्होंने उन सब लोगों को प्रोत्साहन दिया है जो शीत भंडार, शीत भण्डागार की श्रृंखलायें और शीतागार युक्त परिवहन सुविधाएं स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? यदि उनकी वस्तुओं के दाम गिरते हैं, तो किसान खराब होने वाली वस्तुओं को, चाहे वे फल हों अथवा सब्जियां हों, उस समय शीत भंडारण सुविधा में रख सकते हैं और उन्हें उस समय बेच सकते हैं जब मूल्य अच्छा हो। यद्यपि सरकार सही रास्ते पर जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें और तेजी लाई जाए। मैं चाहता हूं कि सरकार में साहस हो। मैं जानता हूं कि विपक्ष साहस नहीं कर सकता।

मैंने पिछले कुछ बजटों में अपने भाषणों में बताया था कि भाजपा और अन्य दल कभी भी किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे खुशी है कि जब उन्होंने देखा कि यह सरकार पिछले छह वर्ष से ये सारे कार्य कर रही है उसके बाद अब वे किसानों के बारे में बात करते हैं। अब वे गली-गली नुक्कड़-नुक्कड़ यह मांग करते हुये कहते हैं कि किसान देश की रीढ़ हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे पहले क्या कर रहे थे? क्या कभी उन्होंने पहले इस बारे में सोचा था? क्या उन्होंने किसान को भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने का साहस किया था? नहीं। रिकार्ड ऐसा दर्शाते हैं, और यह मेरा भाषण नहीं है अथवा मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं।

हमें इस बात की भी खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस वित्त विधेयक में भी करों में वृद्धि नहीं की है, और उन्होंने उद्योग की भी उपेक्षा नहीं की है। एक संतुलन होना चाहिए। समानता होनी चाहिये। इसका कारण है कि जब तक उत्पादन नहीं होगा, तब तक वितरण नहीं होगा। इसलिए, उत्पादन के दौरान समावेशी वृद्धि का ध्यान रखा जाना चाहिए और समावेशी वृद्धि में भी, कौशल विकास देश में बहुत परिवर्तन लाता है। मैं चाहता हूं और माननीय सोनिया जी से एक बार पुन: प्रार्थना करता हूं कि कौशल विकास के लिए पर्याप्त धन प्रदान करने की ओर ध्यान दें। जिससे देश में वास्तव में परिवर्तन आएगा।

जब हम चीन को देखते हैं तो हमें खेद होता है और हम बेइज्जत महसूस करते हैं। जो देश 15 वर्ष पूर्व हम से पीछे था, अब छह ट्रिलियन डालर की आय के साथ एक बड़ा देश बन चुका है जबकि हमारा सकल घरेलू उत्पाद दो ट्रिलियन डालर है, लेकिन हमारे देश के लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं; हमारे लोग ज्यादा सक्षम हैं; और हमारे देश के लोग अच्छा काम कर सकते हैं। हमें केवल उन्हें प्रेरित करना होता है। हमें इस प्रकार के कानून बनाने चाहिएं कि जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिये, उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हो, और प्रत्येक नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि जो कौशल उसने प्राप्त किया है, उसके कारण वह इस देश का एक योग्य नागरिक है।

सभापति महोदय : धन्यवाद, डॉ. के.एस. राव।

सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.11 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.19 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.19 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

वित्त विधेयक, 2011 - *जारी*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौडा (हसन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन 2011-12 के बजट पर सामान्य चर्चा हुई, मैंने रेशम पर आयात शुल्क कम करने का मुद्दा उठाया था। उस दिन, समय की कमी के कारण, माननीय वित्त मंत्री उसका उत्तर नहीं दे सके थे। मैंने भी उस वातावरण में, जब सभा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी उनको बाधित नहीं किया।

भारत में भी सर्वाधिक मूल्यवान रेशमों में से एक का उत्पादन होता है, मैं कर्नाटक में उत्पादित होने वाले रेशम की गुणवत्ता के बारे में नहीं दोहराना चाहता हूं। चीन 1,26,995 मीट्रिक टन से अधिक रेशम उत्पादन करता है जबकि भारत लगभग 19,690 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है। इसमें से, कर्नाटक 7,260 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है जो सर्वोच्च गुणवत्ता वाले रेशम में से एक है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय के पश्चात् विभिन्न रेशम उत्पादन कार्यकलापों यथा शहतूत कृषि, रेशम कीट पालन, रेशम का गोला बनाने, धागा निर्माण, रंगाई, बुनाई आदि के कार्य में लगभग 11 लाख लोग लगे हुए हैं। इस कारण से, रेशम उत्पादक किसान अब आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। माननीय वित्त मंत्री ने कृषि के अन्य क्षेत्रों में अनेक छूटें दी हैं। मैं उन सब को उद्धृत नहीं करना चाहता। मेरी मुख्य चिंता यह है कि रेशम उत्पादन नकदी और श्रम-प्रधान फसल है। मैं इस सभा में इस मुद्दे पर अनेक बार चर्चा कर चुका हूं। इस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? प्रतिकूल प्रभाव यह है कि कोकून का मूल्य रु. 300 से रु. 170 प्रति किलोग्राम पर आ गया है। उच्च गुणवत्ता वाले रेशम का मूल्य रु. 380 से रु. 180 पर आ गया है। इसके अलावा, कच्चे रेशम के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इस प्रतिकूल प्रभाव के कारण किसान अब दयनीय दशा में हैं। केवल भाषण देकर मैं माननीय वित्त मंत्री को विश्वास नहीं दिला सकता। इस मुद्दे पर उन्हें एक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। 10,000 से अधिक किसानों ने दिनभर सड़क को अवरूद्ध रखा। मैसूर से बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिनभर कोई पुलिस अथवा राजस्व अधिकारी नहीं था। वे अधिकारियों के किसी उत्तर से आश्वस्त नहीं हुए। लेकिन वे हिंसक गतिविधियों पर उतारू भी नहीं हुए। हमें किसानों के धैर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें स्थानीय अधिकारियों के झूठे वादों पर कभी विश्वास नहीं हुआ।

क्या मैं नम्रतापूर्वक इस पहलू की जांच का अनुरोध कर सकता हूं। आखिर इस कमी से आपको क्या मिलेगा? इससे आपको कितनी बचत होगी? आप औद्योगिक क्षेत्र में अनेक छूटें दे रहे हैं। मैं वह सब उद्धृत नहीं करना चाहता। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने अनेक विचारोत्तेजक मुद्दे उठाए हैं। मैं भी लगभग उन सभी मुद्दों पर बात कर सकता हूं। मुझे वित्त मंत्री के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जो कुछ हमने उन 10 महीनों में किया था उसके मैं अनेक दृष्टांत दे सकता हूं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं।

महोदय, वह प्रतिकूल प्रभाव क्या है? उपर्युक्त के अलावा, बड़ी मात्रा में रेशम का आयात किया जाता है, फिर, वांछित मात्रा का दुरूपयोग भी होगा। और वांछित मात्रा का स्थानीय बाजारों में व्यापार करके कुछ निहित स्वार्थी तत्त्वों द्वारा उसका दुरूपयोग किया जाएगा जिससे कोकून और कच्चे रेशम के मूल्य प्रभावित होंगे। यह पहली बात है।

दूसरी बात, चीन, जो मुख्य उत्पादक है, देश में अत्यधिक रेशम भेजने का पुनः प्रयास कर सकता है जो भारतीय रेशम उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और आंतरिक रेशम व्यापार को निर्देशित कर सकता है। तीसरी बात, आयात शुल्क में कमी की नीति विश्व व्यापार विनियमों के उपबंधों के विरूद्ध है जिसमें कहा गया है, "किसी देश में अपेक्षाकृत सस्ती दर पर किसी कच्चे माल का आयात अथवा

[श्री एच.डी. देवगौडा]

पाटन की अनुमति देना, जिसके परिणामस्वरूप गरीब और सीमांत किसानों की जीविका प्रभावित होगी प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।''

चौथी बात, कच्चे रेशम के मूल्य रु. 2800 से गिरकर रु. 2000 प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। औसत कोकून मूल्य भी रु. 300 से रु. 175 प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। यह केवल किसानों और बुनकरों की जीविका पर ही गंभीर प्रभाव नहीं डालेगा बल्कि यह उस प्रक्रिया को भी शुरू कर देगा जिससे भारत में कच्चे रेशम की कमी बनी रहेगी। रेशम उत्पादक किसानों के हित में, इस बात की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है कि भारत चीनी कच्चे रेशम के आयात पर शुल्क में कमी पर पुनर्विचार करे और सीमा शुल्क को 35 प्रतिशत से पुन: 30 प्रतिशत करे जो पहले लागू था। यह रेशम उत्पादक किसानों को बचा लेगा। इस संबंध में सरकार और विशेष रूप से वित्त मंत्री को यह निर्णय लेने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

आज शुरूआत में, वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने बजट चर्चा में उठाए गए कुछ बिन्दुओं अथवा समर्थन या विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया था। इसे मैं माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार को इस बात के लिए आश्वस्त करने के अवसर के रूप में देखता हूं कि वह मूल सीमा शुल्क की बहाली करेंगे जो 30 प्रतिशत पर लागू था। मेरा यही विनम्र अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सम्मानित वित्त मंत्री जी हमारे बड़े विद्वान वित्त मंत्री हैं, अभी हमने उनको भी सुना और राव साहब हमारे मित्र हैं, उनको भी सुना। 28 फरवरी को बजट सदन में प्रस्तुत हुआ, उसमें बहुत सारी बातें थीं, जिन पर हमने इसी सदन में बड़े विस्तार से चर्चा की थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी हाल ही में जो विदेशों में विभिन्न घटनाएं घटी हैं, चाहे वह जापान की सुनामी हो या भूकम्प का मामला रहा हो, तमाम जगह लोकतंत्र की बहाली और सैन्य शासन को हटाने के लिए मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, अफ्रीका आदि तमाम देशों में इस समय लड़ाई छिड़ी हुयी है। अभी इसी सदन में लीबिया के बारे में हमारे सम्मानित नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात कही और तमाम माननीय सदस्यों ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। यह बात सत्य है और वित्त मंत्री जी ने चिंता भी व्यक्त की कि तमाम देशों में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की कि आने वाले समय में आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। खासकर जब डीजल, पेट्रोल या पेट्रो-प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी होती है और जब इनमें बढ़ोत्तरी होती है, तो महंगाई भी बढ़ती है। इस बजट में उन्होंने तमाम घोषणायें की हैं, मैं उन पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। इसके पहले भी बजट चर्चा में मैंने यह बात कही थी कि अगर बजट बने तो वह ग्रामीण उन्मुख हो। उसमें खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसे ध्यान में रखकर ही बजट बनाना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान में 70 प्रतिशत कृषि पर आधारित लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और केवल तीस से पैंतीस प्रतिशत लोग ही शहरों में रहते हैं।

भारत निर्माण के संबंध में तमाम बातें यहां बजट चर्चा में भी हो चुकी हैं, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। राव साहब ने एक सुझाव दिया कि भारत निर्माण के जो घटक हैं, उसमें आवास की बात कही और कहा कि जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको जमीन भी दी जाए और आवास भी दिया जाए। इस बजट में मैदानी क्षेत्रों में 45 हजार रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 48 हजार रुपए आवास के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम लाख, सवा लाख रुपए में जमीन भी मिले और एक अच्छा सा मकान बने, ताकि आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल को मिल सके। सवाल यह उठता है और इस पर इसी सदन में हमने कई बार चिंता भी व्यक्त की कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कितने लोग हैं, हम उनकी संख्या ही तय नहीं कर पाए हैं। हमारा बजट ग्रामीण क्षेत्रों पर जाता है, लेकिन उन तक बहुत कम पैसा पहुंच पाता है। इसके लिए इस सदन ने कई बार चिंता भी व्यक्त की है। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जो घटक हैं, जैसे ग्रामीण आवास है, सिंचाई है, पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, टेलीफोन कनेक्टिविटी की बात है, अभी 73 हजार

गांव ऐसे भी हैं, जहां हम पंचायत भवनों का भी निर्माण नहीं कर पाए हैं, जो चिंता का विषय है। स्वच्छ जल की बात हमने कर है, चाहे राष्ट्रीय स्वजलधारा योजना हो या राजीव गांधी शुद्ध पेयजल मिशन की बात हो, हम अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा पाए हैं। उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है, मंत्री जी यहां उपस्थित है, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, पहले भी सदन में इस बात पर चर्चा उठी है कि हमारे संसद सदस्य चाहे लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों, खासकर मैं लोक सभा की बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जनता द्वारा चुनकर आते हैं। हम जब जनता के बीच जाते हैं तो तरह-तरह की डिमांड वहां हमसे होती हैं, लोग हैंड पंप मांगते हैं, सड़क भी मांगते हैं, बीपीएल की भी बात करते हैं, पीडीएस की भी बात करते हैं और भी तमाम तरीके की बातें वहां उठती हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसमें कम से कम 10 या 15 प्रतिशत योजनायें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से प्रस्तावित करा दें, तो मेरे ख्याल से बहुत सी समस्यायें दूर हो जाएंगी। हम जानते हैं कि संघीय ढांचे में प्रदेश की सरकारों को हैंड्रेड पर्सेंट आपने सुविधा दी है, लेकिन उसमें से अगर 5, 10 या 15 प्रतिशत संसद सदस्यों द्वारा योजनायें मांग ली जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ समस्यायों का निराकरण हो सकता है।

यहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात बड़ी विस्तार से चली है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वर्तमान बजट में आज भी अगर हम मूल्यांकन करें, हमने सर्वे कराया है, मुश्किल से हर बेरोजगार को 50-60 दिन का रोजगार मिल पाया है और बजट में जो व्यवस्था की गई है, उसमें आपने जो व्यवस्था की है, उससे सौ दिन का रोजगार मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है।

दूसरी तरफ अभी टैक्सेज के बारे में बड़े विस्तार से यहां पर बातें हुई हैं। हम लोगों के पास तमाम रेडिमेड गारमेंट्स व्यवसाय से जुड़े लोग आए और सेवा कर से संबंधित बातों को लेकर तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। रेडिमहैड गारमेंट्स पर आपने 4.5 परसेंट केवल कम किए हैं। मेरे ख्याल से जय प्रकाश अग्रवाल जी भी बोलना चाहते थे लेकिन उनकी बात आ नहीं पाई। इस पर जरा गंभीरता से बात कर लें। रेडिमेड गारमेंट्स के जो हमारे उत्पादक हैं उनसे वार्ता करके उनको क्या असुविधा हो रही है उसके अनुसार आपको टैक्स पर छूट देनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जितने भी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित, चाहे वे अनाज हों, अनाज से लेकर तमाम वस्तुओं का हम आयात करते हैं या उत्पाद करतें हैं उसमें आपको टैक्स को कम करना चाहिए। तभी हम यहां पर उसका उपभोग कर सकते हैं और बाहर विदेश में भी भेज सकते हैं। होता क्या है, जब हम निर्यात करतें हैं या बाहर से मंगाते हैं उस पर टैक्सेज लगते हैं यहां के तमाम हमारे बहुत से आवश्यक वस्तुएं जिसका उत्पादन हम करते हैं उससे महंगे दामों पर हम मंगाते हैं तो भारतवर्ष की जो हमारी पूंजी है, वह विदेशों में जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हम उत्पादन करते हैं उसपर टैक्सेज में कमी करके हम बाहर भेजें और विदेशी मुद्रा को हम अपने भारतवर्ष में लाएं। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी बजट में आपने प्रावधान किया कि आपने सिल्क पर छूट दी लेकिन सूती और खादी पर आपने बजट में कोई जिक्र नहीं किया जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, मंत्री जी आज भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वे सूती वस्त्र पहनती हैं। अभी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी ने साउथ सिल्क पर चिंता व्यक्त की। हमारे यहां भी उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, बनारस की साड़ी बहुत ही फेमस है। बगल में हमारे सम्माननीय सांसद जी बैठे हैं जहां पर बुनकर लोग हैं, उसके क्षेत्र में भी कालीन बनता है। तमाम वस्तुएं जो हम उत्पादन करते हैं, वस्तुएं बनाकर हम विदेशों में भेजते हैं, कम से कम इनके लिए हमको स्पेशल तौर पर सब्सिडी भी देनी चाहिए और टैक्सों में छूट देनी चाहिए। अभी मेरे ख्याल से सम्माननीय सदस्य बोलेंगे तो कालीन उद्योग पर जरूर अपनी बात विस्तार से रखेंगे। सेवा कर के बारे में तमाम सदस्यों ने यहां पर बातें रखी हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया जी का कल जन्मशताब्दी समारोह भी है। उन्होंने कहा था कि इस देश में रोटी कपड़ा सस्ता हो और दवा पढ़ाई मुफ्त हो। इस ओर भी हमारे राव साहब ने भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बड़े विस्तार से बातें कहीं। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन कुछ होटल पर सेवा टैक्स या पर्यटन पर कुछ टैक्स बढ़े हैं उसको भी कम करने की बात है। इसका आप मूल्यांकन कर लें। जो उस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को बुलाकर बात करें लें तो मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा और इससे जो है कि हमारे यहां का उत्पादन बढ़ेगा और हमें विदेशी पूंजी भी मिलेगी जिससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

जहां तक आपने अस्पतालों के बारे में सेवा कर में छूट दिया, परीक्षण और जांच में थोड़ा सा छूट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

भारत के संविधान में भी यह बात है कि शिक्षा रोजगार और उनको जो सही मायने में उनको अस्पताल में सुविधा मिले और सबका इलाज सस्ता हो। यह बात हमने रखी कि सबको सस्ती शिक्षा मिले। यह बात हमने संविधान में भी लिखी है। लेकिन हम उस पर विशेष तौर पर नहीं जा पाएं हैं। समय-समय पर हम टैक्स बढ़ाते हैं लेकिन अभी जो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है उससे कुछ छूट मिली है। लेकिन इस पर भी हमको विस्तार से मूल्यांकन करने की जरूरत है। महिलाओं के बारे में बजट में भी हम लोगों से सुना, अभी भी सुना, पिछले बजटों में देखा गया कि महिलाओं पर टैक्स में छूट दी गई थी इनकम पर लेकिन यह बात सत्य है कि हम यहां पर पुरुष प्रधान देश है ऐसा कहते है लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण पर यहां पर समय समय पर बात होती हैं, आरक्षण की भी बात होती है हम लोग उसके पक्ष में हैं।

महिलाओं को भी टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। आपने बुजुर्ग लोगों की एज में रिलैक्सेशन किया है और टैक्स में छूट दी है, लेकिन महिलाओं के बारे में इस बजट में कोई घोषणा नहीं की। आपको इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा।

हमारा बजट ऐसा बने कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज भी 70 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं दे पाते, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। इससे बड़े-बड़े शहरों और कस्बों पर भार पड़ रहा है। दिल्ली की बात है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से गरीब लोग यहां रोजगार करने आते हैं। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और तमाम ऐसे बड़े महानगर हैं जहां लोग जाते हैं। उन पर तरफ-तरफ की टिप्पणियां उठती रहती हैं कि बहुत गंदे लोग हैं, यहां आकर अराजकता फैलाते हैं, गंदगी करते हैं। इस टिप्पणी से बचने के लिए हमें ग्रामीणोमुख बजट रखना चाहिए। उनके टैक्सेज पर छूट देनी चाहिए।

मैं किसानों के बारे में बात करना चाहूंगा। किसान जो उत्पाद करता हूं, चाहे रेशम उद्योग हो, नारियल उद्योग हो या अन्न के मामले में हो, उसे उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आज साउथ से लेकर, उत्तर भारत में यह बात नहीं है लेकिन ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कर्ज से मजबूर हो जाता है, वह आत्महत्या करता है। जानकारी न हो, लेकिन साउथ की जानकारी ज्यादा है, इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं। हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर किसान को बिजली, पानी मिले। उसे बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए। उसे बीज सस्ते मिलने चाहिए। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, छूट मिलनी चाहिए। तब हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और विदेशों में भी अन्न भेज सकते हैं। यह बात सत्य है कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। हम अनाज बाहर नहीं भेजते, कभी-कभी विदेशों से गेहूं भी मंगवा लेते हैं। यहां जिस दाम पर गेहूं मिलता है, उससे कहीं ज्यादा दाम पर बाहर से मंगवाते हैं। अगर हम किसानों को सब्सिडी दें, सस्ते दर पर ऋण मुहैया करवा दें, तो मेरे ख्याल से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि उत्पाद से ही भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।

बेरोजगारी भी बढ़ी है। हम लोगों को कैसे रोजगार दे पाएं। जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए रोजगार कैसे मुहैया कर पाएं। यह नहीं कि आपने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू कर दी तो उससे देश में बेरोजगारी कम हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है, खासकर शिक्षित लोग, टैक्नीकली एजुकेटेड लोग, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा को डायरैक्ट रोजगार से जोड़ें। जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसका इंटरस्ट देखें। जहां उसका इंटरस्ट हो, उसे उस ओर रोजगार से जोड़ना चाहिए। यदि हम यह व्यवस्था कर देंगे तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है।

अभी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि केन्द्रीय कर्मचारियों को छः प्रतिशत डीए दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि वेतनमान की भी विसंगतियां हैं। राज्य सरकारों में तमाम विभाग हैं, उनकी तमाम बातें उठती रहती हैं कि हमें केन्द्र के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। हमें उसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो सरकारी या राज्य कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम ऐसा वेतन मिले जिससे वे अपना घर चला सकें, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चे आत्मनिर्भर हों और आगे चलकर उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। इसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा।

यहां पीडीएस सिस्टम की बात हुई। समय-समय पर देखा गया, केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि हम इस दर पर गेहूं, चावल मुहैया करवाएंगे। राज्य सरकारें भी हमेशा कहती रहती हैं। आज जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो गांवों के गरीब लोग यही

शिकायत करते हैं कि हमें मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता, चावल, गेहूं नहीं मिल पाता, यहां तक कि त्योहारों में जो चीनी उपयोग करते हैं, तीज, त्योहारों में ही चीनी मिलती है, वह भी नहीं मिल पाती।

पीडीएस सिस्टम में बहुत गड़बड़ है, इसलिए इसे भी सुधारने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा कुछ न कहकर सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जो चंद सुझाव दिये हैं, उन तमाम बातों का गंभीरता से मूल्यांकन करते हुए देखें कि हम क्या कर सकते हैं? खासकर हमारा उत्पाद ज्यादा हो, हम निर्यात करें, बाहर भेजें, विदेशी मुद्रा आये, ताकि हमारे देश की इकोनामी, आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो और हम आत्मनिर्भर हो सके। जो आने वाला संकट है, हमारी आतंरिक और सीमाओं पर जो असुरक्षा है, उन सभी पर हम लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। देश आत्मनिर्भर हो, इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्त विधेयक 2011 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वित्त मंत्री श्री प्रणब दा ने अपने बजट के प्रस्तुतीकरण में और आज भी बहुत कुछ बातों का जिक्र किया और उसके बाद हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने अपनी जो बातें कही, मैं उन सबको बहुत घ्यान से सुन रहा था। हमने बजट की बुकलेट का भी अध्ययन किया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दो-तीन बिन्दुओं की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने बजट विधेयक के प्रस्तुतीकरण में लीबिया, जापान की समस्या से सदन को अवगत कराते हुए अपने देश की नीति के बारे में बताया। उसके साथ-साथ बुनकरों, सेवा कर, अस्पताल में जांच कर में छूट के संबंध में भी कुछ बातें कही हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस तरफ में मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह देश गांवों में बसता है और गांव में किसान बसते हैं। इस देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। बजट में शहरों, पूंजीपतियों और बड़े व्यापारियों का विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन उन गांवों में रहने वाला किसान, मजदूर, बुनकर और सामान्य जीविकोपार्जन करने वाला, लघु, मध्यम, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग से जीवन चलाने वाला व्यक्ति जो देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निर्वहन करता है, उसकी तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान कम गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब गांव के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनके पास पैसा आयेगा, तभी इस देश का विकास हो पायेगा। इसके लिए उन किसानों की सुविधाओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बजट में किसानों के लिए सस्ता ऋण, कम ब्याज दर पर कृषि उपकरण के लिए ऋण और अन्य चीजें जो किसानों के लिए आवश्यक हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, गांव में उत्पाद होते हैं, लेकिन बिचौलिये उसका लाभ उठा लेते हैं। गांव के उत्पादकों, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, चाहे वह खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, फल, सब्जी, अंडे, दूध इत्यादि चीजें हों। इसके लिए भंडारण की जरूरत है। आज गांवों में जब वस्तुएं पैदा होती हैं, तो बिचौलियों के माध्यम से सस्ते दामों में खरीद ली जाती है। उसका सीधा-सीधा लाभ बिचौलिये लेते हैं। इस बजट के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पर, ब्लाक स्तर पर भंडारण की व्यवस्था करके उनके उत्पाद को रखने की सुविधा प्रदान की जाये, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

महोदय, गांवों में बेहाली, गरीबी और बेरोजगारी है। उसे दूर करने के लिए, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि गांव में शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन आज भी प्राविधिक शिक्षा नहीं मिल रही, टेक्नीकल शिक्षा नहीं मिल रही। आज गांव में उस प्राविधिक, टेक्नीकल शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आगे जब वे नौजवान अपनी शिक्षा समाप्त करके नौकरी की तलाश में निकलें, तो उन्हें नौकरी मिल सके। आज गांव में यह विकास करने की जरूरत है।

महोदय, आज महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने अपने बजट में इसे रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं बताया है। आज सामान्य उपभोक्ता प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर आदि के बोझ से पिस रहा है, लेकिन जहां उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए, वहां वित्त मंत्री जी का ध्यान कम गया है। महंगाई तभी रूकेगी, जब सबसे पहले कालाबाजारी और स्टॉकिस्ट्स पर अंकुश रखा जाए, इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं ताकि स्टॉकिस्ट्स और कालाबाजारियों पर अंकुश लगे, उनको डर हो कि अगर हम ऐसे करेंगे, तो सजा मिलेगी।

[श्री गोरखनाथ पाण्डेय]

ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे वे देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित न कर पाएं।

महोदय, गांवों में जहां सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, सामान्य ढंग से खेती-बाड़ी करते हैं, रोजी-रोजगार के लिए वे बैंकों से ऋण लेने जाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां सरकार यह नीति बना रही है कि गांवों में सामान्य व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर या निशुल्क ऋण प्रदान किया जाएगा, वहीं बैंकों से ये सुविधाएं लोगों को भी मिलती हैं। आज जब बैंक में सामान्य किसान-मजदूर छोटा-मोटा कर्ज लेने के लिए जाता है, उसे बिचौलियों के माध्यम से पैसे देकर ही कर्ज मिल पाता है, उनकी फाइलें चलती रहती हैं, जब तक वे पैसे नहीं देते हैं, उनकी फाइलें पूरी नहीं की जाती हैं, उधर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सरकार की मंशा है कि लोग छोटे-मोटे, लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योग-धंधों से अपना जीविकोपार्जन करें, देश की आमदनी बढ़े और लोग सुखी हों। इसके लिए बैंकों पर अंकुश रखने की जरूरत है ताकि उन लोगों को सरकार की नीति और नीयत के हिसाब से ऋण मिल सके।

महोदय, किसानों को बासमती चावल, गन्ना, जूट, कपास या रेशम, जिसकी बात अभी हमारी पूर्व प्रधान मंत्री जी कह रहे थे, में प्रोत्साहन चाहिए, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भदोही कालीन के लिए विश्वविख्यात रहा है। उस क्षेत्र के कई ऐसे जिले जैसे भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र, बनारस, इलाहाबाद आदि हैं, जहां बुनकर गांवों में अपने कुटीर उद्योग के रूप में कालीन की बुनाई का काम करते हैं और हजारों करोड़ रुपये का निर्यात अब भी होता है, पहले भी हुआ करता था। चाइल्ड लेबर के नाम पर, बुनकरों के सामने ऐसी कठिनाई आई, वैश्विक मंदी आई, लेकिन विशेष रूप से चाइल्ड लेबर के नाम पर इस देश के कालीन उद्योग को बदनाम किया गया, कालीन उद्योग प्रभावित हुआ। पहले कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव मिलता था, वह भी आज बंद हो गया है। यहां तक कि विदेशों में इसको इतना बदनाम किया गया कि बुनकर लोग धीरे-धीरे बेरोजगार होते गए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कालीन उद्योग को उठाने के लिए कोई और योजना बनाएं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की तर्ज पर कम ब्याज पर उन्हें ऋण मुहैया कराएं। गांव का वह गरीब, किसान, मजदूर, जो अपनी झुग्गी-झोपड़ी में रहकर कुटीर उद्योग के रूप में अपने ही परिवार के साथ उस उद्योग को चलाकर हजारों करोड़ रुपये इस देश के लिए अर्जित करता है, उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

महोदय, मेरा क्षेत्र भदोही बनारस से लगा हुआ है, वहां की जरी, सिल्क उद्योग, बनारसी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन आज चीन से सस्ती साड़ियां आ रही हैं, कंपेरिजन में लोग चीन की साड़ियां खरीद रहे हैं, बनारसी साड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। बनारसी साड़ियां अपनी तकनीकी, कला और सौन्दर्य में विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थीं। वहां जितने मजदूर लगे हुए थे, जिनका पैतृक व्यवसाय था बनारसी साड़ियां बनाना, आज वे सभी बेघर हो रहे हैं, वे आज भूखे मर रहे हैं, उधर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। रेशम उद्योग में जो कच्चा माल है, उस पर आपने आयात शुल्क कम किया है, उसको समाप्त करें और अपने देश में इसका उत्पादन बढ़े, इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। गांवों में रहने वाले ऐसे लोग जो रोजी-रोटी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, अगर उनको ये सुविधाएं गांवों में मुहैया कराई जाएं, अगर उधर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाए, तो यह भारत विकसित होगा। यह देश तभी उठ पाएगा, जब यहां का गांव विकसित होगा, यहां के लोग रोजी-रोटी की तलाश में शहरों को पलायन नहीं करेंगे। इसके लिए जरूरत है किसानों की सुविधाओं पर ध्यान दें, मजदूरों की सुविधाओं पर ध्यान दें, गांवों में अत्यधिक बिजली मुहैया कराई जाए, किसानों को उचित समय पर सस्ते दर पर बीज, खाद एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि देश का विकास तभी होगा, जब गांवों में रहने वाले गरीबों का विकास होगा, क्योंकि देश की असली तस्वीर तो गांवों में है और गांवों का विकास ही असली विकास है। इसलिए इधर ध्यान दिया जाए। गांवों में रहने वाले किसानों का, बुनकरों का, मजदूरों का, श्रमिकों का विकास करके इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। साथ ही देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर देश का विकास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट प्रस्तुतीकरण के समय हमने उस पर विस्तार से चर्चा की थी। वित्त विधेयक पर चर्चा वास्तव में बजट पर

चर्चा नहीं है। इसमें हम केवल उन्हीं प्रस्तावों और विचारों पर चर्चा कर सकते है जिन्हें माननीय मंत्री ने अपने कराधान प्रस्तावों में रखा है। अत:, यह चर्चा केवल उन्हीं मुद्दों तक सीमित रहनी चाहिए।

इसीलिए, हमने केवल कुछ कर प्रस्तावों का सकारात्मक रूप से ही विरोध किया जिनमें चर्चा शुरू करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने सुधार कर दिया गया है। हमने सोचा कि उपचार हेतु अस्पतालों पर सेवा कर लगाना अनुचित निर्णय धन माननीय वित्त मंत्री ने अपनी आरंभिक टिप्पणियों में इस मुद्दे पर विचार किया है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा सिले सिलाए वस्त्रों और हौजरी पर लगाया गया दस प्रतिशत उत्पाद शुल्क है जिससे यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इससे देशभर के अल्प संख्यक समुदायों और बुनकरों पर प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी है। मैं इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा।

मैं यहां उपस्थित श्री पी. चिदम्बरम द्वारा दिए गए भाषणों का उल्लेख करना चाहूंगा चैंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने वर्ष 2004 में एक ज्ञापन में सूचना दी थी कि तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने स्पष्ट रूप से कहा था।

''उद्योग का खंडित स्वरूप अनिवार्य उत्पाद शुल्क को हटाए जाने का एक मुख्य कारण था। तब से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उद्योग अब भी खंडित और असंगठित है।''

इसके अतिरिक्त संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रतिपक्ष की नेता होते हुए वर्ष 2003 में यह कहते हुए पत्र लिखा था कि सरकार को सिले-सिलाई वस्त्र उद्योग पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाना चाहिए। अत:, हमारा विश्वास है कि चैंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री और कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल हौजरी एंड रेडिमेड गारमेंट्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से सरकार से यह अपील की है। मुझे आशा है कि सदस्यों और अधिकांश राजनीतिक दलों की भी यही राय है कि इस क्षेत्र को दस प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने से बचाने की आवश्यकता है।

श्री के.एस. राव ने अपने निवेदन में कहा था कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है। मेरे विचार से किस क्षेत्र को विशेष दल से जुड़ा हुआ घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पर बहुत से व्यापारी हैं। वे संप्रग सरकार के सिद्धांतों में पूरा विश्वास रखते है। वे हमारी नीतियों और सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। अत:, हमें किसी ऐसे क्षेत्र का श्रेणीकरण नहीं करना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि व्यापारी हमेशा भाजपा के साथ रहते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

अत: माननीय वित्त मंत्री जी जो कि पश्चिम बंगाल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, से अपील करता हूं कि वहां स्थिति वास्तव में गंभीर है। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने कोलकाता शहर में भीड़ जुटाई जहां लोगों की संख्या एक लाख से अधिक थी। लोग वहां एकत्र हुए और उन्होंने दस प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने का विरोध किया जिसे हमारे अनुसार, नि:संकोच वापस लिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, वर्तमान में बजट में, प्रत्येक व्यक्ति हेतु आयकर की दर 1,80,000 शून्य तक प्रस्तावित है। हमारा प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 2,00,000 रुपये किया जाए। इसपर भी गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री का ध्यान रेलवे चल स्टाक अर्थात शीर्ष 8601 से 8606 के अंतर्गत माल पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, रेलवे को वर्ष 1995 से निरंतर इस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। इस छूट का कारण सभी को पता है। रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखा है और वह समाज के गरीब से गरीब वर्गों की आवश्यकता पूरी करती है। रेलवे पर डालें गए किसी भी अतिरिक्त भार का इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

वर्ष 1995 से अब तक पहली बार केंद्रीय बजट 2011-2012 में इस छूट को वापस लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप चल स्टॉक पर प्रतिवर्ष लगभग 130 करोड़ रुपये का अधिक खर्च होगा। इसका परिणामी प्रभाव रेलों द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर महंगाई के रूप में पड़ेगा।

महोदय, आप जानते हैं कि रेलवे ने आम आदमी को किसी अतिरिक्त भार से बचाने के लिए अपने किराए में वृद्धि नहीं की है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह चल स्टॉक पर तत्काल उत्पाद शुल्क की छूट की व्यवस्था पुन: लागू करें।

[श्री सुदीप बंदोपाध्याय]

अत:, इन प्रस्तावों पर निश्चित निर्णय लेने हेतु हम इन्हें सरकार के समक्ष पुरजोर ढंग से रखते हैं। संप्रग सरकार के साथ दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में तृणमूल कांग्रेस यह महसूस करती है कि हमें ऐसे मुद्दों पर कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए अथवा कराधान नहीं करने चाहिए जिससे कि कुछ विशेष वर्गों में जबर्दस्त गुस्से की लहर फैले और वे स्वयं को मुख्यधारा अलग-थलग महसूस करें और अपनी आजीविको वर्णन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

अत:, महोदय, ये ऐसे कुछ ठोस प्रस्ताव हैं जिन्हें हम सभापटल पर रखते हैं और हम उनपर विशिष्ट उत्तर चाहते हैं तथा यह चाहते हैं कि आज जब माननीय वित्त मंत्री वित्त विधेयक पर उत्तर दें तो इन कर प्रस्तावों को पूरी तरह वापस लें।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक पर अपने भाषण को शुरू करने से पूर्व डॉ. के.एस. राव का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस की ओर से वित्त विधेयक पर चर्चा आरंभ की है। यद्यपि, मेरे विचार से उनका भाषण वित्त विधेयक से संबंधित नहीं था तथापि वह अपने लंबे भाषण में किसानों और ग्रामीण गरीबों के लिए आंसू बहा रहे थे। मैं नहीं जानता कि क्या संप्रग सरकार-II अंसू बहायेगी अथवा वे घडियाली आंसू बहाएगी जो वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बहाती रही है। इनकी नीतियों के कारण गत 15 वर्षों के दौरान दो लाख सत्रह हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है।

अपराह्न 3.05 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सरदीना *पीठासीन हुए*]

महोदय, अपने भाषण पर आने से पूर्व वित्त विधेयक 2011 पर चर्चा में भाग लेते समय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक पर भारी निराशा व्यक्त करता हूं।

अनेकों बड़े घोटालों में फंसी सरकार का केंद्रीय बजट 2011-12 महंगाई घटाने और बड़े पैमाने पर गरीबी और बेराजगारी को कम करने की मुख्य चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से असफल रहा है। बजट की कुछ मुख्य चिंताएं यही हैं।

राजस्व प्रस्ताव के संबंध में यह धनी व्यक्तियों विशेषकर निगमित क्षेत्र को विशेष रियायतें देता है। इस बजट का उद्देश्य घटते हुए अप्रत्यक्ष करों द्वारा परिणामी राजस्व घाटे को अप्रभावी करना है। यह खाद्य, उर्वरकों और ईंधन पर मुख्यत: निर्धन-हितैषी राजसहायता को घटाकर व्यय में कटौती के माध्यम से राजकोषीय घाटे को कम करना चाहता है।

भारत की दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या के जीवन को प्रभावित करने वाले कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के मुख्य क्षेत्रों हेतु केंद्रीय योजना परिव्यय को वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के बजट में वास्तव में घटा दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और इसी प्रकार की अन्य जरूरते जो आम आदमी के लिए युद्ध महत्व का विषय है, के लिए सरकार पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पा रही है।

इस बजट में ''समावेशी विकास'' सुनिश्चित करने के लिए संप्रग सरकार के वादो के रूप में थोड़ा पर मूल्यवान पैकेज प्रस्तुत करता हैं। सामाजिक क्षेत्र और आबादी के वंचित वर्ग जैसे महिलायें, बच्चे, दलित और अल्पसंख्यक के लिए बजटीय आवंटन में आम आदमी से संबंधित सरकार के वादों में कुछ भी पर्याप्त नहीं है। अत: यह बजट, 2011-12 अन्यायपूर्ण और नैतिक रूप से गलत है।

महोदय, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 2011-12 के बजट अनुमान के लगभग सभी आंकड़ो की तुलना विगत वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान से की है। यह अर्थव्यवस्था संबंधी तर्क का उल्लंघन करता हैं। हम वर्ष बजट अनुमानों की तुलना चालू वर्ष के बजट अनुमान से क्यों कर रहे हैं जबकि उनके पास 2010-11 के संशोधित बजट अनुमान हैं जो कि ज्यादा यथार्थपरक हैं। यह सरकार चालू वित्त वर्ष और मूल बजट अनुमान के अलावा जारी की गई अतिरिक्त राशि के आधार पर अगले वर्ष के लिए और संसाधन आवंटित नहीं करना चाहती है।

संप्रग सरकार ने अपने पूरे काल में केवल आई.एम.एफ. और विश्व बैंक के विदेश में वित्तीय संमेकन का नव उदारवादी मार्ग का अनुसरण किया है जिसे वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधक (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2003 द्वारा वैध बनाया गया है। एफ. आर.बी.एम. अधिनियम सरकार को इसके हस्तक्षेप करने की प्रवृति

तथा वित्तीय और राजस्व घाटे को कम करते हुये सार्वजनिक खर्च को कम करने के लिए वाध्य कर रहा है।

इस साल के बजट में यही मंशा दिखती है। एफ.आर.बी. एम. अधिनियम द्वारा विहित घाटे में कमी के लिए निर्धारित लक्ष्यों की बहुत-से अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचन की गई है क्योंकि यह बिल्कुल भेदभावपूर्ण है और यह ठोस आर्थिक तर्क पर आधारित नहीं हैं।

वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में यह बात साफ हो जाती है कि केन्द्र सरकार अपने सकल कर राजस्व में उच्च वृद्धि दर लाने में असफल रही है यद्यपि देश की अर्थव्यवस्था 2008-09 और 2009-10 के वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से उबर गई है। केन्द्र के लिए कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का धीमे गति से पुनरूद्धार देश के लिए कुल कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को प्रभावित करेगा जो बाद में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा भी कुल बजटीय व्यय को सीमित कर देगा।

केन्द्र और राज्यों द्वारा संग्रहित कुल कल राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 37 प्रतिशत होता है जबकि अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा बड़ा होता है और यह राजस्व का 63 प्रतिशत होता है। बहुत कम लोग इस बात से असहमत होंगे कि भारत में प्रत्यक्ष कर पर निर्भरता को और बढ़कर कुल, कर दायरा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

आयकर की छूट की सीमा को 160,000 रुपये से बड़ाकर 180,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव आया है लेकिन महिलाओं के लिए छूट की यह सीमा 190,000 रुपये है। अत: इस मामले में महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

वस्तु और सेवा कर के संबंध में प्रस्तावित कदम जिस पर अभी राज्य सरकारो के बीच आम सहमति नहीं है, पर सार्वजनिक चर्चा की जरूरत है। यहां पर मैं रेडीमेड कपड़ों और होजियरी पर प्रस्तावित उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिखित एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार के माननीय वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है तथा उन्होंने रेडीमेड कपड़ो पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क अनिवार्यत: लगाने का विरोध किया है। उन्होंने माननीय वित्त मंत्री से इस निर्णय पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया है। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि इसे वापस लिया जाए। उन्होंने कच्चे रेशम पर सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने को भी कहा है जो सामान्य रूप से पूरे भारत में तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भाग में रेशम उद्योग के लिए खतरे की घंटी होगी। अत: मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इस निर्णय की समीक्षा की जाए जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल से अनुरोध किया है तथा पूरे देश के लोगों ने भी अनुरोध किया है।

महोदय, केन्द्र अक्सर यह दावा करता है कि सामाजिक क्षेत्रों और मुख्य रूप से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों से संबंधित जरूरतो की पूर्ति के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। लेकिन अमीरो को दी जाने वाली अनेक कर राहत के कारण राजस्व को छोड़ दिया जाता है और प्रोत्साहन के नाम पर 2010-11 के दौरान 5. 11 लाख करोड़ रुपये की छूट दी गई और 2009-10 में यह छूट 4.83 लाख करोड़ रुपये थी। विरोधमापी बात यह है कि किसानों और गरीबों के निमित्त सब्सिडी की राशि बहुत कम थी तथा उन्हें बहुत कम राशि को छूट दी जाती है। परन्तु चाल यह है कि व्यक्ति को बदनाम करो और फांसी दो। इसलिए अमीरो के लिए कर छूट को प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है जब कि गरीबों के लिए भोजन और इंधन को परिहार्य बोझ माना जा रहा है।

करो की वसूली नहीं होने की समस्या और देश में उस काले धन के प्रचलन से और गंभीर हो जाती है जो विदेशों में जमा है। स्विस बैंक के आंकड़े के अनुसार देश के शेष सभी देशों को मिला दिया जाए तो भी भारत का काला धन उस सबसे अधिक है। यदि सरकार विदेशी बैंकों में जमा इस धन को वापस लाने पर काम करे और देश में समांतर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करे जो यह आसानी से वित्तीय घाटे को कम कर सकती है तथा सामाजिक क्षेत्र में भारी निवेश कर सकती है। काले धन को वापस लाने में सरकार को सक्रियता दिखानी चाहिए।

थोड़े शब्दों में, मैं इस वित्त विधेयक, 2011-12 का पुरजोर विरोध करता हूं। इन्ही शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं वित्त विधेयक, 2011 पर चर्चा के लिए खड़ा हूं।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि वित्त विधेयक पर विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि बजट भाषण के मुख्य पृष्ठ पर इसके दूसरे अन्तिम पैरा में जहां वित्त मंत्री कहते है कि यह

[श्री भर्तृहरि महताब]

मोटे तौर पर कर तटस्थ विधेयक है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, जिसे छोड़ दिया गया है, 11000 करोड़ रुपये के लगभग है और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से भी लगभग उतनी ही राशि छोड़े जाने की बात है। उन्हें उम्मीद है कि वे इसे अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से हासिल कर लेंगे। उन्हें कर के उतार-चढ़ाव की निरंतर प्रवृति पर भरोसा है जिसमें 2011-12 के लिए कर राजस्व में 18.5 प्रतिशत की विकास दर परलक्षित किया था। जोकि 2010-11 के संशोधित अनुमान की तुलना में है। यदि विकास दर सही है और कर में बदलाब जैसा प्रक्षेपित है, सत्य साबित होता है, तो यह राहत की बात है लेकिन इस पर काले बादल मंडरा रहे है। हममे से कुछ ने इस पर पहले ही चर्चा की है और इससे प्रशासन पर महत्वकांक्षी राजस्व के लक्ष्य प्रावधानों को प्राप्त करने का दबाव बनेगा।

सभापति महोदय, मैं चार या पांच मुद्दों पर चर्चा करूंगा। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पैन कार्ड धारकों और आयकर रिटर्न भरने वाले निर्धारितियों की संख्या में भारी अंतर है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा है कि मार्च, 2010 तक कुल 958 लाख पैन कार्ड जारी किए गए थे लेकिन विगत वित्तीय वर्ष में जमा किए गए आयकर रिटर्न की संख्या मात्र 340.9 लाख है। इस प्रकार के भारी अंतर का क्या सरकार ने पता लगाया है? क्या सरकार आयकर रिटर्न नहीं भरने के कारणों का पता लगाएगी। डुप्लीकेट पैन कार्डों को खत्म करने के लिए कौन से कदम उठाए गए है और मृत निर्धारितियों के संदर्भ में स्थिति को अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाए गए है। क्या सरकार को यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि पूरे निर्धारिती आधार की पहचान सुनिश्चित की जाए?

दूसरा मुद्दा टी.डी.एस. स्रोत पर कर कटौती का है। क्या यह सही है कि इस वित्त वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों में 4000 करोड़ रुपये टी.डी.एस. का भुगतान नहीं किया गया है। वैयक्तिक कराधान के मामले में भूल सामान्य छूट सीमा को 1.60 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। उपकर और अतिरिक्त उपकर पर विचार करने के बाद इस नई सीमा के साथ कर बचत लगभग 2060 रुपये की होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल 1030 रुपये की कर बचत के साथ आधारभूत छूट सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये की गई है। महिलाओं की कोई बचत नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिकों हेतु आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करना एक बड़ी राहत है। वे 2.5 लाख रुपये की संशोधित सीमा के लिए पात्र होंगे। तथापि, अप्रत्याशित लाभ अति परिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी आयु 80 वर्ष है, उनकी आधारभूत छूट सीमा अब 2.5 लाख रुपये के स्थान पर 5 लाख रुपये होगी। 5 लाख रुपये से अधिक अन्य वालों की चालू देयताओं की तुलना में कर बचत 26,780 रुपये होगी। यह बात अधिक महत्वपूर्ण है वित्त वर्ष 2011-2012 की अन्य के संबंध में ये परिवर्तन कर-निर्धारण वर्ष 2012-2013 से प्रभावी होंगे।

एक और मुद्दा है जिसकी ओर मैं इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सिक्किम के संसद सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं परंतु मैं चाहूंगा कि सरकार इसका उत्तर दे। सिक्किम के भारत में विलय से पूर्व सिक्किम में बसे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित मुद्दा चर्चा में है। आय कर की रियायत दी गई है अथवा जो सिक्किम मूल के हैं वे किसी आयकर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। परंतु जो व्यक्ति भारतीय मूल के हैं अथवा जो सिक्किम के भारत में विलय से पूर्व सिक्किम में बसे हुए हैं उन्हें आय कर का भुगतान करने के लिए कहा गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस पहलू पर विचार करे और उन्हें सिक्किम के व्यक्तियों की तरह छूट दें क्योंकि वे इस देश, इस विशेष क्षेत्र के नागरिक हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है और आज वित्त मंत्री ने भी विधेयक प्रस्तुत किया है और यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित महत्वाकांक्षी कर सुधार की दिशा में शुरूआती कदम है। जी.एस.टी. जिसे अप्रैल 2012 से लागू किया जाना तय हैं वह अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण करेगा। यह वस्तुओं के उत्पादन, ढुलाई और खुदरा के विभिन्न चरणों पर केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए केंद्रीय बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय करों और अधिभारों जैसे बहुत से करों का स्थान लेगा? नई प्रणाली के अंतर्गत खुदरा तट पर केवल एक कर अर्थात जीएसटी वसूला जाएगा। इससे अत्यावश्यक मुकदमें बाकी, विलंब, कर अपवंचन में कमी आएगी। लगभग 120 देशों ने जीएसटी मॉडल को अपनाया है। परंतु हमारे देश के भीतर कुछ राज्य इच्छुक नहीं हैं और अब तक इच्छुक नहीं हैं। वे तेल, अल्कोहल और तंबाकू पर कर लगाने की शक्ति रखना चाहते हैं। यदि राज्यों की लेवी की अनुमति दी जाती हैं तो इससे जीएसटी का प्रमुख लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा।

विशिष्ट सेवाओं पर कर लगाने की वर्तमान चयन संबंधी प्रणाली में ऐसी सेवाओं को हटाने का लाभ है, जो अधिक राजस्व प्रदान नहीं करती परंतु व्यापक सेवा कर इस अवधारणा पर आधारित है कि सभी सेवाएं कर योग्य हैं। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी के पुर:स्थापन के समय व्यापक सेवा कर लागू करने का कोई वचन नहीं दिया है। अब सेवा कर की दो दरों और चयनात्मक दृष्टिकोण को जारी करने के बारे में अब भी चर्चाएं हैं। क्या आप सीएसटी पुर:स्थापन के समय व्यापक सेवा कर के पक्ष में सेवा कर के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण को त्यागने जा रहे हैं?

स्वास्थ्य के बारे में मेरी अलग राय है। मैंनें कभी यह आशा नहीं की थी अथवा हममें से कइयों को यह आशा नहीं थी कि वित्त मंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र पर करों को वापस लेंगे। परंतु मैं इस कर के पक्ष में था क्योंकि यह कर निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले धनी लोगों से वसूला जाता है। हममें से विशेषकर ओडिशा में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बिलीव्यू क्लीनिकों में जा सकते हैं? हममें से कितने व्यक्ति उपचार हेतु अपोलो अस्पताल अथवा अन्य निजी अस्पताल जाते हैं? बड़ी संख्या में निजी अस्पताल विंडो एयर कंडीशनर से चलते हैं। उनके पास पूर्णत: वातानुकूलन वाली सुविधा नहीं है परंतु देश में ऐसा माहौल बनाया गया; अनेक संघ सड़कों पर उत्तर आए, मैंने उस कर को लगाए जाने का पक्ष लिया होगा। परंतु कब? मैं यह जानना चाहूंगा कि जीएसटी कब लागू किया जाएगा और क्या स्थिति होगी? जब अगले वर्ष जीएसटी लागू किया जाएगा तो क्या स्थिति होगी? वित्त मंत्री जी ने इस पहलू पर स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। मैं इस मुद्दे पर विचार नहीं करूंगा।

मैं दो मुद्दों तक अपनी बात सीमित रखना चाहता हूं। मुझे कुछ और समय चाहिए। मैंने जब माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण सुना और उन्हें यह कहते सुना कि विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क पर अर्थात पिंड के मामले में 15 प्रतिशत और परिष्कृत लौह अयस्क के मामले में 5 प्रतिशत के विभेदात्मक निर्यात शुल्क को एक जैसा करके उन्होंने निश्चित प्राकृतिक संसाधनों अर्थात लौह अयस्क के बाहर जाने को धीरे-धीरे रोकने के लिए प्रशुल्क प्रणाली को प्रभावी रूप से प्रयोग किया है तो मैं अति आनांदित हुआ कई लोगों का विचार है और मैं भी उनमें से एक था कि इस प्रक्रिया में प्रतिवर्ष लगभग 15,000 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व प्रावह से राजकोष में पर्याप्त वृद्धि होगी। परंतु मुझे यहां दो प्रश्न पूछने हैं। पहले तो यह कि लौह अयस्क की मौजूदा वैश्विक बाजार दर क्या है और प्रतिशत-वार शुल्क कितना है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना अधिक मूल्य हैं तो मूल्य वर्धन क्यों हैं?

दूसरे, यह शुल्क लगाने से क्या लौह अयस्क वाले राज्यों को किसी प्रकार से लाभ होगा? मैं यह पता लगाने का प्रयास करता हूं। आज कल लंप्स का निर्यात नहीं किया जा रहा है। मैं गोवा के बारे में नहीं जानता परंतु अन्य राज्य जहां लौह अयस्क निर्यात किया जा रहा है वहां लंप्स बड़ी मात्रा में बिल्कुल बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं किए जा रहे हैं। बढ़ी हुई लागत प्रति टन केवल 600 रुपये है। ढुलाई लागत 2000 से 2500 रुपये है। अत: पोर्ट हैंड की लागत लगभग 3000 रुपये है। लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय दर क्या है? जापान में सुनामी और भूकंप के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क की दर क्या है? मेरे अनुमान से कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दर 160 डालर प्रति टन ली। यदि आप इसे 48 से गुणा करें तो यह 7680 के करीब बैठता है। पोर्ट हैंड लागत केवल 3000 रुपये है और जो व्यक्ति इसे बेच रहा हैं, इसे 7680 की दर पर बेच रहा है और यह कल का मूल्य था आप उन पर कितना कर लगा रहे हैं। आप उस पर 20 प्रतिशत कर लगा रहे हैं। इस कर से अर्थात् 1000 रुपये कर लौह अयस्क, निश्चित सामग्री के निर्यात को, जिसका माननीय वित्त मंत्री ने जिक्र किया है, किस प्रकार रोका जा सकेगा।

मैं आग्रह करता हूं कि आप इस अलग तरीके से रोकने का प्रयास करें। निसंदेह आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अनुगृहीत करेंगे जो आप पहले ही कर चुके हैं परंतु इसे रोकने का प्रयास करें क्योंकि देश के लौह अयस्क और इस्पात की मांग बहुत अधिक है।

अगला मुद्दा ब्रांडेड कपडों से संबंधित है। अनेक माननीय सदस्य ब्रांडेड कपड़ों के बारे में बोले हैं। अब खादी को भी ब्रांडेड कपड़े के रूप में बेचा जा रहा है। क्या आप उनपर भी कर लगाने जा रहे हैं।

मेरा अंतिम मुद्दा न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित है। माननीय वित्त मंत्री ने न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 करके उसमें सामांत वृद्धि की है। एमएटी में वृद्धि करके, वित्त मंत्री ने सफलतापूर्वक यह संकेत दे दिया है कि छूटें जारी रहेंगी। यदि प्रत्यक्ष कर संहिता को समाप्त नहीं किया

[श्री भर्तृहरि महताब]

जाता तो सभी छूटें समाप्त हो जाती। एमएटी 1987 में लागू किया गया था। फिर भी अनेक, विशेष रूप से कार्यरत एसटीपीआई और एसईजेड ईकाइयां, असंतुष्ट हैं। मुझे एसटीपीआई विशेष रूप से उन लघुत्तर आईटी कंपनियों बीओपी पर न्यूनतम वैकल्पिक कर अधिरोपण का कोई औचित्य नजर नहीं आता जो उन बड़ी कंपनियों, जो एसईजेड और एसटीपीआई से बाहर हैं, की तुलना में बेहतर कार्य कर रही हैं और हमारे लिए राजस्व अर्जित कर रही हैं।

बजट चर्चा के दौरान और पहले भी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, हमारे दल के नेता श्री अर्जुन चरण सेठी ने ओडिशा में बेमौसमी वर्षा की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि पांच महीने से लगातार बैमौसमी वर्षा ने तबाही ला दी है और खरीफ की हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है। अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने ओडिशा का दौरा भी किया था। इस सभा में श्री सेठी द्वारा यह मुद्दा उठाए के पश्चात् वित्त मंत्री उठे थे और उन्होंने कहा था: ''हां, हमें उस मंत्री समूह की रिपोर्ट मिल गई है जिसने मामले की जांच की थी और हम शीघ्र ही निर्णय लेगें। अब, इस बजट सत्र का अंतिम सप्ताह है। मुझे आशा है कि ओडिशा सरकार द्वारा मांगी गई 2,500 करोड़ रुपए की राशि हमें शीघ्र ही दी जाएगी क्योंकि यह हमारी अगली फसल का मौसम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

मैं आदरणीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और के.एस. राव जिन्होंने फाइनैंस बिल पर बहस इनिशिएट की है, उनका समर्थन करते हुये मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हम लगातार देख रहे है कि बजट सैशन में लगातार सरकार की निन्दा की जा रही है। इसलिये मैं महात्मा गांधी की एक बात को नोट करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

''किसी व्यवस्था का विरोध करना और उस पर प्रहार करना पूर्णत: उचित है, लेकिन उसके निर्माता का विरोध करना और उस पर प्रहार करना स्वयं का विरोध करना और स्वयं प्रहार करने के समान है। क्योंकि हम एक ही रचयिता की रचनाएं हैं...''

[हिन्दी]

यू.पी.ए. की पॉलिसी नैट व पॉलिसी को सामने देखते हुए, शुद्ध परम्परा को मेनटेन करते हुये माननीय फाइनैंस मिनिस्टर आज की स्थिति को देखते हुये यह फाइनंस बिल लाये हैं। देश और विश्व की स्थिति को देखते हुये इससे अच्छा फाइनैंशियल मैनेजमेंट और आ नहीं सकता था। जो लोग हाऊस को इंटरप्ट करके चलने नहीं दे रहे हैं, उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि स्वामी विवेकानन्द जी ने जो कहा है:

[अनुवाद]

''संपूर्ण ब्रह्मांड कारण के नियम से बंधा हुआ है। आंतरिक विश्व में हो अथवा बाह्य विश्व में कुछ भी, कोई भी सत्य ऐसा नहीं होगा जिसका कारण न हो; और प्रत्येक कारण का प्रभाव अवश्य होता है।''

[हिन्दी]

जब पूरे विश्व में पूरा अर्थ बाजार ध्वस्त हो रहा है, देश में प्राकृतिक विपदाएं बार-बार आ रही हैं, ऐसे समय में इससे अच्छा फाइनैंशियल बिल या मैनेजमेंट और क्या हो सकता है? अगर क्रिटिसिज्म से ऊपर उठकर कोई सोचे कि भारत सरकार ने किन पहलुओं को फाइनैंस बिल में अड्रेस किया है? किस तरह से किया है, अगर उस पर ध्यान दिया जाये तो वास्तव में सारी चीजें उसमें आयेंगी। मैंने आदिवासियों के बीच काफी काम किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, आप प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं जिसका मैं भी सदस्य हूं।

[हिन्दी]

महोदय, आप जानते हैं, पीटीजी के बारे में मैंने कई बार कमेटी में भी रेज किया था। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, जो हमारे यहां न्यूमगिरी हिल में है, अंडमान निकोबार में हैं और जहां भी भारतवर्ष

में नक्सलाइट बैल्ट है, कई इलाकों में हैं, उनकी आबादी करीब 32 लाख है। उनके लिए 185 करोड़ का बजट में प्रोविजन था। हमने इस बात पर यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था और वित्त मंत्री जी से मिलकर इस पर बात की थी कि आज 63 साल की आजादी के बाद भी उनके पास अच्छा घर नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और वे लोग आज भी इंसान होकर इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं। में वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसमें उन्होंने एक अलग प्लानिंग करने की बात कही है और इसके बजट को 185 करोड़ रुपये से 244 करोड़ रुपये बढ़ाया है। यह कॉमन पहलू है और अगर बजट में इस तरह का स्थान दिया जाता है तो इससे अच्छा और महत्वपूर्ण आम आदमी के लिए और क्या बजट हो सकता है? आप देखिये कि जिस तरह से महिलाओं पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का 1,500 रुपये में गुजारा होता था, उसे बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया गया है, हैल्पर का मानदेय 750 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये हो गया है। महिलाओं का सशक्तीकरण करने के लिए माइक्रो फाइनेंस में किस तरह से 500 करोड़ रुपये का कॉरपस फंड क्रिएट करने की बात की गयी है, आप इसे देख लीजिए। बच्चों की बात हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, यह जो सब आंगनबाड़ी वर्कर्स आदि के लिए किया गया है, उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आंगनबाड़ियों के जरिये जो मिड डे मील दिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान और आंगनबाड़ी वर्कर प्रोग्राम के तहत, कई राज्यों में क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे राज्य ओडिशा में, हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं, वे जानते हैं कि सरकार दाल खा गयी है।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आपस में बात न करें।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास : महोदय, 700 करोड़ रुपये की दाल पिछले साल खा गये और बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, वह भी पायजोनिस दाल खा गयी। सरकार कोई भी स्कीम बच्चों को मजबूत करने के लिए बनाती है और अगर इस तरह की स्कीम फेल हो जाये तो आप कितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा कीजिये, वह सक्षम नहीं हो सकता है। हमारे साथी हमेशा ओडिशा के लिए ज्यादा ग्रांट मांगते हैं। जो सारी ग्रांट जा रही है, इसका क्या हो रहा है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन भारत सरकार ने इंफ्लेशन को चैक करने के लिए, जनता की मांग की पूर्ति करने के लिए सबसे मजबूत बात किसान को मजबूत करना है, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, उसके लिए सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स को इन्वॉल्व किया है। ऐसे किसी प्रोग्राम के बारे में सोच नहीं सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, चाहे ईस्टर्न रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन हो या इंट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 60 थाउजेंड पल्स विलेज करने की बात हो या साल में तीन लाख मीट्रिक टन प्रति पांच एकड़ में पॉम आयल का उत्पादन करने की व्यवस्था हो या वैजीटेबल उत्पादन या मार्केटिंग व्यवस्था के लिए ध्यान देना हो या जो न्यूट्रियिअस सीरियल हैं, जो आदिवासी इलाकों में फैलता है, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स आदि चीजें जो बनती हैं जो काफी न्यूट्रिअस हैं, उनके लिए भी भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। नेशनल मिशन में प्रोटीन सप्लीमेंट, पशु सम्पदा को बढ़ोत्तरी करके कैसे जनता की मांग पूरी की जाये, उस पर भी ध्यान दिया गया है। नेशनल मिशन फॉर सब्सटैनिबल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर क्रेडिट, इन सारी चीजों पर भारत सरकार ने ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर क्रैटिड पर 3,75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हमारे देश के किसानों को यूपीए सरकार 7 प्रतिशत इंटरस्ट पर लोन देती है। जो किसान सही समय पर पेमेन्ट करते हैं, उनको दो प्रतिशत की छूट की व्यवस्था थी जिसे बढ़ाकर तीन प्रतिशत की व्यवस्था आदरणीय वित्त मंत्री जी ने की है। इसका मतलब यह है कि किसानों को मात्र चार प्रतिशत की दर पर लोन मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसको अगर लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं, मुझे राजनीतिक शब्दों में किसी को गाली देना नहीं आता है, लेकिन जो बातें हैं, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

महादेय, हमारे देश में खाद्यान्न रखने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं हैं। अभी नए गोदामों की व्यवस्था की जा रही है जिससे आने वाले दिनों में करीब 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न रखने की व्यवस्था होगी। करीब 30 मैगा फूड पार्क्स की व्यवस्था देश में की जा रही है। इनमें से 15 सैंक्शन हो चुके हैं और 15 होने जा रहे हैं।

महोदय, शिक्षा क्षेत्र में बजट में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई

[श्री भक्त चरण दास]

है। बैकवर्ड रीजन फंड हो, महात्मा गांधी नरेगा हो या इंदिरा आवास योजना हो, इन सारी योजनाओं के लिए यूपीए की सरकार पर आम जनता विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं, उनको देखते हुए आम जनता की सारी समस्याओं को हल करने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है। जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, यह देश के 60 पिछड़े एरियाज में है, जो नक्सलाइट अफैक्टेड है, जहां इनसर्जैन्सी है, जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां रीजनल इंबैलैन्स बहुत रहा है, आज तब उस एरिया में दूसरे एरियाज के माफिक विकास नहीं हो पाया है। इसलिए उन एरियाज के विकास के लिए विभाग की ओर से आदरणीय चिदम्बरम जी और वित्त मंत्रीजी की तरफ से बात करके करीब 60 जिलों के लिए 25 करोड़ रुपये से 55 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वह पैसा लोगों के काम आ रहा है। महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जितनी टैक्निकल बात करे, लेकिन इन सारी स्कीमों के बावजूद भी क्या हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पा रहे हैं? यह संवदेनशील प्रोग्राम गांवों में जाता है लेकिन खर्च नहीं होता है। कैसे इसका रीजनल इंबैन्लैन्स दूर होगा? जिस तरह से महात्मा गांधी नरेगा फंड का दुरूपयोग होता है या बीआरईजीएफ फंड का दुरूपयोग होता है, भारत निर्माण में भारत सरकार का जो भी लक्ष्य है, केन्द्र सरकार तो अपना लक्ष्य सामने रखकर राष्ट्र की प्रगति को सामने रखते हुए अपना बजट या फाइनैंशियल बिल या फाइनैंशियल मैनेजमैंट कर देती है, लेकिन राज्यों की सरकार अगर देश को मजबूत करने की दिशा में कदम नहीं उठाएगी और उसको सही तरह से खर्च नहीं करेगी तो वह अचीवमैंट नहीं हो पाएगा।

महोदय, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा पिछड़े इलाके हैं। इन इलाकों में, इन स्कीम्स का 20 प्रतिशत भी कामयाब नहीं हो पाता है। यहां उल्लेख किया गया है और बजट स्पीच देते हुए मान्यवर वित्त मंत्री जी ने कहा था कि संबंधित सांसदों में आई. ए.पी. फंड के डिस्ट्रिब्यूशन या प्लानिंग के लिए कंसलटेशन करना चाहिए, लेकिन आज तक किसी एमपी को किसी जिले में कंसल्ट नहीं किया है। और वही होता है जो चलता आ रहा है कि सरकार के पैसे को मिल-बांटकर खाते हैं। आज वही हो रहा है। इस तरह से अचीवमैंट नहीं हो पाएगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जनता और सरकार के बीच में जो भी एजेंसी है, राज्य सरकार एजेन्सी के रूप में जरूर रहेगी क्योंकि राज्य की सत्ता रहनी चाहिए, लेकिन जिलों, ब्लॉक और पंचायतों में जो मिडिल एजेन्ट हैं, वहां जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को क्यों नहीं गांवों की ओर मोड़ दिया जाए ताकि गांवों में सीधी प्लानिंग हो। हर गांव में सभी योजनाओं का एक पैकेज बनाकर दिया जाए ताकि हर किसी का पक्का मकान हो, जिसमें सैनीटेशन व्यवस्था अच्छे से हो, जिसमें पेयजल की व्यवस्था ठीक से हो, जिसमें बिजली की व्यवस्था ठीक से हो और उस गांव में सड़क और नाली ठीक से रहे, उस गांव की पशु सम्पदा की व्यवस्था ठीक से हो, उस गांव में सिंचाई की व्यवस्था ठीक से हो। एक गांव का एक पैकेज हम योजना आयोग के जरिए आज तक नहीं बना पाए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है और 12वीं योजना में 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग बना रहे हैं। *[अनुवाद]* संप्रग देश के समावेशी विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लेकिन दुख की बात है कि राज्य सरकार और उसका तंत्र, उसकी व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है कि वे परिणाम देने में अक्षम हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि प्रशासन की खामियां दूर की जाएं। *[हिन्दी]* इसमें कोशिश की जानी चाहिए। ओडिशा में किसान स्यूसाइड कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है...*(व्यवधान)* मैं माइनिंग में भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* आप यदि खुश होंगे तो मैं बोलूंगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

*(व्यवधान)...**

श्री भक्त चरण दास : यदि आप हजारों करोड़ रुपए मांगते रहें और लोगों के लिए एक पाई भी खर्च न करें और आप धन को इकट्ठा करते रहें, कार्यक्रम के नाम पर धन ले लें, योजना के नाम पर धन ले लें तो ऐसे कार्यक्रम बनाने का कोई अर्थ नहीं है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास : इसलिए इन सभी प्रोग्राम्स का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन सभी प्रोग्राम्स को लेकर एक इंटीग्रेटिड विलेज ओरिएंटिड एक्शन प्लान बनाया जाए, जिससे गांवों को समृद्ध किया जा सके। एक गांव समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। आज लाखों गांवों में यूपीए सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनके विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है।

महोदय, यह केन्द्र और राज्यों के बीच की लड़ाई नहीं है, यह प्रशासनिक मर्यादा और देश को समृद्ध करने की बात है। इसलिए हमें ऐसी सृद्धि लानी चाहिए, जिसका दुरूपयोग, इनस्ट्रूमेंट मिडल एजेंट के द्वारा न किया जा सके।

इन्हीं बातों के साथ में माननीय वित्त मंत्री जी के फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि रेडीमेड गारमेंट्स पर एक्साइज ड्यूटी को 10 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन उसमें एक हजार रुपए तक के गारमेंट्स को एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्पट कर दिया जाए। करोड़ों लोग इस से जुड़े हुए हैं और यह एक घरेलू उद्योग है। यदि हम इस पर से एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाएंगे तो लोग कारोबार छोड़ेंगे, लोग बेरोजगार होंगे और फिर रोजगार गारंटी योजना में आपको उन्हें पैसा देना होगा या चीन से कम्पीटीशन में उनको नुकसान होगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि एक हजार रुपए तक के गारमेंट्स पर एक्साइज ड्यूटी में छूट दे दें।

[अनुवाद]

****श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की जनसंख्या में से लगभग आधी महिलाएं हैं। उन्हें 40,000 रुपये की राहत मिली थी उसे इस वर्ष समाप्त कर दिया गया है। मेरे विचार से यह उचित नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। व्यक्तियों के लिए, आधारभूत सीमा में केवल 20,000 रुपये की वृद्धि बहुत कम राशि है। इससे लोगों को किसी प्रकार से सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस कर राहत के मुद्दे पर पुनर्विचार करे। महिलाओं के लिए छूट सीमा को भी बढ़ाकर 2,10,000 रुपये किया जाए- यह मेरा विनम्र निवेदन हैं। मैं यह भी उल्लेख करूंगा कि ऐसी घोषणा की गई है कि 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष कमाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरा सुझाव है कि इस विशेष प्रावधान की सुविधा 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय अर्जित करने वाले सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिए।

ईपीएल हेतु ब्याज दर बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत की गई है परंतु सामान्य भविष्य निधि की दर 8% पर बनी हुई है। हमेशा से ईपीएफ की ब्याज दर जीपीएफ से आधा प्रतिशत अधिक रखने की प्रथा रही है। इस प्रकार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जीपीएफ की दर को बढ़ाकर 9% प्रतिशत किया जाए ताकि आधे प्रतिशत का अंतर बना रहे।

अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी घोषणा की गई थी कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों और अन्य वित्तीय संगठनों द्वारा वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में आधा प्रतिशत ब्याज अधिक दिया जाएगा परंतु वास्तव में उन्हें बढ़ी हुई ब्याज दर नहीं दी जा रही है। कुछ बैंक 9% से अधिक दर देते है, भारतीय स्टेट बैंक आम आदमी को 9.75% का भुगतान करता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना हेतु बैंक केवल 9% है। डाकघरों द्वारा वरिष्ठ नागरिक योजना में अब भी 9% की कम दर दी जाती है, वह व्यक्ति डाकघर योजनाओं अधिक निवेश क्यों करेंगे। इसलिए इसकी गंभीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों को बैंक की फिक्सड डिपोजिट दर से आधा प्रतिशत अधिक के बजाय कम से कम एक प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं उससे लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दवाइयों के मूल्य भी वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। अत:, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह उन असहाय लोगों के लिए विचार करें जिनके पास सामान्यत: जीवन जीने के लिए कोई अन्य साधन नहीं हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

अनेक माननीय सदस्यों ने वस्त्र और हौजरी उत्पादन क्षेत्र में करों में वृद्धि के बारे में बोला है। मेरी भी यही राय है कि इस कर को नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण भारी हानि होगी और अधिकाधिक बेरोजगारी बढ़ेगी। अंत मैं इससे इस क्षेत्र को राजसहायता को भी भुगतान होगा। अतः प्रस्तावित 10% उत्पाद शुल्क को वापस लिया जाना चाहिए।

खाद्य, उर्वरकों और सीमेंट पर राजसहायता को और भी घटाया गया है। जब बजट भाषण पढ़कर उस समय मैं सभा में उपस्थित नहीं था फिर भी जितना कुछ मैं समझ पाया हूं, उससे मैं यह कह सकता हूं कि नरेगा योजना हेतु बजटीय आबंटन में भी कार्य कर दी गई है बावजूद इसके कि यह संप्रग सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है। यह उत्साहजनक संकेत नहीं है।

हम अपने शैक्षिक क्षेत्र पर गर्व महसूस कर रहे हैं और विदेशी कंपनियों तथा विदेशी निवेश को आमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। परिणामतः, शिक्षा व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गई है। शैक्षिक संस्थाएं धन कमाने वाली संस्थाएं बन गई हैं। यह एक बुरी प्रवृत्ति है और इस संबंध में हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र को कदाचार से बचाया जाना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र हेतु आबंटन अधिक नहीं है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इसे बढ़ाया जा सकता था परंतु यह पर्याप्त नहीं है। जैसाकि हम सब जानते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है। परंतु अब भी, बजट में कृषि का हिस्सा बहुत कम है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अवसंरचना के विकास हेतु अधिकाधिक निवेश किया जाना चाहिए।

आज मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा। परंतु मैं यह जरूर कहूंगा कि यदि आप अपने परिवार का पूरी तरह से पेट नहीं भर सकते हैं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को दो वक्त का खाना नहीं दे सकते तो आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि परिवार संपन्न है। आज देश की जनता मुद्रास्फीति की उच्च दर से जूझ रही है। वे भूखे हैं और जीवन-यापन के लिए खाद्यान्न नहीं खरीद पा रहे हैं। एक तरफ जब जनता भूखी मर रही है तो सरकार यह कैसे कह सकती है कि यह बजट आम आदमी के लिए है? इस संबंध में काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता हैं, काफी कुछ करना बाकी है। अतः, हमें अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, बोलनें की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सर, फायनेंस मिनिस्टर साहब ने हाउस में जो फायनेंस बिल पेश किया है, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं फायनेंस बिल का समर्थन करता हूं। मैं कुछ सजैश्चन्स देना चाहता हूं। एक तो खास कर हमारे जो गांव और शहर हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशली गांव और शहरों में कोई फर्क नहीं रखा है। गांवों को उनके हक के मुताबिक डिफरेंट-डिफरेंट स्कीम के जरिए पैसे दिए जा रहे है, लेकिन उसमें कुछ कमी आ रही है। जितनी भी आपकी स्कीम्स जाती हैं, उनमें आप हर राज्य के लिए एक जैसा मापदंड रखते हैं, यह ठीक नहीं है। इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। एक हिली टैरेन है, टफ एरिया है। यदि उसकी एक किलोमीटर सड़क बननी हो और एक प्लेन में एक किलोमीटर सड़क बननी हो, तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए किसी भी स्टेट की किसी दूसरे राज्य से बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्लेन और पहाड़ी राज्यों की कभी बराबरी नहीं हो सकती और वे कभी भी बराबरी पर नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आप चाहे जो मर्जी कर लें। इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि इस तरफ आप ध्यान दें।

सर, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं एम.पी.एल.ए.डी. की बात कर रहा हूं। आपको इसकी धनराशि बढ़ाने के लिए बहुत-बहुत मुबारक देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया कि एम. पी.एल.ए.डी. की रकम बढ़ाई। एम.पी.एल.ए.डी. के पहले के 2 करोड़ रुपए से हम तो पहले दुखी थे, लेकिन इसके और बढ़ने से और दुखी हो गए। जम्मू-कश्मीर के सांसदों का जो दुख है, मैं समझता हूं कि आप मुझे जरा गौर से सुनेंगे। मेरी कांस्टीट्यूएंसी 22 हजार किलोमीटर एरिया की कांस्टीट्यूएंसी है। 17 असैम्बली सैगमेंट है। अब मुझे बताइए कि जहां एक एम.पी. के पांच एम. एल.ए. हैं। उन्हें तो एक-एक करोड़ रुपए चले गए, लेकिन मेरे

असैम्बली सैगमेंट को पिछली राशि के अनुसार पौने 12 लाख रुपए आते थे। मैं कभी एक सैगमेंट से जान छुड़ाता था, तो कभी दूसरे से जान छुड़ाता था। हम तो शिकंजे में ही रहे। इसलिए मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की कांस्टीट्यूएंसीज छोटी हैं, उन्हें 5 करोड़ जरूर दो और आपने दिया, यह बड़ी मेहरबानी की, लेकिन हमारी तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे एक लोक सभा क्षेत्र में 17-17 विधान सभा क्षेत्र हैं। इसलिए हमें ज्यादा धन दीजिए। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी कांस्टीट्यूएंसीज को उसी ढंग से देखा जाए, जैसे बाकी कांस्टीट्यूएंसीज को देखा जाता है।

महोदय, दूसरी बात मैं पी.एम.जी.एस.वाई. के बारे में कहना चाहता हूं। आपने सी.आर.एफ. और नाबार्ड आदि जैसी कई योजनाएं प्रदेशों को दी हैं। इनमें आपने एक स्टेट को, एक इलाके को, सी.आर.एफ. के अंतर्गत कितना धन देना है यह फिक्स कर दिया है। मैं जनाब से कहना चाहता हूं और मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आठ जिले हैं और आठों जिलों में नाले, खड्डे और दरियाओं से हर साल कम से कम 50-100 आदमी बह जाते हैं, यानी मर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पुल नहीं हैं और आदमियों को क्रॉस करने के लिए कोई क्रासिंग नहीं बनाए गए हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. में तो वैसे भी लिखा है कि कच्ची सड़के बनाओ और उसके 18 महीने के बाद उन्हें पक्की करे। मुझे मालूम है, वे तो बननी ही नहीं हैं और ब्रिज तो बनने ही नहीं हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

वह तो बनना ही नहीं, ब्रिज तो बनना ही नहीं। मेरी जनाब से विनती है कि हमारे जो ब्रिज नहीं बन रहे हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, जैसे आपने बड़ी मेहरबानी की कि पहली बार जम्मू-कश्मीर को आपने हर रीजन के हिसाब से आईडेंटीफाई किया। आपने लद्दाख को 100 करोड़ रुपये दिये, यह मुबारकबाद देने की बात है। जम्मू को 150 करोड़ रुपये दिये, बहुत इच्छी बात है, लेकिन जम्मू की पोपुलेशन 60 लाख है, वह कश्मीर के बराबर है और लद्दाख की पोपुलेशन कम है, वहां सिर्फ एक लाख वोट हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि बनाओ, लेकिन आप तादाद देखो, पोपुलेशन देखो और एरिया भी देखो।

उसके बाद आपने कहा कि बैकवर्ड एरियाज के जो पैसे हैं, उसकी मोनेटरिंग एम.पी. द्वारा करने को कहा। मेरी जनाब से विनती है हमारे इलाके में भी जो पैसा है, वह भी एम.पी. मोनीटर करे। वरना जो मोनेटरिंग का हाल है, वह मैं जानता हूं कि कब पैसा गया। *[अनुवाद]* कोई जवाब देही नहीं है और कोई निगरानी नहीं है। इसे कौन कह रहा है? *[हिन्दी]* आप चलिये, मैं आपको बताता हूं कि पैसा कैसे मिसयूज होता है, गलत इस्तेमाल होता है। इससे हमारी तरक्की में बाधाएं आती हैं। अगर इतना पैसा जाता है तो फिर दिखता क्यों नहीं है। जब फंड्स एनाउंस होते हैं तो हजारों लाखों करोड़ रुपये की बात होती है, लेकिन जमीनी सतह पर बड़ी मुश्किल है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप स्कूल एकार्डिंग टू डिस्टेंस देते हो, बताओ, मेरे यहां को पांच किलोमीटर का डिस्टेंस शहर के 50 किलोमीटर की डिस्टेंस के बराबर है। आप वहां पांच किलोमीटर चलकर बताओ। आप प्राइमरी हैल्थ सैंटर 20 हजार की आबादी पर देते हो, मैं जनाब से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां 20 हजार आदमी अगर ढूंढने हों तो 150 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और 150 किलोमीटर में एक प्राइमरी हैल्थ सैंटर है। हमारे यहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 150-200 किलोमीटर पर है, जो हमारा बनिहाल में देखो। मेरे यहां रोंगटा, दोलका, खद्दर, पनाल वाले लोगों को अगर वहां से चलकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल, कठुआ में आना हो तो उनको तीन दिन लगेंगे। मुझे बताओ कि हमें किस ढंग की फैसिलिटी मिल रही है। मेरी जनाब से विनती है कि आप डिस्टेंस को थोड़ा कम करिये और इलाके के मुताबिक चलने की कोशिश करिये।

इसके बाद आपने कालेजेज दिये। हमारे यहां आप कालेजेज देखिये, मैं कहता हूं कि आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन डिस्टेंस इसके मुताबिक न रखें। आप हमारे सब सैंटर जाकर ढूंढें, हमारे स्कूल देखें। मुझे बड़ी तकलीफ है कि गांव के तमाम स्कूलों में अंडर स्टॉफ है, यह क्या है? जब बच्चों को प्रोपरली एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं गिनकर बता सकता हूं कि अगर हमारे पांच हजार स्कूल हैं तो पांच हजार स्कूलों में से आपको बड़ी मुश्किल से शहरों में टीचर मिलेंगे, स्टॉफ मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है? जहां स्टूडेंट्स हैं, जहां बच्चे हैं, जहां पढ़ने वाले हैं, जहां गुरबत है, जहां जरूरी हैं, उस इलाके में स्कूल नहीं हैं और अगर स्कूल है तो स्टॉफ नहीं मिलेगा। अगर स्टॉफ नहीं मिलेगा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, चाक नहीं मिलेगा, टाट नहीं मिलेगा, डैस्क नहीं मिलेगा। डैस्क तो भूल ही जाओ, हमारे गांवों में डैस्क होता ही नहीं है।

[चौधरी लाल सिंह]

मैं आपको ले चलता हूं, आप चलिये, मैं आपको हायर सैकेडरी स्कूल दिखाता हूं आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की तो बात ही छोड़ दीजिए।

मेरी जनाब से विनती है कि रोज पैसे आ रहे हैं, हमसे डिस्कस करो, चौधरी लाल सिंह से मेरे इलाके के बारे में डिस्कस करो, मदन लाल जी के इलाके में मदन लाल जी से डिस्कस करो। मैं कहता हूं कि जब 1-1 एम.पी. से डिस्कस करोगे, जो हमें एम.पी.लैड. मिलता है, प्रणव मुखर्जी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप 1-1 पैसे का हिसाब लो और जो आपके हजारों लाखों करोड़ रुपये हैं, उनका हिसाब बताओ तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप चलिये, मैं गांवों में दिखाता हूं कि बहुत बुरी हालत इन लोगों ने गांवों की कर दी है।

अपराह्न 4.04 बजे

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

अगर गांवों में बिजली देखेंगे तो गांवों में अभी तक सही बिजली नहीं मिल पाई। गांवों में पीने का पानी नहीं मिला। आप टी.वी. में दिखाते हो, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, अच्छा पानी, सेहत के लिए पानी, लेकिन हमारे यहां तो सीधे नाले के साथ पाइप जोड़ा हुआ है। जो नाला आ रहा है, उसके साथ पाइप जुड़ा है, उसमें सांप आ जाये, बीच में कोई और गन्दगी आ जाये, कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं, लोग बेचारे कैसे जी रहे हैं। यह क्या है? आप पैसा दे रहे हो, उस पैसे का सही मायने में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। आप लोगों को पानी कब पिलवाओगे? आप खुद बिसलरी पीते हो। जहां हम जाते हैं तो लोग हमारे लिए बिसलरी लाते हैं कि पता नहीं इनको कोई बीमारी लगी है। गांव में कोई बिसलरी नहीं दे रहा है। गांव में बहुत गंदा पानी पिया जा रहा है। मेरी जनाब से इस ओर ध्यान देने के लिए विनती है। पानी के लिए पैसा स्कीम में आया, लिखा गया कि वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम फलां, लेकिन उसके बाद भी पानी गांव में नहीं गया, तो चार साल बाद लिखा कि इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। उसके बाद फिर पैसे आए।

सभापति महोदया : लाल सिंह जी, समाप्त करिए।

चौधरी लाल सिंह : फिर लिखा गया- *[अनुवाद]* जलापूर्ति योजना का अनुरक्षण, *[हिन्दी]* तीन बार पैसे खा गए, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिला। यह चुनौती है। मैं आपको अठूनठियांते ले चलता हूं, डागधूरू ले चलता हूं, ओटार ले चलता हूं, ऊपर बोंजवा ले चलता हूं, आप मेरे साथ चलिए। अगर किसी को आपके लगाए हुए नलके से पानी मिल रहा हो, तो मुझसे बात करिए। मैं आपको बताता हूं। आज भी लोग घड़े उठाकर पहाड़ों से उतरकर पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उनकी बहुत बुरी हालत है। आप उन्हें आईएवाई से पैसा देते हैं। उसमें लिखा है कि जिस ग्राम सेवक की मर्जी होगी, बीडीओ की मर्जी होगी, वह उसमें लिखेगा कि इसका स्कोर कम और इसका स्कोर ज्यादा, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? जो बीपीएल है, वह बीपीएल है। स्कोर रखने की क्या आवश्यकता है? जिसका गला घोटना है, तो उसका स्कोर कम हो कर दिया, क्रिकेट खेल रहा है। मेरी जनाब से विनती है कि आप कृपा करें, मकान दो, अच्छे मकान दो, एक बार दो, पूछकर दो। उसे जो 45 या 48 हजार रुपए दिए जाते हैं, उसमें पांच-पाच हजार रुपए की चोरी होती है। मकान कहां बन रहे हैं? बड़े चोर वह हैं, जो सीमेंट बना रहे हैं, जो सरिया बना रहे हैं। मैडम, दो सरिया खरीदना हो, तो 45 हजार रुपए खत्म हो जाएंगे। वह लिंटर कैसे डालेगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : समाप्त करिए।

चौधरी लाल सिंह : आपने सीमेंट के बारे में क्या सोचा है? आपने सरिया के बारे में क्या सोचा? गरीब को जो मैटेरियल खरीदना है, वह कहां से खरीदेगा, क्या आपने ईंट का रेट पूछा? इसकी दर कितनी है? अपनी सरकार है, वह पैसा दे रही है, पैसा आ रहा है, तरक्की हो रही है। लेकिन इस पैसे से जो तरक्की हो सकती है, वह नहीं हो रही है। वह पैसा कहीं गलत जा रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : अभी तीन-चार मेंबर्स और हैं, उन्हें भी समय देना है।

चौधरी लाल सिंह : हम एक स्कीम कंपल्सरी एजुकेशन की जाए, आरटीई प्लस एसएसए ला दी, लिख दिया, स्टेट शेयर में किसी को पैसे दिए। हमारे नार्दर्न रीजन की एक स्टेट को लिख दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी उनसे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। उनको 90-10 दिया, तो जम्मू-कश्मीर को क्यों नहीं 90-10 के हिसाब से दिया जा रहा है? हमारे यहां भी अशांति है। हम 20-25 साल मुश्किल में रहे हैं, तकलीफ में रहे हैं, पहाड़ी

इलाका है, सख्ती है, हर तरह से बुरी हालत है, तो उसे क्यों नहीं दिया जाता है? मेरी जनाब से विनती है कि इसको भी इसमें रखा जाए।

अंत में, एक विनती और करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* एग्रीकल्चर में हमारे यहां जो धान पैदा होता है, पैडी पैदा होती है, इस बार उसे कोई खरीदने वाला हमारे कटुआ नहीं गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपकी पार्टी के दो-तीन मेंबर्स और हैं।

चौधरी लाल सिंह : हमारा धान नहीं खरीदा गया। मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि जिसका एक हजार रुपए का रेट था, उनको सात सौ रुपए में उधार देना पड़ा। उनको अभी तक पैसा नहीं मिला। अभी जो नयी फसल गंदुम की लगी है, उसमें बीमारी लग गयी है। किसी ने उसका मापदंड नहीं किया। आज तक जितने भी कंपन्सैशन बने, आप हर बंदे को जब पैसे बांटते हो, तो किसान को भी उसी तरह से बांटते हो, जिसका राशन उससे कई गुना ज्यादा खराब होता है। मेरी जनाब से विनती है कि किसान की तरफ ध्यान दीजिए। उसकी जींसे इंपोर्ट-एक्सपोर्ट होती हैं, उसके रास्ते में आब्स्ट्रेक्ल्स हैं, उसके रास्ते में पचास किस्म की रूकावटें हैं। किसान को फ्रीडम रहनी चाहिए। किसान ने लखनपुर में लगाया, फारूख अब्दुल्ला साहब जानते हैं, लखनपुर बीच में है। माल उस पार नहीं जा सकता है...*(व्यवधान)* मेरी आपसे विनती है कि उस किसान के बारे में सोचा जाए।

मैडम, मैं लास्ट में बीजेपी के लिए कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, अब आप बोलिए।

*(व्यवधान)...**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, वित्त विधेयक जो 2011-12 है उसमें मैं देख रहा हूं कि सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जो बड़े-बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, धन्नासेठ लोग हैं उन्हीं की सहूलियत के लिए बातें हैं। आम ट्रेडर जो गरीब आदमी गांव में खुदरा खरीद-बिक्री करता उसके लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अस्सी के दशक में दस हजार रुपया कैश का कारोबार करने की इजाजत थी, नब्बे के दशक में हो गया पन्द्रह हजार रुपये, वर्ष दो हजार बीस हजार रुपये का कैश का कारोबार की करने की अनुमति हुई। ग्यारह वर्ष हो रहा है, उसमें कोई इंफ्लेशन नहीं है, उसमें कोई बढ़ोतरी की बात नहीं है। जो आम आदमी गांव में खरीद बिक्री करता है, जो छोटे-छोटे व्यापार करने वाले कारोबारी हैं उनके लिए कुछ है। मैं एक उदाहरण देता हूं। गरीब के लिए अब मैं बोलूंगा। जो साधारण व्यापारी है उनके लिए है ही नहीं। इनकम टैक्स की धारा 40 में क्यों संशोधन अभी तक नहीं हुआ? मेरा सवाल नम्बर एक है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कैश का कारोबार क्यों बीस हजार रुपये पर बारह वर्षों से रोक कर रखे हुए है। उन कारोबारियों को कोई सुनने वाला है। क्यों इस पर विचार नहीं हुआ? छोटे-छोटे व्यापारी, कारोबारी जो लाखों-लाख की संख्या में हैं, कुछ लोग जो बड़े आदमी हैं उन्हीं से कंसलटेशन होता है जो गांव में खरीद-बिक्री करने वाले छोटे-छोटे व्यापारी जो करोड़ों की संख्या में होंगे, उनको साधारण बात से क्या सहुलियतें दी जा सकती हैं? व्यापार का जो असली काम कर रहा है जो उत्पादन करता है, लेकिन आम जन से बिक्री तो वही करता है।

सभापति महोदया, गरीब का तो उसमें कुछ भी नहीं है। गरीब पर कमीशन बैठाने में सरकार बहादुर है। तेन्दुलकर कमीशन, सक्शेना कमेटी, योजना आयोग अलग से करता है, अर्जुनसेन गुप्ता कमीशन, दो वर्षों से रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं किया। गरीबी रेखा से नीचे की सूची जो सरकार नहीं तय करें, वह गरीबी कैसे हटायेगी। गरीबी कैसे घटेगी? गरीबी कैसे रूकेगी?

सवाल नम्बर दो, कि आम गरीबों की संख्या, जो पांच करोड़, छः करोड़, या आठ करोड़ गरीबी रेखा से नीचे है, अभी तय नहीं है। तेन्दुलकर कमीशन हमने नहीं बैठाया, सरकार ने बैठाया। उस कमीशन की रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं हुआ। दो वर्ष हो गया। ग्यारहवीं योजना खत्म होने पर है। गरीब आदमी और सारी गरीबी उन्मूलन की योजनाएं जब तक गरीबों की संख्या तय नहीं होगी, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान नहीं होगी, कैसे कोई योजना चलेगी। चाहे ग्रामीण विद्युतीकरण हो, इंदिरा आवास हो या बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन हो जो भी गरीब के लिए योजना है, जो सरकार इतने वर्षों में गरीबों की सूची तैयार नहीं कर सकी, गरीबी कैसे हटाएगी? गरीबी नहीं रूकेगी, गरीबी बढ़ेगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

यह फूड सिक्यूरिटी, सारा मामला उसी पर निर्भर है। रिपोर्ट लेकर बैठ जाते हैं। क्या एक ही रिपोर्ट है? एक रिपोर्ट अलग है। एनएसएसओ है, प्लानिंग कमीशन है वह अलग मंत्र पढ़ता है, उसका क्या हुआ? हम जानना चाहते हैं। क्यों उस पर विचार नहीं हुआ? क्यों सरकार इन डिसीजन में है? सरकार पर हमारा एक आरोप है कि यह दिशाहीनता की ओर जा रही है। इसलिए कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। कामन मिनिमम प्रोग्राम से होता है कि हमको क्या करना है? इनका क्या लक्ष्य है? दिशाहीन सरकार चल रही है। इसी कारण से सारी गड़बड़ी है। फजीहत हो जाएगी तब सारा काम सरकार करेगी। फजीहत होने पर जेपीसी का गठन किया गया। सीवीसी को फजीहत होने के बाद हटाया गया। कोर्ट जब डंडा चलायेगा तब सरकार काम करेगी।

हमने शुरू में कहा कि इसमें गरीब व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। 3 लाख 10 हजार करोड़ रुपये केन्द्र पर बकाया हैं। लिटिगेशन में चल रहा है, मामला चल रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रखा हुआ है और नहीं दिया। वित्त विधेयक धोखा है, नहीं तो काला धन कैसे जमा हो रहा है। सारा कानून, एक्साइज और कस्टम जनता की नजर में सब धोखा है। कहते हैं कि विदेश में 70 लाख करोड़ रुपये जमा हो गए। अगर कानून ठीक होता, ठीक काम होता तो देश या विदेश में काला धन क्यों जमा होता?

चौथा, सरकार क्यों नहीं जगती? सुप्रीम कोर्ट कहेगा, डांट-फटकार करेगा कि एसआईटी बनाइए तो नहीं बनाएंगे। अपने आप कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि देश के अंदर या बाहर जो काला धन है, उसे हम जब्त करेंगे या गरीब व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, देश के विकास में लगाएंगे। क्यों आगे नहीं आते? प्रो-एक्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? जब कोर्ट कहेगा, उपद्रव होगा, हल्ला होगा, तब फजीहत सहकर वही काम करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? जब्ती का काला धन देश के अंदर हो या विदेश में हो, फाइनैंस बिल, एक्साइज ड्यूटी, इन सबमें जनता का कोई विश्वास नहीं है। कोई कहता है कि स्विस बैंक या बाहर के अन्य बैंकों में 70 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। देश के अंदर कितना काला धन होगा? काले धन वाले लोगों के प्रति सरकार की ममता क्यों है,

मैं नहीं समझ पर रहा हूं? उस पर कड़ा रूख होना चाहिए और प्रो-एक्टिव होकर, कानून बनाकर काला धन जब्त कीजिए। सदन के सब सदस्य उसका समर्थन करेंगे। काला धन जब्त करके उसे किसान और गरीबी हटाने पर लगाया जाए। कोई अनुमान ही नहीं है। अनहार घर में सांप ही सांप। कोई कहता है कि 70 लाख करोड़ रुपये, कोई कहता है कि लाखों-लाख करोड़ रुपये विदेशों में जमा हैं। कहते हैं कि फाइनैंस विधयेक है और टैक्स लगाते हैं। जब कानून है तो काला धन कहां से आया। काला धन हटाने के बारे में वांगचू कमेटी बैठी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से देश के लिए काला धन एक समस्या है।. ..*(व्यवधान)* उस तरफ कोर्ट डंडा चलाएगा, कोर्ट कायम करेगा, ये गिड़गिड़ाएंगे हजूर, हम कर रहे हैं और तब करेंगे। क्या मामला है? क्यों ऐसी कमजोरी है, किसके प्रति है?

पत्रकार लोकतंत्र का चौथा खम्भा है। मजीठिया आयोग बैठा था। उस बारे में क्या हुआ? मजीठिया आयोग पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? पत्रकार, चौथे खम्भे की यह दुर्दशा। मजीठिया आयोग बिठाया और उसकी रिपोर्ट को ताक पर रख दिया। पत्रकार लोग, कहीं कौन्ट्रैक्ट चल रहा है, कहीं पेड न्यूज चल रही है। लोकतंत्र के चौथे खम्भे की यह स्थिति होगी, पत्रकार बंधुआ मजदूर की तरह रहेंगे, तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा? हम जानना चाहते हैं कि मजीठिया आयोग पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? कितने दिन लगाएंगे? किसानों के लिए स्वामीनाथ कमीशन, अभी भक्त चरण दास कह रहे थे कि किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं, तो सरकार कैसे दावा करती है कि हमने किसानों के लिए अच्छा किया। जब आप किसानों के लिए अच्छा करेंगे तब किसान आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों है, हम स्पैसीफिकली जानना चाहते हैं।

अंग्रेजों ने सन् 1924-25 में रेल बजट शुरू किया। आप किसान बजट क्यों नहीं शुरू करते? क्यो रेल बजट अलग है? इसलिए कि उस पर फोकस होगा, विकास होगा। किसानों, कृषि के बारे में बहस भी नहीं हुई। सरकार को अलग से किसान बजट लाने के बारे में क्या दिक्कत है। अगर ऐसा होता तो देश के करोड़ों किसानों का मनोबल जगता कि हमारी तरफ सरकार का ध्यान गया है। ये कहते हैं कि हम लोन दे रहे हैं। अलग से किसान बजट होना चाहिए।

मैं किसानों की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। सुना था कि किसानों को खाद की सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी बढ़ रही है। खाद उत्पादक, फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी मिल रही है, किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। हमने सुना था कि

किसान को डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। हम पूछना चाहते हैं कि उनको वह सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही? उसमें क्या बाधा है? आपको फर्टिलाइजर कंपनी से क्या ममता है? जब विचार आया कि हम किसान को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। तो किसानों के लिए वह मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार हुआ?

महोदया, किसानों को सब्सिडी मिलती है। क्या उसमें एक आइटम मजदूरी का भी है या नहीं? रोजगार गारंटी योजना के चलते देश भर में मजदूरों को बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ी है। खेतीहर मजदूरों की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है। जो अनाप-शनाप मजदूरी बढ़ी है, उसे क्या किसान दे पायेगा? इसलिए मजदूरी पर सब्सिडी देने के बारे में आप विचार क्यों नहीं करते, यह हम जवाब चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : रघुवंश जी, अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : किसानों की सब्सिडी के बारे में आयोग बैठा।...*(व्यवधान)* आयोग के बाद दूसरी कमीशन रिपोर्ट पर क्यों नहीं विचार हुआ? वह रिपोर्ट गायब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर काम हुआ या नहीं? ये सारी समस्याएं गरीबी हटाने के लिए हैं।

महोदया, मैं एक स्पेसीफिक सवाल उठाना चाहता हूं। आंगनवाड़ी सेविका...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : रघुवंश जी, अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, यह बड़ा संयोग है कि आप आसन पर बैठी हैं। आप महिला आयोग की चेयरमैन भी हैं।...*(व्यवधान)* मैं स्पेसीफिकली कहना चाहता हूं कि देश भी में प्रशंसा हुई है। आंगनवाड़ी सेविका का 1500 से 3000 रुपये माहवारी भत्ता हो गया है। इसकी देश भर में प्रशंसा हुई है। लेकिन आशा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी संख्या देश भर में करीब आठ लाख होगी। उनका क्या रेमुनरेशन है, क्या भत्ता है, इसकी जानकारी भी नहीं है। उनको कोई मालिक भत्ता नहीं मिलता। एक-आध आशा कर्मी को प्रैगनेंसी या बर्थ कंट्रोल करने पर पचास या सौ रुपये मिलते हैं या नहीं मिलते। मैं पूछना चाहता हूं कि देश भर में आशा क्यों निराशा में चल रही है? वे कलेजा पीट रही हैं। कहीं पर आशा कर्मियों पर लाठियां चली हैं।...*(वयवधान)*

सभापति महोदया : कृपया आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के बारे में संचालन समिति ने पारित किया कि कम से कम 500 रुपये मिलने चाहिए। यह केवल दोहरा मापदंड है। फाइनेंस ने कहा कि हम 500 रुपये नहीं देंगे। संचालन समिति के पास होने के बाद भी यह नहीं मिला।...*(व्यवधान)* उनके साथ घोर अत्याचार हो रहा है।...*(व्यवधान)* सरकार का दोहरा मापदंड है। महिलाओं के बारे में कोई देखने, सुनने और समझने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : रघुवंश जी, अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महिला बल आज सब बड़े-बड़े पदों पर हैं। आसन पर भी महिला बैठी हैं।...*(व्यवधान)* महिलाओं के साथ जितनी दुर्दशा इस सरकार में हो रही है...*(व्यवधान)* 40 वर्ष की विधवा को पैंशन मिल रही है। 40 वर्ष को कम उम्र की विधवाओं की संख्या 4 परसेंट होती है, लेकिन उनको पैंशन नहीं मिलती है। इतना भारी अंधेर है। जब कोई महिला विधवा हो जाये, तो राज्य सरकारों में पैंशन दी जाती है। अब यह कहा जाता है कि 40 वर्ष तक हम उन्हें पैंशन नहीं देंगे, काम देंगे। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने कितनी विधवाओं को अभी तक काम दिया है? इसकी जानकारी तो कम से कम सदन में मिलनी चाहिए। सरकार के सभी लोगों को बांये हाथ में क्या हो रहा है, दांये हाथ को जानकारी नहीं है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : रघुवंश जी, अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, इसमें सरकार को मजबूती के साथ यह सब काम करना चाहिए। रीजनल डिसपैरिटी हटाने के लिए आपने क्या किया? जो क्षेत्रीय विषमता है, देश की एकता के लिए रीजनल डिस्पैरिटी हटाने के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी) : सभापति महोदया, उनका माइक बंद करने से भी हमारा मुकाबला उनसे नहीं होगा। रघुवंश जी, आपसे कौन मुकाबला कर सकता है। माइक बंद करने से भी आपकी आवाज में बहुत दम है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप आपस में बातचीत मत कीजिए। रघुवंश जी ने वाइंड अप कर दिया है, इसलिए आप बोलिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आवाज में दम नहीं, करोड़ों गरीब लोगों की बात है।...*(व्यवधान)* देश के किसानों की बात है।...*(व्यवधान)* बेरोजगारी हटाई जाएगी तो गरीबी हटेगी।...*(व्यवधान)* इसलिए बिना बेरोजगारी हटाए गरीबी नहीं हटेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया सहयोग कीजिए। पांच बजे रिप्लाई होनी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं सदन को इन्फार्म कर दूं कि अभी पांच-छः सदस्य और बोलने हैं, पांच बजे रिप्लाई होनी है, इसलिए कृपया आप लोग सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली : मैडम, रघुवंश प्रसाद जी और लाल सिंह जी के बाद मैं क्या बात करूं, इतनी ऊंची आवाज से उन्होंने अपनी बात कही है। मैं क्या बोलूं, अपोजिशन भी नहीं है। इतनी इंट्रेस्टिंग डिबेट में पार्टीसिपेट करने के लिए हमारे अपोजिशन के मित्र, मामला तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों इतना गुस्सा आ गया *[अनुवाद]* प्रणब दा द्वारा उनको इस विधेयक विशेष को तुरंत पारित करने की आवश्यकता के बारे में बताने के बावजूद...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* कम्यूनिस्ट भी। यह तो पहले से ऐसे ही चल रहा है। आप चाहें तो वर्ष 1950 से देख लीजिए, कभी गोवध कहते थे, कभी कहते थे आर्टिकल 356, कभी कहते थे कॉमन सिविल कोड, कभी कहते थे राम जन्म भूमि, कभी कहते थे हिन्दुत्व, अभी मिल गया है विकीलीक्स।...*(व्यवधान)* ये लोग ऐसा कुछ बोलते और कहते रहते हैं। पार्लियामेंट में क्यों जमा हुए, क्यों बैठे हैं यहां? क्या काम करना है, वह कभी करने नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

यह बात मेरी समझ में नहीं आती। सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी प्रश्न काल है लेकिन वे कभी भी प्रश्न काल नहीं चलने देते। मैं यह नहीं समझ पाता कि वे इससे बाहर क्यों जा रहे हैं।

जो भी हो, मुद्दे पर आते हुए, *[हिन्दी]* मैं फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब दा को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि *[अनुवाद]* सोचिए, पहली बार वित्त मंत्री ने यह स्वीकार करने और कहने का साहस दर्शाया है कि नियोजन और क्रियान्वयन में अंतर है। कुछ खामियां हैं। भ्रष्टाचार है। हमें इसे समाप्त करना होगा। यह मौजूदा परिस्थितियों में दिए जाने वाले सर्वाधिक उचित वक्तव्यों में से एक है। ऐसा किस प्रकार किया जाए। यदि उन्हें शामिल किया जा सके तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं वह बात दोहराना चाहता हूं जो मैंने 2005 में कही थी, अंबानी, टाटा, बिरला...* सहित हम सब घरेलू गैस राजसहायता प्राप्त करते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मैं बार-बार यह बात कह रहा था। सबसे पहले, आप उन लोगों के लिए राजसहायता समाप्त कीजिए जिनकी आय 6 लाख रुपये से अधिक है और जो संवैधानिक पदों पर हैं यथा संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और मंत्री। हमें इस राजसहायता की आवश्यकता नहीं है। आप किसी अलग रंग के सिलेंडर शुरू करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीले अथवा किसी और रंग के सिलेंडर शुरू कीजिए और कहें कि यह राजसहायता-मुक्त सिलेंडर है, लोग इसे खरीदना आरंभ कर देंगे क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि एक गांव का सरपंच बनने के लिए जिसके पास कोई शक्तियां नहीं हैं और जो अपनी 'बंतों' को भी नहीं हटा सकता, वे 50 से 60 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी एक पहचान चाहते हैं। पहचान के लिए वे चुनावों में इतना अधिक खर्च कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि उनको वह पहचान दी जाती है तो वे इसे लेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : मैडम का नाम डिलीट कर दिया जाए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली : मुझे खेद है।

मैं यह बात उस समय से बार-बार कह रहा हूं जब मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री थे। यह बात मैंने श्री मुरली देवरा जी और श्री जयपाल रेड्डी जी के अलावा महोदया सोनिया गांधी जी को भी बताई थी। प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है कि यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है और इसे तुरंत क्रियान्वित किया जाना चाहिए। परंतु इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, जो भी आयकर का भुगतान कर रहा है वह ये सिलेंडर खरीदेगा। प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि आयकर में सबकुछ 'गोलमाल' है। आयकर के भुगतान में किसी की रूचि नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति के पास जाएं और इसके बारे में कहें तो वह कहेगा कि *[हिन्दी]* एक बार इसमें फंस गया, तो फंस गया समझो। कुछ पैसे देकर इनकम टैक्स से बाहर ही रहने की कोशिश करो। *[अनुवाद]* मैं आपको बताना चाहता था कि इन लोगों के लिए, जो आयकर दे रहे हैं और 'पैन' कार्ड धारक हैं, उनके लिए कुछ आरक्षण कीजिए और उन्हें कुछ गरिमा प्रदान कीजिए। जब वे रेलवे स्टेशन जाएं, यथा एक प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय, तो 'पैन' कार्ड धारकों के लिए एक प्रतीक्षालय होना चाहिए। यदि कोई 'पैन' कार्ड धारक किसी व्यक्ति को जमानत पर छुड़ाने- यदि वह जमानत योग्य अपराध हो- पुलिस थाने जाता है तो 'पैन' कार्ड पर्याप्त होना चाहिए और उसे अपनी संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब वह विमापनत्तन पर जाता है तो 'पैन' कार्ड धारकों के लिए वहां एक कक्ष होना चाहिए। *[हिन्दी]* सब लोग क्यू में खड़े हो जाएंगे और पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। *[अनुवाद]* यदि सरकार ऐसा करती है तो आयकर के भुगतान के कारण राजस्व संग्रहण में अत्यधिक वृद्धि होगी। मैं सरकार को यही सुझाव देना चाहता हूं। इस सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

महोदया, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। हमारी गोदावरी और तीस्ता नदियों को जोड़ने की परियोजना है। रिपोर्टों में बताया गया है कि इस परियोजना के पूरी होने के पश्चात् प्रतिफल 19 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगा। इसका अर्थ हुआ कि केवल साढ़े पांच वर्ष में परियोजना पर व्यय होने वाली समस्त राशि वापस मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इंदिरा सागर-पोल्लावरम परियोजना आज भारत में सर्वाधिक व्यवहार्य सिंचाई परियोजना है। यह पूर्णतया गुरूत्वाकर्षण आधार पर कार्य करती है और इस परियोजना से 968 मेगावाट विद्युत उत्पादन की भी योजना है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का अनुरोध करता हूं ताकि नदियों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हो सके।

महोदया, मेरी अगली बात मध्याह्न भोजन के बारे में है। यह सरकार मध्याह्न भोजन योजना पर काफी राशि व्यय कर रही है। मेरे गृह जिले राजमुंदरी में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का कार्य 'इस्कान' मंदिर के अधिकारियों को 'आउटसोर्स' किया गया है। यह बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। यदि इस योजना को चलाने के लिए इसे गैर-सरकारी व्यक्तियों को सौंपा जाता है तो ऐसी सोच है कि वे इससे कमाने लगेंगे। लेकिन, 'इस्कान', रामकृष्ण मिशन, मदर टेरेसा संस्था और उन जैसे अनेक अन्य गैर-सरकारी संगठन हैं। जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में एक 'चैरिटेबल ट्रस्ट' को (यह काम) सौंपा है और उन्होंने एक शानदार पाकशाला निर्मित की है क्योंकि वे प्रसिद्धि चाहते हैं। वे सर्वोत्तम भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं जिसे आप एक पांच सितारा होटल में भी नहीं पा सकते। हम पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं करते? हम ऐसे गैर-सरकारी संगठनों और 'इस्कान' तथा रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं का सूक्ष्म वित्तपोषण क्यों नहीं करते? यदि ऐसे लोगों का सूक्ष्म वित्तपोषण किया जाता है तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। इस बजट में पूरा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केन्द्रित है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा धन प्रदान करने की ओर निदेशित है। माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें कतिपय खामियां हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों से ये खामियां दूर की जा सकती हैं। मैं एक बार पुन: उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

अंत में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नौकरशाही, लालफीताशाही, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोका जाना आवश्यक है। अब, हम चाहते हैं कि ग्रामीण गरीब तक प्रत्येक रुपया पहुंचे। *[हिन्दी]* राजीव जी कहते थे कि दिल्ली से अगर 100 रुपए हैदराबाद पहुंचते हैं तो हैदराबाद में 50 रुपए रह जाते हैं और हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तक पहुंचते-पहुंचते वह 25 रुपए रह जाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से रेवेन्यू हैड क्वार्टर तक पहुंचते-पहुंचते पांच रुपए रह जाते हैं।

[अनुवाद]

वस्तुत: यही हो रहा है। इसे रोकने के लिए इन चारों, नामत: नौकरशाही, लालफीताशाही, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक 2011-2012 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री जी ने पिछले मुकाबले के बजट से ज्यादा अच्छा बजट इस साल हमारे सामने पेश किया है। मैं शहरी शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं। अधिकांश सांसद गांवों की बात करते हैं और उनके लिए यह कहना भी जरूरी है, क्योंकि वे गांवों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने इन्हें वोट दिया है। मैं शहरी संसदीय क्षेत्र से आता हूं। शहरों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुएवल मिशन की शुरूआत की गई थी। केन्द्र शासन द्वारा राज्य सरकारों को अपने-अपने शहरों का विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। आगामी वित्त वर्ष यानि 2011-2012 में यह स्कीम खत्म हो जाएगी। हमारे राज्य महाराष्ट्र में इस स्कीम के तहत जो फंड दिया गया था, उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया है। हम वित्त मंत्री जी से पिछले दो साल से मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस योजना के तहत और पैसा दिया जाए। महाराष्ट्र के अलावा अन्य कुछ राज्यों में भी इस योजना के तहत अच्छा काम हुआ है और कुछ राज्यों में नहीं भी हुआ है। ऐसे बहुत से राज्य हैं। हमारी वित्त मंत्री जी से विनती है कि चूंकि यह स्कीम 2011-2012 के वित्त वर्ष में खत्म हो जाएगी इसलिए 12वें वित्त आयोग से बात करके और अनुमति लेकर जिन राज्यों ने इस स्कीम के तहत काम नहीं किया है, उनका पैसा, उन राज्यों को ट्रांसफर कर दिया जाए जहां इस स्कीम के तहत अच्छा काम हुआ है और जिन्होंने इसका सही उपयोग किया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि शहरी आवास के माध्यम से उन्होंने जो स्कीम वहां दी है, जो झुग्गियां हैं, झोंपड़ियां हैं, उन लोगों को शुरू में 200 स्केयर फीट का घर दिया गया, बाद में उसे 250 स्केयर फीट किया गया तथा महाराष्ट्र राज्य में उसे 275 स्केयर फीट किया गया। मैं विनती करूंगा कि इसे बढ़ाकर कम से कम 350 स्केयर फीट करने का निर्णय किया जाए ताकि लोग उसमें रह सकें। आप देखेंगे कि लोग 250 स्केयर फीट के घर में रह भी नहीं सकते हैं। अगर सरकार इस अच्छी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है तो मेरी विनती है कि उन्हें कम से कम 350 स्केयर फीट का घर दिया जाए।

दूसरी समस्या इन शहरों की यह है कि इन शहरों का जो सीवरेज है उसे नाले, समुद्र या नदियों में छोड़ा जाता है। उसका किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा सीवरेज प्लांट के पिछले 7 सालों में पैसा दिया गया है। जैसे नवी-मुंबई है जिसने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और केन्द्र सरकार द्वारा इस काम के लिए उसे शाबाशी भी दी गयी है। मैं चाहूंगा कि यह स्कीम अगर हमारे देश से सभी शहरों में इम्प्लीमेंट की जाएगी तो मैं समझता हूं कि इससे पर्यावरण का भी संतुलन हो जाएगा और उस पानी का दुबारा इस्तेमाल भी हो सकेगा। केन्द्र शासन इस स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।

एमएमआरडीए रीजन खासकर मुंबई और बाजू के शहरों के लिए बनाया गया है। उसके लिए पिछले तीन-चार सालों से ज्यादा फंड दिये जाने की मांग की जा रही है। मैं विनती करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि ये शहर ढाई करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर बन गये हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इन इलाकों के लिए खास पैकेज दिया जाए, जिसके माध्यम से इन इलाके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। सिटी डैवलेपमेंट प्लान सभी शहरों से केन्द्र सरकार द्वारा मांगा गया है और जिस संसद में हम बैठे हैं यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, मैं चाहूंगा कि 100 साल की ऐसी प्लानिंग हो जाए जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसे अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, पीने के पानी की समस्या दूर हो, सीवरेज की समस्या दूर हो और घरों की कमी की समस्या दूर हो। अगर सभी राज्यों को एक साथ लाकर हम यह यह स्कीम लागू करते हैं तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं होगी।

अंत में मैं तीन पाइंट रखना चाहूंगा। पहला यह है कि 60 साल तक तो सभी लोगों का बीमा हो जाता है, लेकिन सीनियर सिटिजन का बीमा हो जाए, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि ऐसी कोई स्कीम पेश की जाए जिससे 60 साल के बाद कोई तो उसकी जिम्मेदारी ले। इस बार में माननीय वित्त मंत्री जी जरूर ध्यान दें।

हमारे माननीय जयप्रकाश जी ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट के लिए 10 परसेंट से 4 परसेंट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि 1000 रुपये तक का उन्हें टैक्स में मुनाफा मिलना चाहिए, यह मांग मैं यहां रखता हूं। मेडिकल अस्पतालों का जो आपने सर्विस टैक्स कैंसिल किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं और हमारे सांसदों का एमपीलैड 5 करोड़ किया, उसके

लिए भी धन्यवाद करता हूं। आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि देश के विकास के लिए, देश की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है। देश की गरीबी को दूर करने के लिए काफी समय से नारे लगाए जाते रहे हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब देश में गरीबों की संख्या का ही पता नहीं है, तो किस तरह से गरीबों की बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं? सभी राज्यों से मांग आती रही है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार इस सवाल को उठाया, लेकिन आज तक बीपीएल की संख्या का निर्धारण ही नहीं हो पाया है, तो यह शंका अपने आप पैदा होती है कि कैसे हम उनके लिए कार्यक्रम और योजनाएं बना सकते हैं?

यह सत्य बात है कि किसानों के हितों की संसद में चर्चा होती रहती है। हमारे देश में 75 प्रतिशत किसान हैं, जिन्हें देश की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन आज तक किसानों के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया है। किसानों के लिए कर्ज माफी की बात हो जाती है, लेकिन छोटे किसान, जिनकी संख्या 75 से 80 फीसदी है, उनके लिए कर्ज माफी का कोई फायदा नहीं होता है। एक एकड़ से नीचे के खेत जोतने वाले किसानों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। जब वे शहरों की तरफ पलायन करके बड़े-बड़े महानगरों की तरफ जाते हैं, तो वहां भी उन्हें अपमानित होना पड़ता है। उनके बारे में कहा जाता है कि गांवों से शहरों में गंदे लोग आ गए हैं और शहरों में गंदगी फैला रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे पूर्वांचल प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के काफी संख्या में असंगठित मजदूर और किसान कमाने के लिए आते हैं, उन्हें गंदे लोग कह कर भगाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब तक छोटे किसानों के हितों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता है और बजट को देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है।

बुनकरों के हितों की बात भी मैं कहना चाहता हूं। आपने बुनकरों के लिए तीन हजार करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान किया है। बुनकरों की बहुत ज्यादा संख्या हमारे देश में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो, हर जगह मेरे संसदीय क्षेत्र में मऊ जनपद में सबसे ज्यादा बुनकर रहते हैं, जो डिफाल्टर सोसायटी है, जो झोला ले कर घूमते हैं, उनका तो फायदा हो सकता है, लेकिन बुनकर जो कच्चा माल खरीदकर रोज काम करता है, उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है। मैं चाहता हूं कि बुनकरों के लिए जो बजट आवंटित किया है, उसे बढ़ाना चाहिए। हम कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है, लेकिन बुनकरों को स्वाभिमान से जीने का हक मिले। बुनकर जब बैंक से कर्जा लेने जाता है, तो उसे बीस बार दौड़ा कर उसकी कमर तोड़ दी जाती है, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो या पढ़ने वाला छात्र हो, इन सभी के लिए किसी प्रकार की सहूलियत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आज चाइना से साड़ी आ रही है, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश का बुनकर पीछे रह जाता है। बुनकरों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए अच्छी तकनीक दे कर आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह जब छोटे किसान बड़े-बड़े शहरों में आते हैं, जिनकी एक हजार के करीब इनकम है, जो रेडीमेट गारमेंट्स के काम में लगे नौजवान हैं, उनके लिए आपने 10 परसेंट से 4 परसेंट किया है, मैं समझता हूं कि यह परसेंट पूरे तौर पर खत्म कर दिया जाना चाहिए था, जिससे वे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते थे।

मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने अस्पतालों में सर्विस टैक्स को माफ किया है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज कुपोषण के शिकार जो लोग गांव में हैं और जो जीवन रक्षक दवाइयां महंगी हैं, जो केंसर और किडनी फेलियर से पीड़ित लोग मर रहे हैं, उन मरीजों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं यू.पी. से आता हूं। बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। यू.पी. में पिछले बीस साल से बिजली बढ़ाने के लिए कोई भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। जो ढ़ाई तीन हजार मेगावाट का अंतर है, उसे कम करने के लिए मैंने कई बार मांग की लेकिन सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। इसीलिए शाहजहांपुर में जो पावर प्लांट लगा, 27 लाख मीट्रिक टन के लिए जो सरकार से 2010-2011 में अनुबंध हुआ, केवल हमें 16 लाख टन प्रतिवर्ष मिलता है, इसीलिए मैं इसे बढ़ाये जाने की मांग करता हूं।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश ने दूसरे प्रदेश के मुकाबले काफी अच्छा काम किया और जो गांव के छोटे-छोटे कस्बे हैं, 100 से ज्यादा जिनकी संख्या है, 1 लाख 37 हजार से ज्यादा का प्रस्तावित बजट

[श्री दारा सिंह चौहान]

हमने भेजा लेकिन मैं बधाई दूंगा कि आपने यू.पी. में रायबरेली और सुल्तानपुर को तो दिया है लेकिन पूरे प्रदेश को ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं मांग करूंगा कि पूरे प्रदेश को इससे जोड़ने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस योजना के तहत हमारे प्रदेश में जितने प्रस्ताव आते हैं, पिछले दो वर्षों से कोई पैसा नहीं दिया गया है। अमर शहीद रोड, लखनऊ और जो सीतापुर रोड है, दिल्ली है, अलीगढ़ और कानपुर है, विलम्ब होने के नाते जो इन परियोजनाओं की कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी मांग है कि वे सब एक निश्चित समय-सीमा के अंदर पूरी होनी चाहिए अन्यथा गरीबों से टैक्स के रूप में यह पैसा वसूला जाएगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : सभापति महोदया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे फाइनेंस बिल जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आज बहस के लिए यहां रखा है, उस पर बोलने का मौका दिया। जहां मैं बिल की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने समाज के हर तबके के लिए अपने बजट में बात की और जो बातें रह गई थी, उनके बारे में जो माननीय सदस्य अपने अपने समय में बोले हैं, उन्होंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दो चार बातें मैं सिर्फ आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के सैक्टर में बहुत सारी बातें हुई और किसानों को बहुत सारी राहत जो बजट में भी दी गई और जब से हमारी यूपीए की सरकारे चाहे यूपीए-वन हो या यूपीए-सैकेंड हो, वे देश भर के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं और उनको बहुत सारे फायदे पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के किसानों को उन रियायतों से कोई फायदा नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि चाहे वह खाद हो, या दवाइयां हो या खेतीबाड़ी करने वाले औजार हों, उनका फायदा देश के जो दूसरे किसानों को मिलता है, वह फायदा जम्मू-कश्मीर के किसानों को नहीं मिलता क्योंकि लखनपुर के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है, जैसे पंजाब-पठानकोट में एक ट्रैक्टर अगर साढ़े चार लाख का मिलता है और वही ट्रैक्टर जम्मू-कश्मीर में दस कदम के बाद 60 हजार रुपये महंगा हो जाता है। मैं समझता हूं कि रियायते जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी है। मैं मोहतरम खजाना मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां आपने दिल खोलकर रियायते जम्मू कश्मीर को तरक्की के लिए पैसा दे रहे हैं, वहीं किसानों के इस बोझ को भी संभाल लें। रियायतें जम्मू कश्मीर गरीब रियासत है, यह इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती।

महोदया, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि खजाना मंत्री जी ने हर एक दुखती रग पर हाथ रखा है, मैं समझता हूं कि गुजरात से लेकर लेह तक गुलिस्तां के बार्डर, चाहे इंटरनेशनल बार्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जम्मू-कश्मीर और मेरा पार्लियामेंटरी हलका जम्मू पुंछ रजौरी, पिछली चार-पांच जंगों का शिकार हुआ है। हर पांच या दस साल बाद इन्हें रिफ्यूजी होना पड़ता है। सरहद के उस पार से बुजदिलाना हरकत पाकिस्तान करता है, बेवक्त फायरिंग कर देता है, तब किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, गोलीबारी में कई हादसे हो जाते हैं। इसमें किसान भी मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं और फसलों का भी नुकसान होता है। इसमें अच्छा यह हो सकता है, चाहे गुजरात, राजस्थान, पंजाब या जम्मू-कश्मीर हो, बार्डर के साथ रहने वाले किसानों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लागू की जा सकती है जिससे बार्डर के साथ रहने वाले किसानों का मनोबल ऊंचा होगा जब उनके नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

महोदया, साबिका फौजियों के बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं आया, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। साबिका फौजी, जिन्होंने तपते हुए रेगिस्तान, बर्फानी चोटियों और समुद्र तक की निगेहबानी की है। वे अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा देश की रक्षा के लिए देकर वापिस आते हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। मैं खास तौर से जम्मू-कश्मीर को देखता हूं कि बाकी देश के साबिका फौजियों को जो रियायतें और सहूलियतें दी जाती हैं, वैसी जम्मू कश्मीर के साफदा फौजियों को नहीं मिलती हैं। मैं समझता हूं कि उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए, जो सेवाएं अपनी नौकरी के दरमियान इस देश के लिए दी हैं, उनके बारे में कोई योजना बनानी चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए।

महोदया, मैं चौथी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। खजाना मंत्री जी बखूबी जानते हैं कि नेहरू जी, इंदिरा जी की देन थी कि राजीव गांधी जी के देश के अंदर एक एसएसबी वालेन्टियर बनाई जाए। जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए बहुत

बड़ा काम किया, पिछले कुछ सालों के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। आज ही के दिन सारे देश से कम से कम 20000-25000 एसएसबी के वालेन्टियर इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कितना बड़ा काम देश की सलामती और एकता के लिए किया, अगर आज वे धरने पर आएं, जलसे-जलूस करें तो मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं लगेगा। खजाना मंत्री जी से वे लोग मिले, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बंगाल से लेकर जम्मू-कश्मीर तक वे सारे देश से आए हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ किया जाए, जो ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए वन टाइम सैटलमेंट के लिए पालिसी बनाई जाए, जो अंडर एज हैं, उन्हें दोबारा कहीं रोजगार मिलना चाहिए। इसी तरह होम गार्ड लोग दिल्ली में आकर नेताओं से मिले हैं, वे पिछले पांच साल से जम्मू कश्मीर में धरने पर बैठे हैं। मैं खजाना मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां आपने रियासते जम्मू कश्मीर को दिल खोलकर पैसा दे रहे हैं, आप वहां के हालात ठीक करने के लिए हर तबके के साथ बात कर रहे हैं कि पूरा अमन हो, मैं समझता हूं कि इन लोगों से बात करके इनकी मुश्किल दूर करें ताकि रियासते जम्मू कश्मीर में अमन हो, शांति हो और देश तरक्की करे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान) : सभापति महोदया, मैं निश्चित रूप से अपने संसदीय क्षेत्र की महान जनता की ओर से देश के विद्वान वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी सूझ-बूझ से देश में आर्थिक तंगी नहीं आई। यह यूपीए सरकार का लगातार सातवां वित्त विधेयक है। इस दौरान दुनिया के कई देश आर्थिक तंगी के दौर से गुजरे, उनके उद्योग आर्थिक सहयोग से चले, लेकिन हमारे देश में इस तरह की विषम परिस्थिति नहीं आई। हम इसके लिए यूपीए अध्यक्षा और देश के प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

महोदया, आज वित्त मंत्री जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो पांच प्रतिशत कर की कटौती की है, हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम वित्त मंत्री जी और यूपीए अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहेंगे कि बिहार का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिनमें 37 जिलों को केन्द्र सरकार पिछड़े जिले मानती है और उनके विकास के लिए धन देती है। लेकिन एक मात्र सिवान जिला जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का जिला है, उसे यह कहकर धन नहीं दिया जाता और पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया, क्योंकि वहां विदेशी पैसा बहुत आता है। सिवान में तीन मिल और एक सूत फैक्टरी कांग्रेस के शासनकाल में थी। तब वहां लोगों को रोजगार मिलता था और किसानों की माली हालत ठीक थी। लेकिन ये तीनों मिले बीस वर्षों से बंद हैं और वहां के बेरोजगार युवक खाड़ी देशों में जाकर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए जो पैसा भेजते हैं, वहीं बैंकों के माध्यम से उनके परिवारों तक जाता है, जिससे जिले का विकास नहीं होता है, नालियों और सड़कों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि उस पैसे से उनके परिवारों की परवरिश होती है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि 38 जिलों में से 37 जिलों को आप विकास के लिए धन देते हैं, लेकिन एक जिले को नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि सिवान जिले को भी पिछड़ा जिला घोषित करके उसके उत्थान और विकास के लिए भी धन दिया जाए। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं।

हम वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सांसद निधि की राशि को दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया। लेकिन जो क्षेत्र की बनावट है, वह बहुत वृहद् है, उसमें यह अपर्याप्त है, लेकिन सांसदों की भावना की आपने जो कद्र की, हम उनके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं।

महोदया, किसान के बारे में इस सदन में बहुत बातें होती हैं। लेकिन एक काला विधेयक है, एक अपहरण करने वाला जेल जाता है, एक कर की चोरी करके जेल जाता है, सरकार उसे मुफ्त में खाना खिलाती है, जेल प्रशासन उसे मुफ्त में खिलाता है। लेकिन एक किसान अपनी खेती के लिए यदि चार-पांच हजार रुपये बैंक से लोन लेता है और यदि वह जेल जाता है तो वह जितने दिन खाता है, जेल प्रशासन और बैंक उससे वसूला करता है। इसलिए हमारा आग्रह है कि इस काले कानून को आप समाप्त करें और समान रूप से किसानों की बात होनी चाहिए।

महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : महोदया, मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैं अच्छे वित्तीय प्रधान के लिए माननीय वित्त मंत्री को

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना]

बधाई देता हूं तथा एम.पी. लैड योजना निधि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री से मेरा एक मात्र निवेदन है कि इसके क्रियान्वयन के दायरे को बढ़ाएं जिससे कि हम इसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए कर सके जो अभी तक सीमित है।

अपराह्न 4.59 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

महोदया, खनिज देश की संपत्ति है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकर संरक्षण किया जाना चाहिए। पूरे देश में जिस तरह से अंधाधुंध खनन कार्य चल रहा है, जो कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों हो सकता है, और जिस प्रकार इनका निर्यात किया जा रहा है उससे ऐसा समय आ सकता है जबकि इस देश में विभिन्न कारखानों, उद्योगों को चलाने के लिए हमें उन्होंने खनिजों का आयात करना पड़ सकता है।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन महोदया, गोवा के साथ एक विशेष समस्या है। गोवा की अर्थव्यवस्था पर्यटन और लौह अयस्क के निर्यात पर आधारित है। गोवा से जो लौह अयस्क निर्यात किया जाता है वह बहुत ही निम्न ग्रेड का होता है। इसका निम्नतम ग्रेड 48 है और अधिकतम 62 प्रतिशत है। यदि इसका निर्यात न किया जाए तो इसे किसी स्थान पर जमा कर दिया जाता है। वर्षा के मौसम के दौरान यह सब अयस्क बह कर नदी में चला जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं होता, यह हमारे लिए वरदान है कि आज यह अयस्क बहुत से देशों को निर्यात किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वर्ष 2008-09 55 प्रतिशत वाला अयस्क 3.5 मिलियन टन, 55 से 59 प्रतिशत वाला 16 मिलियन टन तथा 59 से 62 प्रतिशत वाले अयस्क की मात्र 14 मिलियन टन थी। 2009-10 में, 55 प्रतिशत वाला अयस्क 6.5 मिलियन था। वर्ष 2010-11 में यह लगभग कुल 31 मिलियन में से 11 मिलियन है जिसका निर्यात किया गया है। इसलिए 59 से 62 प्रतिशत वाला अयस्क मात्र 5 मिलियन है। अब माननीय मंत्री ने इसे बढ़ा दिया है; उन्होंने इसे सभी राज्यों के समकक्ष बना दिया है और यथा मूल्य 20 प्रतिशत कर बढ़ा दिया गया है। पूर्व में अच्छे किस्म के लिए यह 5 प्रतिशत तथा कच्चे माल के रूप में 15 प्रतिशत था। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा एकमात्र अनुरोध है कि वे इसे कम करें। विगत वर्ष के दौरान हमारे राज्य ने 800 मिलियन का संग्रह किया है। इसके पूर्व यह 250 मिलियन था। राज्य में चलने वाली सभी विकास योजनाएं वे रूक जाएंगी यदि इस आय का सृजन राज्य में नहीं होता।

माननीय मंत्री से मैं मात्र यह निवेदन करता हूं कि दो वर्ष पूर्व इस संबंध में प्रयास किया गया था, दो वर्ष पहले लेकिन इसे वापस ले लिया गया था क्योंकि राज्य ने माननीय मंत्री से संपर्क किया था। मैंने इसी बात की माननीय मंत्री से पहले ही अनुरोध कर चुका हूं मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और अच्छे किस्म के अयस्क तथा कच्चे माल के लिए पुन: 5 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत का नियम लागू करेंगे जैसे पहले चल रहा था।

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। वित्त विधेयक के पारित होने के साथ ही वर्ष 2011-12 के लिए बजट का कार्य पूरा हो जाएगा।

मैं अपने आगे देख रहा हूं कि प्रमुख विपक्षी दलों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। वस्तुत: सभी पार्टियों को अपना निर्णय लेने का अधिकार है लेकिन इसके कुछ निहितार्थ भी है। भारत सरकार के सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन के लिए संसद द्वारा अनुमोदन देना होता है। जब देश स्वतंत्र बना, जब हमारा वित्तीय लेन-देन बहुत ही अपर्याप्त था, और अल्प था; यदि मुझे सही-सही याद है, तो हमारे स्वतंत्र देश का पहला बजट 200 करोड़ रुपये का था। बजटीय वर्गीकरण बहुत ही स्पष्ट था, जो सिविल व्यय और सैन्य व्यय के रूप में था। वित्तीय घाटा केवल 26 करोड़ रुपये का है। केवल दो प्रकार के कर होते थे; आयकर जो लगभग 116 करोड़ रुपये होता था और सीमा शुल्क जो लगभग 50 करोड़ रुपये था। और एक विशेष कर होता था- जोसं मदत: युद्धकाल में शुरू किया गया था- जो आयातित अल्बोदल युक्त पेय पदार्थों पर लगता था और 2.5 करोड़ रुपये था।

मैं जिस बात को कहना चाहता हूं वह यह है कि लोक सभा और राज्य सभा के समय का 60 प्रतिशत धन, वित्त, कराधान और आयोजना तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा में बीत जाता

था क्योंकि इस सभा को तीन विशेष मूल अधिकार प्राप्त थे। कानूनी अधिकार अर्थात अनुच्छेद 265 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से कर नहीं लगाया जा सकता।

इस सभा की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। विनियोग विधेयक के माध्यम से इस सभा का अनुमोदन प्राप्त किए बिना भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसलिए, यदि हम ध्यान नहीं दे, तो किसी व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, यह एक विशेष मुद्दे से जुड़ा प्रश्न हैं, संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए, इससे जुड़ा प्रश्न है। वस्तुत:, विपक्ष दलों की अपनी सोच होगी। वे अपने विचार रखेंगे। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी ने सुबह सुझाव दिया था, संसद का काम चर्चा करना, वार्ता करना होता है, और कभी-कभी निर्णय लेना भी। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही हर किसी के दृष्टिकोण से सहमत हों परंतु हमारे विचार व्यक्त करने के मार्ग में कुछ आड़े नहीं आना चाहिए।

इसलिए, मुझे दुख होता है कि मुझे प्रमुख विपक्षी दल की अनुपस्थिति में मौजूद माननीय सदस्यों के अनुमोदन और उस पर मतदान करके वित्त विधेयक पारित कराना पड़ता है। परंतु ऐसे में, मैं विपक्षी दलों सहित सभी अन्य साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने उपस्थित रहने और अपना योगदान देने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदया, लगभग 16 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। उनमें से कई सदस्य विभिन्न मुद्दों पर पहले ही बोल चुके हैं जो सामान्य प्रकृति के हैं और जिनका बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए विस्तार से उत्तर दिया जा चुका है। इस बार हमें अपने अनुसूची में कुछ समायोजन करने होंगे क्योंकि पांच राज्यों में प्रांतीय चुनाव है। अन्यथा, हम बजट सत्र के दूसरे चरण में वित्त विधेयक को पारित करा लेते।

मैं बजटीय कार्य को एक बार में ही पूरा करने में सहयोग के लिए माननीय सदस्यों की सराहना करता हूं तथा उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ी थी। हमें बजटीय प्रस्तावों का विश्लेषण करने और विभिन्न व्यय प्रस्तावों पर अपने सुझाव देने हेतु विभिन्न स्थायी समितियों से सभी सदस्यों की अमूल्य टिप्पणियां नहीं मिली? हमें यह कार्य उसी तरह से करना था जैसे हमने ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2006 में किया था।

अध्यक्ष महोदया, सामान्यत: हमें बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् बहुत सारे अभ्यावेदन मिलते हैं। हमारे भारत जैसे देश में बजटीय प्रक्रिया एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। कुल व्यय प्रस्ताव 12,57,000 करोड़ रुपये से अधिक है। बड़ी मात्रा में उधार की राशि है। मुख्य महत्व इस बात का है जो मैंने इस बजट में दिया है कि इस बजट में तीन उद्देश्य हैं और ये उद्देश्य संदर्भ से अलग नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु मूल्य स्थिति और विश्व के कुछ भागों में थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के संदर्भ में और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।

सुबह, मैंने विश्व की अत्यंत मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक, जापान को प्रभावित करने वाली त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक आपदा का उल्लेख किया था और जहां तक हमारा संबंध है, जापान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे अधिक निवेश करने वाले देशों में से एक है और 50 के दशक के शुरू से ही हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करता रहा है। प्रधानमंत्री महोदय और यह सभा जापान के पीड़ित लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त कर चुकी है।

मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अनिश्चितता है। राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़कर, जिसके बारे में माननीय सदस्य सुबह अपने विचार व्यक्त कर चुके है और चिंता व्यक्त कर चुके हैं और भारत सरकार के पक्ष के बारे में भी सबको पता है, कि ऊर्जा क्षेत्र में अन्य निहितार्थ हैं। वहां पर्याप्त मात्रा में तेल का उत्पादन हो रहा है। इसलिए, यह केवल अत्यधिक अस्थिर मूल्य का प्रश्न नहीं है बल्कि यह उपलब्धता का भी प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि वहां सामान्य स्थिति बहाल होगी।

बजट प्रस्तुति के बाद मुझे संसद की दोनों सभाओं, उद्योग, व्यापार में अपने साथियों और विभिन्न अन्य पर्यवेक्षणों से टिप्पणियां मिली। ऊपर विचार करते हुए मैंने प्रस्तावों सहित अपने बजटीय प्रस्तावों में संशोधन किया है जिनका प्रावधान किया जाएगा, उनमें से कुछ की मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं और जब माननीय सदस्य वित्त विधेयक पारित करेंगे तो मैं वित्त विधेयक के विभिन्न खंडों में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव करूंगा।

मैं विशेष रूप से उन संशोधनों की बात कर रहा हूं जिन्हें मैं वित्त विधेयक में ला रहा हूं और उसके बाद प्रासंगिक संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे।

वर्ष 2011-12 के प्रत्यक्ष करों हेतु अपने प्रस्तावों में मैंने विदेशी

[श्री प्रणब मुखर्जी]

आनुषंगिक कंपनियों से भारतीय कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभांशों पर 15 प्रतिशत की निम्न कर दर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था जिसमें भारतीय कंपनियों की 50 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी है। विदेशी आनुषंगिक कंपनियों के स्वामित्व पद्धति में और छूट का अनुरोध करते हुए अनेक अभ्यावेदन किए गए हैं। इसलिए मैं विदेशी कंपनी में आवश्यकता धारिता को 50 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे इस लाभ को भी उसके हेतु भारतीय साझेदारी वाले संयुक्ता विदेशी उद्यमों को भी यह लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अन्य शब्दों में, अधिकार कराधान के कारण अभी जो धन बाहर से नहीं आ रहा है, वह आयेगा नि:संदेह ये विदेशी निवेशक नहीं बल्कि भारतीय निवेशक अपना धन वापस ला रहे, और इससे उन्हें जो विदेशों में निवेश कर रहे हैं और मदद मिलेगी।

कर्मचारी के लिए पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान कटौती का प्रावधान करने हेतु मैं धारा 40क (9) में परिणामी संशोधन का प्रस्ताव करता हूं ताकि उसके अंशदान हेतु नियोक्ता की कटौती को इस धारा के अंतर्गत नहीं छोड़ा जाए।

चूंकि 1 अप्रैल, 2005 के बाद निर्यात लाभ हेतु किसी कटौती की अनुमति नहीं है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त तारीख के बाद न्यूनतम वैकल्पिक कर वसूले जाने के उद्धेश्य से बुक प्राफिट की गणना करते समय ऐसे निर्यात लाभ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इन परिवर्तनों को लागू करने हेतु वित्त विधेयक में समुचित संशोधनों का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदया, वित्त विधेयक में सरकारी संशोधनों में अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में, मैं ऐसे मामलों में किसी वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने हेतु केंद्र सरकार को सक्षम बनाने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में नया उपबंध अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। अन्य संशोधन तकनीकी हैं और उनमें कोई बड़े परिवर्तन नहीं है।

सभा को स्मरण होगा कि एक विचार यह था जिसने अप्रत्यक्ष कराधान में मेरे प्रस्तावों को तैयार करने में मेरा मार्गदर्शन किया कि अनेक छूटों में कमी से शुरू करके वस्तु एवं सेवाकर के पारित होने के लिए आधार बनाना था। इसी पृष्ठ भूमि में वस्त्रों के ब्रांडेड गारमेंटस और तैयार वस्त्रों पर 10 प्रतिशत की अनिवार्य लेवी का प्रस्ताव था। मुझे इस आधार पर प्रस्ताव की समीक्षा हेतु बड़ी संख्या में अभ्यावेदन मिले हैं कि यह उद्योग अत्यधिक असंगठित इकाइयों के कारण अब भी बिखराव की स्थिति में है।

सुबह वित्त विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय मैं पहले ही इन उत्पादों पर कमी के स्तर में वृद्धि की घोषणा कर चुका हूं ताकि करों का कुल भार कम हो और लघु विनिर्माताओं को लाभ हो।

मैं एक बार पुन: इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इससे एसएसआई इकाई को कराधान से छूट मिलती रहेगी भले ही 2010-11 में खुदरा बिक्री मूल्यों के आधार पर उसका टर्नओवर 8.9 करोड़ रुपए रहा हो। अब मैं स्पष्टीकरणों के रूप में इस क्षेत्र को राहत देने के लिए कुछ अतिरिक्त उपायों का सुझाव देना चाहता हूं। दूसरे शब्दों में, रु. 75 लाख के खुदरा बिक्री मूल्य, जो प्रति वर्ष लगभग 8.9 करोड़ रुपए बनता है, वाली इकाई को छूट में वृद्धि करके कर भुगतान से छूट मिल जाएगी।

वस्त्र उद्योग द्वारा कहा गया है कि अक्सर ब्रांड मालिक, जो अपना उत्पादन छोटी इकाइयों से कराते हैं, उनके सामने खुदरा बिक्री मूल्य का खुलासा नहीं करते हैं। चूंकि शुल्क का भुगतान आरएसपी से संबंधित मूल्य पर किया जाता है, इससे छोटे विनिर्माताओं को कठिनाई होती है। ऐसे विनिर्माताओं द्वारा उस थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क भुगतान करने के लिए, जिस मूल्य पर में ब्रांड मालिक को बिक्री करते है, एक उपबंध तैयार किया जा रहा है। ब्रांड मालिक जब और जैसे भी तैयार वस्त्र अथवा परिधान पर खुदरा बिक्री मूल्य लगाते हैं, तो उसे अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा।

वस्त्र और परिधान उद्योग में बिना बिके माल की वापसी की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। ऐसी वस्तुओं पर दोहरे भुगतान के भार से बचने के लिए, मैं पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में इकाई की बिक्री के मूल्य के 10 प्रतिशत वापसी को उत्पाद शुल्क से छूट का सुझाव देता हूं। वापस की गई ऐसी वस्तुओं की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। उसका अर्थ है कि उत्पाद शुल्क निरीक्षक परेशान नहीं कर सकेंगे। निरीक्षण शाखा की वापसी नहीं होगी।

उद्योग द्वारा उठाई गई शंकाओं और प्रश्नों की जांच की गई है। इन पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को पुनः बताना चाहता हूं कि बिना ब्रांड की वस्तुओं पर यह शुल्क लागू नहीं है, यह एक खुदरा उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार तैयार की गई वस्तुओं पर लागू नहीं होता; एसएसआई छूट का स्वयं लघु विनिर्माता की नामधारक वस्तुओं अथवा उसके ब्रांड के अंतर्गत बेची जाने वाली वस्तुओं पर उपलब्ध है; और मुख्यतः निर्यात करने वाली और घरेलू बाजार में ब्रांड-रहित अथवा स्वयं अपने ब्रांड के नाम से वस्तुएं बेचने वाली इकाइयों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया उपलब्ध है।

एक अन्य मुद्दा जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार उठाया गया था वह कच्चे रेशम (उल्टा बटा हुआ नहीं) पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत यथा मूल्य शुल्क से घटाकर 5 प्रतिशत यथा मूल्य शुल्क करना। श्री देवगौड़ा जी ने आज भी व्यवधान में यह बात कही थी। अब, हम समस्या पर नजर डालते हैं। बुनाई उद्योग के लिए कच्चे रेशम की कुल आवश्यकता लगभग 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। देशभर में, हमारा कुल उत्पादन लगभग 20,000 मीट्रिक टन है। इस प्रकार, 10,000 मीट्रिक टन का अंतर है। इस अंतर के कारण, मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई और समूचे उत्तर भारत और देश के अन्य भागों में बुनकरों को कठिनाई हो रही थी। अतः, यह निर्णय लिया गया था कि हम आयात शुल्क में कमी कर देंगे ताकि आयात सस्ता हो सके और जैसे ही हमारी आवश्यकता पूरी होगी- घरेलू उत्पादन और आयातित सामग्री - जो मांग के बराबर हो जाएगी, शुल्कों में वृद्धि अथवा कमी करके कभी भी समायोजित किया जा सकता है। मुझे विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि आयात शुल्क में यह कमी अनिश्चितकाल के लिए है। यह उस अंतर को पाटने के लिए है। यदि हम उस अंतर को नहीं पाटेंगे तो बुनकरों को कठिनाई होगी और जो वस्तुतः उन्हें हो भी रही थी।

इस संबंध में, मैं उस राहत योजना को दोहराना नहीं चाहता जिसकी घोषणा मैंने अपने बजट भाषण में की है।

मैं माननीय सदस्यों को एक बार पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि वर्षभर यह मुद्दा हमारा ध्यान आकर्षित करता रहेगा और शुल्कों को समायोजित करके इसका समाधान किया जाएगा ताकि देश के बुनकरों को कच्चा रेशम (उल्टा बटा हुआ नहीं) उपलब्ध हो सके।

130 मदों पर एक प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं इनमें से अनेक मदों के लिए आरएसपी आधारित मूल्यांकन के साथ 35 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव करता हूं ताकि मूल्यांकन संबंधी विवादों से बचा जा सके। मैं राहत उपाय के रूप में इन मदों के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न किसी भी कचरे, कबाड़, कतरन आदि के लिए भी छूट का प्रस्ताव करता हूं।

अनन्य रूप से इन मदों के करदाता विनिर्माताओं के लिए एक सरलीकृत व्यवस्था प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रियागत छूटें दी जा रही हैं।

(i) नया पंजीकरण कराने वालों के लिए परिसर का भौतिक निरीक्षण आवश्यक नहीं होगा।

(ii) एसएसआई इकाइयों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के दौरे की अनुमति केवल विधिवत रूप से प्राधिकृत करने के बाद ही दी जाएगी।

(iii) उन्हें केवल त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होगी।

(iv) एक सरलीकृत रिटर्न प्रारूप निर्धारित किया जाएगा।

घरेलू उद्योग से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के पश्चात् घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित राहतों का प्रस्ताव करता हूं:-

(i) वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा आयातित कंप्यूटर प्रिंटरों के सभी पुर्जों के लिए पांच प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती दरों का विस्तार;

(ii) व्यक्तिगत कंप्यूटरों के सात निर्दिष्ट पुर्जों को विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट;

(iii) सौर सेलों और माड्यूलों के विनिर्माण के लिए आयातित सिलिकान वेफरों पर उत्पादन शुल्क और सीबीडी से पूर्ण छूट की बहाली। मुझे आशा है कि गैर-परंपरागत ऊर्जा के प्रभारी मंत्री को कुछ खुशी होगी।

(iv) लोहा अथवा इस्पात विनिर्माण के लिए आयातित कतिपय प्रकार के 'कोकिंग' कोयले को सीमा शुल्क से छूट देना।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

(v) सेल्युलर फोन सहित मोबाइल हैंडसेट पर पहले से ही लागू एक प्रतिशत एनसीसीडी के अलावा एक प्रतिशत शर्तरहित उत्पादन शुल्क और सीबीडी निर्धारित करना; और

(vi) वाहनों के विनिर्माण हेतु प्री-असेंबल्ड इंजन, गियर बाक्स अथवा ट्रांसमिशन असेंबली वाली सी.के.डी. किट्स पर आधारभूत सीमाशुल्क का 60 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना।

इन परिवर्तनों को लागू करने हेतु अधिसूचना यथा समय जारी कर दी जाएगी और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सेवाकर के बारे में मैं घोषणा अस्पतालों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और नैदानिक परीक्षण दोनों ही मामलों में सेवाओं पर नए कर से पूरी तरह छूट देने के अपने निर्णय के बारे में आज सुबह ही घोषणा कर चुका हूं।

कराधान नियम 1 अप्रैल 2011 से लागू होने हैं- यह प्रक्रिया का भाग हैं- और यह प्रोद्भवन आधार की दिशा में केवल नकदी से सेवा कर के भुगतान को अंतरित करने के लिए है। ये परिवर्तन वस्तुओं और सेवाओं के बीच करों के भुगतान को संबद्ध करने के लिए अत्यावश्यक हैं। अनेक करदाताओं ने कुछ उपबंधों के बारे में चिंता जताई है और अपने सॉफ्टवेयर में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए कुछ समय भी मांगा है। तदनुसार, प्रासंगिक उपबंधों में कतिपय परिवर्तन किए जा रहे हैं और परिवर्तन करने के लिए 30 जून, 2011 तक तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। परामर्श की प्रक्रिया को पूरा करने के तुरंत बाद इन परिवर्तनों की अधिसूचना जारी की जाएगी।

अध्यक्ष महोदया, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है कि माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित सामान्य प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा परंतु मेरे बजटीय प्रस्ताव में मुख्यत: जोर इस बात पर था कि मेरे तीन उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य विकास को बनाए रखना और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव को रोकना ऐसा करने के लिए, एक तरफ मुझे आपूर्ति की स्थिति में सुधार करना और अधिकांश कृषि उत्पादों पर आपूर्ति के गतिरोध को हटाना था जो कि डब्लूपीआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में मुद्रास्फीति दबाव का कारण था। लगभग 18 महीनों में हमने कतिपय कदम उठाए और इन कदमों के परिणाम आने लगे हैं। मैं अपने साथी कृषि मंत्रियों के योगदान की सरहाना करूंगा।

मैं यह दर्शाने के लिए केवल एक उदाहरण दूंगा जबकि वर्ष 2009 में दक्षिण-पश्चिम में मानसून न आने पर सूखा कम करने के प्रयासों से हमें किस प्रकार मदद मिली। हमने देखा है कि जब बड़े पैमाने पर सूखा आता है तो कृषि विकास में कमी आ जाती है। यह वर्ष 2002-03 में घटकर 7.02 की सीमा तक घट गया था। परंतु खरीफ फसल के 15 मिलियन टन तक घट जाने के बावजूद भी हमारे देश के किसानों और संप्रग सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों के चलाते। हम वर्ष 2009-10 की संपूर्ण कृषि विकास को 0.2 प्रतिशत की सकरात्मक दर तक रख पाता।

इसका कुल प्रभाव क्या रहा है? दालों का उत्पादन 17 लाख टन बढ़ा हैं, तिलहन उत्पादन 16 लाख टन तक बढ़ा है; गन्ने का अधिकतम् उत्पादन 70 मिलियम टन था; और कपास का उत्पादन 95 लाख गटठे तक बढ़ा था। यह शब्द जाए मांग नहीं है। ऐसा वास्तव में हुआ है और हम अभी भी इसे जारी रखे हुए हैं। मैंने बजट प्रस्तावों में भी इस संबंध में काफी कार्य किया है और अपने बजट भाषण में भी इसका विस्तार से उल्लेख किया है।

माननीय सदस्य श्री दारा सिंह चौहान ने टिप्पणियां करते समय बिल्कुल सही कहा कि एक क्षेत्र जो हमारे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर असर डाल रहा है वह है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कई आंकड़े सामने आ रहे हैं। यदि हम तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को लें, मेरे पास आंकड़े हैं और बड़ी संख्या में ऐसे राज्य है जहां यह संख्या बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए ये राज्य ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ हैं। उत्तर प्रदेश (ग्रामीण) में भी 42.7% से ऊपर है; और उत्तर प्रदेश (शहरी) में यह 34.1 प्रतिशत है। यदि आप इस संख्या को ले तो यह संख्या पर्याप्त है।

गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों की समस्या का निवारण करने के लिए लक्षित समूहों हेतु निर्धारित कार्यक्रमों तक कैसे पहुंचा जाए? यूआईडी और आधार को अपनी भूमिका अदा करनी है। हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। आधार केवल एक संख्या नहीं है। इसे वास्तव में अगले अक्तूबर से प्रति दिन कार्यान्वित किया

जा रहा है। वे प्रति दिन दस लाख संख्या प्रदान करेंगे। मैंने जो संख्या दी थी वह 28 फरवरी के अनुसार थी जिससे मैंने शुरूआत की थी। इसलिए, इस संख्या से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से दिए जा रहे लाभों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

जहां तक विकास परिव्यय का संबंध है, यदि आप संपूर्ण बजटीय प्रक्रिया पर नजर डालें तो ग्रामीण अवसंरचना सहित अवसंरचना पर 48 प्रतिशत धनराशि खर्च की गई है। एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। जब तक कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करते और ग्रामीण जनसंख्या के बड़े भाग की क्रयशक्ति और उपभोग क्षमता को नहीं बढ़ाते तब तक औद्योगिक और विनिर्माण विकास नहीं किया जा सकता। ये सभी योजनाएं इसी कार्य के लिए है।

आप कृषि ऋण में वृद्धि की बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब संप्रग ने सत्ता संभाली तो उस समय कृषि ऋण लगभग 86000 करोड़ रुपये था। इस वर्ष के बजट में हमने 4,75,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यह पिछले सभी आंकड़ों से अधिक होगा। केवल ऐसा नहीं है कि वे बहुत बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और वर्ष 2008-09 हेतु ऋण मूल्य मैं लघु और सीमांत किसानों का भाग क्रमश: 53.8 प्रतिशत और 54.5 प्रतिशत था। यह वर्ष 2009-10 में 59 प्रतिशत और 30.8 प्रतिशत था। यह वर्ष 2010-11 में फिर बढ़ना शुरू होगा, दिसंबर 2010 तक यह 60.7 प्रतिशत और 36.8 प्रतिशत था। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और उन्हें उपलब्ध ऋण की राशि दोनों के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। मैं इससे सहमत हूं कि आवश्यकता बहुत अधिक है और उपलब्ध कराने की क्षमता सीमित है। इसमें अंतर है और कभी-कभी आप यह कह सकते है कि वास्तविक आवश्यकता और वास्तविक कार्य-निष्पादन के बीच भारी अंतर है परंतु ऐसे में यह कहना सही नहीं है कि हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं।

हमें इसे रोकना होगा, राजकोषीय अनुशासन बहाल किए जाने की आवश्यकता है और राजकोषीय समेकन आवश्यक है। ऐसे अनेक सदस्य जिन्हें नब्बे के दशक के शुरूआती वर्षों का अनुभव है वे राजकोषीय स्थिति से पूर्णत: अवगत हैं। इतने बड़े देश को लगभग अपकीर्तिकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं परंतु यह जमीनी हकीकत थी। कुछ सौ मिलियन डालर उधार लेने के लिए हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। यह भारत जैसे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए, राजकोषीय समेकन आवश्यक है।

हम अपने संसाधनों से अधिक खर्चा नहीं कर सकते और हमने एक प्रयास किया है। आप कह सकते हैं कि यह अपेक्षाकृत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है परंतु मुझे भरोसा है कि हम इसको पूरा कर पाएंगे। पूर्व शासन काल में और संप्रग-I और संप्रग-II के बीच की इस अवधि के दौरान सरकार के कार्य-निष्पादन से - मैं आंकड़ों को उद्धृत नहीं करना चाहूंगा- प्रतिवर्ष हमारा राजस्व पूर्वानुमाम हमारे बजट प्रावकलन से अधिक रहा है और वर्ष 2008-09 को छोड़कर जो कि बहुत बुरा वर्ष था प्रतिवर्ष हम राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को नियंत्रित रखने में सफल रहे हैं और यह सुविचारित था। जनादेश प्राप्त करने के बाद अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय यहां खड़े होकर वर्ष 2009 में पूर्ण बजट प्रस्तुत करते समय, स्वयं मैंने कहा कि मैं जीडीपी 1,86,000 करोड़ रुपये के लगभग तीन प्रतिशत तक राजकोषीय अंतर का प्रोत्साहन पैकेज के रूप में पूर्णत: विस्तार कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जीडीपी को और कम होने से रोकने हेतु विकास की स्थिति को बनाए रखना चाहता हूं। हम जीडीपी की और कमी को रोकने में सफल रह हैं। हम राजकोषीय घाटे को 5.5 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत पर लाकर इस वर्ष के अंत तक राजकोषीय समेकन में सुधार कर पाए हैं। मैं यह आशा तो करता हूं कि हम ऐसा कर पाएंगे और आप सब के सहयोग से अगले वर्ष तक भी राजकोषीय घाटे को स्थिर रखना होगा और उस मार्ग पर वापस आना संभव होगा जैसे राजकोषीय घाटा 2.5 प्रतिशत के करीब होगा तथा राजकोषीय घाटा शून्य प्रतिशत होगा। और यही हमारा लक्ष्य है।

यहां, हमें राज्यों के साथ निकट सहयोग के साथ काम करना है क्योंकि हमारा संघीय ढांचा दोनों पक्षों के एक साथ चलने पर निर्भर है। यदि दोनों पक्ष एक ही गति से एक ही उद्देश्य के साथ नहीं चलते हैं तो समग्र सामाजिक आर्थिक बदलाव संभव नहीं होगा। संविधान के अंतर्गत प्रदत्त संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। मुझे आशा है कि यहां बैठे हमारे सभी साथियों के सामूहिक सहयोग से हम सबसे महत्वपूर्ण अत्यावश्यक संस्था अर्थात संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ कर पाएंगे। मुझे यह भी आशा है कि एमपीलैड को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करके मैं न केवल विकास सहायता में मदद करूंगा बल्कि संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने में भी मदद करूंगा। जहां वाद-विवाद, चर्चाएं और निर्णय लेने की प्रक्रियाएं होंगी।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

महोदया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अवसर देने के लिए में आपको धन्यवाद देता हूं। कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय 2011-12 के लिये केन्द्र सरकार के वित्तीय को लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिया गए।

नियम 80(1) के निलंबन के बारे में।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधयेक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 1* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधयेक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 1* को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 40 के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

'7क. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की धारा 40क उपधारा (9) में "खड (iv) के अधीन" शब्दों, का संशोधन कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "या खंड (ivक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2012 से अंत:स्थापित किए जाएंगे।' (1)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 16

नई धारा 115 खख घ का अंत:स्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 7, पंक्ति 31, "समनुषंगी" **के स्थान पर** "विनिर्दिष्ट" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (2)

पृष्ठ 7, पंक्ति 42, "समनुषंगी" **के स्थान पर** "विनिर्दिष्ट" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (3)

पृष्ठ 7, पंक्ति 43, "आधे से अधिक" **के स्थान पर** "छब्बीस प्रतिशत या उससे अधिक" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (4)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17

धारा 115 ञ ख का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 8, पंक्ति 1, "1 अप्रैल, 2012 से," का लोप करें। (5)

पृष्ठ 8, पंक्ति 2, "उपधारा (1) में, "के पश्चात्" 1 अप्रैल, 2012 से," अंत:स्थापित करें। (6)

पृष्ठ 8, पंक्ति के पश्चात्, अंत:स्थापित करें-

"(ङक) उपधारा (2) के पश्चात् स्पस्टीकरण 1 में खंड (iv), खंड (v) और खंड (vi) का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2005 से लोप किया गया समझा जाएगा।" (7)

पृष्ठ 8, पंक्ति 7 में, "परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा" **के स्थान पर** "परन्तुक, 1 अप्रैल, 2012 से अंत:स्थापित किया जाएगा," प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 38

धारा 18 का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 13, पंक्ति 13 "अंतिम रूप से निर्धारित" शब्दों **के स्थान पर** "अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारित या पुनर्निर्धारित" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएं। (9)

पृष्ठ 13, पंक्ति 15-16 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए-

(ख) उपधारा (2) में,-

(i) आरंभिक भाग में, "अंतिम रूप से निर्धारित" शब्दों **के पश्चात्**" या उचित अधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारित" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएंगे;

(ii) "अतिम रूप से निर्धारित" शब्दों **के स्थान पर** जहां-जहां वे आते हैं" अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारित या पुनर्निर्धारित" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएं;

(ग) उपधारा (3) में, "अंतिम निर्धारण आदेश" शब्दों **के पश्चात्** "या पुनर्निर्धारण आदेश" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएंगे;

(घ) उपधारा (4) में, "अंतिम रूप से निर्धारण" शब्दों **के पश्चात्**, "अंतिम रूप से, यथास्थिति, निर्धारण या शुल्क के पुनर्निर्धारण" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएं। (10)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाए।

खंड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40

धारा 27 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 29 "अंतिम निर्धारण" शब्दों **के स्थान पर** "यथास्थिति, अंतिम निर्धारण या पुनर्निर्धारण" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाए। (11)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41

धारा 28 के नई धारा का प्रतिस्थापना

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 15 पंक्ति 19:-

"मामलों के संबंध में" **के पश्चात्** "जहां करना संभव हो" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाए। (12)

पृष्ठ 15 पंक्ति 21,-

"मामलों के संबध में" **के पश्चात्** "यहां ऐसा करना संभव हो," शब्द **अंत:स्थापित** किया जाए। (13)

पृष्ठ 15, पंक्ति 25

"स्पष्टीकरण" **के स्थान पर** स्पष्टीकरण ।" **प्रतिस्थापित** किया जाएं। (14)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदया, वित्त विधेयक, 2011 के खंड 41 में संशोधन सं. 15 का प्रस्ताव करने से पूर्व, मुझे आपके विचारार्थ एक अनुरोध करना है। मेरे द्वारा सभा पटल रखे गए संशोधन संख्या 15 में व्याकरण संबंधी एक अशुद्धि है। मेरा आपसे अनुरोध है कि संशोधन सं. 15 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 15, पंक्ति 29 "अंतिम निर्धारण" शब्दों **के स्थान पर** "यथास्थिति, अंतिम निर्धारण या पुनर्निधारण" शब्द **अंत:स्थापित** किये जाएं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

पृष्ठ 15, पंक्ति 29 "अंतिम निर्धारण" शब्दों **के स्थान पर** "यथास्थिति, अंतिम निर्धारण या पुनर्निधारण" शब्द **अंत:स्थापित** किये जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधन किया गया।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 15, पंक्ति 32 के पश्चात्,

"**स्पष्टीकरण** 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व उद्ग्रहण न किया जाना, कम उद्ग्रहण किया जाना या भूल से प्रतिदाय किया जाना धारा 28 के उपबंधों द्वारा, जैसे वे उस तारीख से, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व विद्यमान थे, शासित होता रहेगा अंत:स्थापित किया जाए। (16)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 42 से 46 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधयेक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को

लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधयेक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 46क

धारा 114क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 26 के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाए-

46क सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114क में-

(क) ''धारा 28 की उपधारा (2)'' शब्दों अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''धारा 28 की उपधारा (8)'' शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ख) ''28 कख'' अंकों और अक्षरों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, ''28 क क'' अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाए। (17)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 46क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 46क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 से 54 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 55

धारा 3 का संशोधन

संशोधन किया गया : पृष्ठ 18, पंक्ति 4-5 में–

''शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''शब्द और अंक उस तारीख से रखे जाएंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अर्ध सूचना द्वारा नियत करे'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। (18)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि खंड 55, संशेधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधयेक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधयेक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 55क

धारा 9 का संशोधन

संशोधन किया गया : पृष्ठ 18, पंक्ति 5 के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाए-

55क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(क) जहां केंद्रीय सरकार की ऐसी जांच पर, जो वह आवश्यक समझे यह राय है कि उपधारा (i) के अधीन अधिरोपित प्रतिपालन शुल्क की, ऐसे प्रतिपादित शुल्क के अधीन वस्तु के वर्णन या नाम या संरचना में परिवर्तन करके या गैर-संशोधित रूप से ऐसी वस्तु का आयात करके या उसके मूल देश में परिवर्तन करके या निर्यात करके या किसी अन्य क्षति में की गई है, जिसके कारण इस प्रकार अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अप्रभावी हो गया है, तो वह ऐसी वस्तु या ऐसे देश में, यथास्थिति, मूल रूप से बनाई जाने वाली या उससे आयातित किसी वस्तु के संबंध में प्रतिपाटन शुल्क का विस्तार कर सकेगी।" (19)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 55क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 55क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 56 से 58 विधेयक में जोड़ दिए जाए।

खंड 59

धारा 4(क) का संशोधन

संशोधन किया गया : पृष्ठ 18 पंक्ति 28 में:-

"शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शब्द और अंक उस तारीख से रखे जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाए।" (20)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 59, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 59, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 60

धारा 11 क के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20 पंक्ति 2, "के संबंध में" के पश्चात् -

"जहां ऐसा करना संभव हो," अंत:स्थापित किया जाए।" (21)

पृष्ठ 20, पंक्ति 3, "के संबंध में" के पश्चात् -

"जहां ऐसा करना संभव हो," अत:स्थापित किया जाए।" (22)

पृष्ठ 20 पंक्ति 6,-

"अपील प्राधिकारी" के पश्चात्-

"या अधिकरण या न्यायालय" अंत:स्थापित किया जाए। (23)

पृष्ठ 20 पंक्ति 9 -

"अपील प्राधिकारी" के पश्चात् "या अधिकरण या न्यायालय" अत:स्थापित किया जाए। (24)

पृष्ठ 20, पंक्ति 11,-

"अपील प्राधिकारी" के पश्चात् "या अधिकरण या न्यायालय" अत:स्थापित किया जाए। (25)

पृष्ठ 20, पंक्ति 15 के पश्चात्, अंत:स्थापित किया जाए-

"(15) उपधारा (1) से उपधारा (14) के उपबंध जहां संदेय ब्याज का संदाय नहीं किया गया है या भागत: संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां यथावश्यक परिवर्तनों सहित ब्याज की वसूली को लागू होंगे।" (26)

पृष्ठ 20, पंक्ति 16 ''स्पष्टीकरण'' के स्थान पर ''स्पष्टीकरण 1'' प्रतिस्थापित किया जाए। (27)

पृष्ठ 20, पंक्ति 35 के पश्चात्, अंत:स्थापित किया जाए-

''**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पूर्व कोई उद्ग्रहण न किया जाना, कम उद्ग्रहण किया जाना, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय किया जाना, धारा 11क के उपबंधों द्वारा, जैसे वे उस तारीख से पूर्व विद्यमान थे, जिसको ऐसी अनुमति प्राप्त होती है, शासित होता रहेगा।''। (28)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि खंड 60, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 60, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 61 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 62

धारा 11 क ग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21, पंक्ति 30,-

''अपील प्राधिकारी'' के पश्चात् ''या अधिकरण या न्यायालय'' अंत:स्थापित किया जाए। (29)

पृष्ठ 21, पक्ति 40 ''अपील प्राधिकारी'' के ''पश्चात्'' या अधिकरण या न्यायालय अंत:स्थापित किया जाए। (30)

पृष्ठ 21, पक्ति 40 ''अपील प्राधिकारी'' के पश्चात् ''या अधिकरण या न्यायालय'' अंत:स्थापित किया जाए। (31)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 63 और 64 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 65

नई धारा 12च का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 8-9 में—

''अपर आयुक्त के पास यह विश्वास करने के क्या कारण है कि कोई दस्तावेज'' के स्थान पर ''अपर आयुक्त या ऐसे अन्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, यह विश्वास करने का कारण है कि अधिकरण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज'' प्रतिस्थापित किया जाए। (32)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि खंड 65, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 65, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 66 से 70 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 71

1994 की अधिनियम 32 का संशोधन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 24, 8 से 21 पंक्तियों का लोप किया जाए। (46)

पृष्ठ 24, पंक्ति 22 को लोप किया जाए। (47)

पृष्ठ 24, पंक्ति 24, में-

"25 (क.क)" के स्थान पर "(25 क)" प्रतिस्थापित किया जाए। (48)

वित्त मंत्री ने कतिपय प्रस्तावों का उल्लेख किया है तथा रखा हैं।

लेकिन जब तक 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क, जो रेडीमेड कपड़ों पर लगाया जा रहा है, को वापस नहीं लिया जाता, इससे देश के कम आय वर्ग के हजारों हजार लोगों के हितों को नुकसान होगा।

महोदया, उन्होंने कच्चे रेशम के आयात के मामले में आयात शुल्क को 30% से कम करके 5% तक करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है जो निश्चित रूप से लाखों रेशम कीट पालक किसानों के हितों को नुकशान पहुंचाएगा। इसलिए, मेरी मांग है कि दोनों प्रस्ताव वापस किए जाने चाहिए। रेडीमेड कपड़ों तथा होजियरी पर 10 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क वापस लिया जाना चाहिए। कच्चे रेशम के आयात पर इसे 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है और चाहे यह आयात चीन से हो या अमरीका से हो, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। लेकिन, रेशम कीट पालकों के हित में, आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से कम नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 46,47,48 को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

सभी संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 71 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 71, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 72 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 73

1955 की धारा 16 का संशोधन

संशोधन किया गया : पृष्ठ 29, पंक्ति 27 के स्थान पर, प्रतिस्थापित किया जाए-

'2009' शब्द और अंक उस तारीख से रखे जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।'। (33)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 73, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 73, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 74 से 76 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी से दसवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

ग्यारहवीं अनुसूची

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 101, पंक्ति 13 स्तंभ (4), "नहीं" **के स्थान पर** "5%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (34)

पृष्ठ 101, पंक्ति 14 स्तंभ (4), "नहीं" **के स्थान पर** "5%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (35)

पृष्ठ 101, पंक्ति 15 स्तंभ (4), "नहीं" **के स्थान पर** "5%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (36)

पृष्ठ 103, पंक्ति 22 स्तंभ (4), "60%" **के स्थान पर** "40%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (37)

पृष्ठ 117, पंक्ति 29 स्तंभ (4), "16%" **के स्थान पर** "5%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (38)

पृष्ठ 117, पंक्ति 30 स्तंभ (4), "16%" **के स्थान पर** "5%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (39)

पृष्ठ 117, पंक्ति 41 स्तंभ (4), "16%" **के स्थान पर** "5%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (40)

पृष्ठ 117, पंक्ति 32 स्तंभ (4), "16%" **के स्थान पर** "5%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (41)

पृष्ठ 117, पंक्ति 33 स्तंभ (4), "16%" **के स्थान पर** "5%" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (42)

(श्री प्रणब मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि ग्यारहवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ग्यारहवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

बारहवीं और तेरहवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदया अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित कर दिया जाए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा 'शून्यकाल' की कार्रवाई शुरू करेगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मैं आपकी वसातब से सरकार की तवज्जह जम्मू में होम गार्ड वालंटियर्स जो पिछले पांच साल से धरने पर बैठे हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। महीने में 15 दिन दिए जाते हैं और 60 रुपये टोटल रोजगार मिलते हैं जो उनके साथ बड़ी बेइंसाफी है।...*(व्यवधान)* मैं सरकार से दुआ करना चाहता हूं कि वह अपनी तरफ से और रियासते जम्मू कश्मीर सरकार को हिदायत करे कि उनके मसले को सुना जाए और फौरी तौर पर सुलझाया जाए ताकि वे लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक ढंग से करें। उन्हें परेशानी और दिक्कत आ रही है, वहां और यहां की सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। मैं कहूंगा कि उनके इन मामलों को हमदर्दाना तौर से देखा जाए और सुलझाया जाए।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। देश में कृषि का अहम योगदान है फिर भी हमारे देश में कृषि और किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। भले ही अब तक सरकारों ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उपायों की झड़ी लगा दी हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि कृषि विकास दर बढ़ने के बजाए 0.2 प्रतिशत घट रही है। लगातार बढ़ती आबादी और औद्योगीकरण के विस्तार के चलते कृषि योग्य जमीन घटने से यह संकट दिनों-दिन बढ़ रहा है। पिछले दो दशकों, खासकर उदारीकरण के दौरान आर्थिक सुधारों के नशे में कृषि क्षेत्र की जमकर उपेक्षा हुई है। आजादी के समय जहां देश की लगभग 70-75 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका खेती पर निर्भर थी, वह अब घटकर 52 प्रतिशत हो गई है। सचमुच अपने देश में कृषि परिदृश्य और अन्य उत्पादन प्राकृतिक आपदा से निपटने में सक्षम हैं फिर भी 26 करोड़ आबादी एक वक्त भूखे सोने पर मजबूर है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत के पास दुनिया की कुल 2.4 प्रतिशत जमीन है जबकि दुनिया की आबादी का करीब 18 प्रतिशत हिस्सा आबादी भारत में रहती है। हमारे

[श्री रामकिशुन]

यहां प्रति व्यक्ति 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि है जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 11 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप भारत में ज्यादा होता है। जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों से हमारी हालत खराब हो रही है। अधिक औद्योगीकरण और विशेष इकोनॉमिक जोन अन्य बहुत से अनुपयुक्त कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी, जो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है, उसके आसपास के किसानों की उपजाऊ दो-तीन फसली बेशकीमती जमीनों का औने-पौने दाम पर लगातार अधिग्रहण हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट नगर, मोहन सराय के करनाड़ाणी, मिलकीचक के किसानों की 214 एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है। यहां के किसानों का लगातार धरना और प्रदर्शन हो रहा है।

अपराह्न 5.59 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना पीठासीन हुए)

यह हालत है कि सथवां सीवर ट्रीटमैंट प्लांट के नाम पर आधे से ज्यादा गांवों के किसानों की 100 एकड़ जमीन ली जा रही है। यही हालत विकास प्राधिकरण, वाराणसी की है। आवासीय कालोनी के नाम पर वाराणसी के आसपास के लगभग 400 किसानों की जमीन ली जा रही है।...*(व्यवधान)* इसलिए लगातार देश के किसानों की जमीन जो अधिग्रहण की जा रही है, उससे कृषि क्षेत्र घटता जा रहा है। कृषि पैदावार घट रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भूमि अधिग्रहण का संशोधन कानून जो सरकार लाने जा रही है, उसे जल्दी लाए।

सायं 6.00 बजे

देश में किसानों की जमीन का जो लगातार अधिग्रहण हो रहा है, उसे रोका जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा 'शून्यकाल' तक सभा का समय बढ़ाएगी?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : 'शून्य काल' के समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज में उत्तराखंड राज्य की उपेक्षा किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, 7 जनवरी, 2003 को केन्द्र में एनडीए की सरकार द्वारा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी थी। यह पैकेज घोषणा की दिनांक से आगामी दस वर्षों अर्थात 6 जनवरी, 2013 तक के लिए घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान की गयी थीं - एक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से दस वर्ष तक के लिए शत-प्रतिशत छूट। दो, आयकर में प्रथम पांच वर्ष के लिए 100 प्रतिशत एवं अगले पांच वर्ष के लिए कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत की छूट। तीन, प्लांट एवं मशीनरी में अचल पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत तथा अधिकतम 30 लाख रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी।

महोदय, केन्द्र में यूपीए सरकार आने के बाद दिनांक 9 जुलाई, 2004 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट के लिए इस पैकेज की सीमा घटाकर 31 मार्च, 2007 कर दी गयी। फिर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने इस सीमा को दिनांक 31 मार्च, 2010 तक के लिए बढ़ाया है, जो वर्तमान में लागू है अर्थात मात्र उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा जो दिनांक 31 मार्च, 2010 तक अपना उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार विगत लगभग चार वर्षों से निरंतर भारत सरकार से अनुरोध कर रही है कि इस पैकेज की मूल रूप से घोषित

समय-सीमा अर्थात मार्च, 2013 को यथावत रखते हुए उत्तराखंड राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए लागू पैकेज की तर्ज पर वर्ष 2020 तक बढ़ाया जाए। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिल चुके हैं, परन्तु भारत सरकार द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि देश में जीएसटी प्रस्तावित होने के कारण इस प्रकार की छूट दिया जाना उपयुक्त नहीं है, दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विशेष पैकेज वर्ष 2017 तक लागू है। इस प्रकार उत्तराखंड को इससे वंचित करना विभेदकारी है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने एवं पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की गयी, परन्तु केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट का लाभ नई इकाइयों को न मिलने से इस नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा राज्य में निवेश प्रभावित हुआ है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि इस पैकेज को वर्ष 2020 तक बढ़ाया जाए ताकि उत्तराखंड राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिल सके। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज) : महोदय, सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल, गोरखपुर की टर्मिनल बिल्डिग तीन कमरे की ही है। वहां यात्रियों के बैठने के लिए मात्र 18 व्यक्तियों के बैठने का स्थान बना है जबकि प्रतिदिन वहां 100 से अधिक यात्री आते-जाते हैं। वीआईपी रूम न के समान है, कमरे की सफाई भी ठीक से नहीं होती है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों को चाय-पानी मिलना भी कठिन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि यात्रियों के हित में उक्त भवन का विस्तार कराते हुए वहां एक कैंटीन की भी व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

प्रो. रामशंकर (आगरा) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, आगरा में पानी की बड़ी भारी समस्या है और उसके कारण कई प्रकार की समस्याओं से वहां की जनता लंबे समय से परेशान है। वहां 400 वर्ष पूर्व पानी के आलोक में जिस ताजमहल का निर्माण हुआ था, यमुना में पानी न होने के कारण ताजमहल के नींव में लगी लकड़ी सिकुड़ रही है। वहां एक सर्वे हुआ है जिसकी रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल की मीनारों के झुकने का खतरा निरंतर बढ़ रहा है। निरंतर यमुना सूखी रहने के कारण यमुना की बालू और गंदगी वहां जमा हो जाती है और जमा हुई रेत के गर्मी में उड़ने से ताजमहल की चमक धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि आगरा शहर के गंदे नाले जाकर यमुना में मिलते हैं, जिसके कारण सिल्ट जमा हो जाती है। जो लोग यमुना किनारे स्थित ताजमहल को देखने आते हैं, उन्हें यमुना से काफी बदबू आती है, जिससे वे लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि यमुना पर जब से गोकुल-मथुरा का बैराज बना है, तब से आगरा में यमुना में पानी की मात्रा काफी कम हो गई है और जो पानी है, वह खारा हो गया है। आगरा के लोगों की लम्बे समय से मांग है कि वहां पर एक बैराज बनाया जाए। उस बैराज के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी ने इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन अभी तक बैराज नहीं बना। आगरा में गंदा पानी पीने के कारण लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं। आगरा की 70 प्रतिशत जनता बदबूदार और गंदा पानी पीने को मजबूर है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां पर बैराज का निर्माण कराया जाए, जिससे जनता की लम्बे समय से चली आ रही समस्या दूर हो सके और साथ ही ताजमहल का संरक्षण हो सके।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.) : सभापति महोदय, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोलकाता से कश्मीर तक राष्ट्रीय एकता की यात्रा देश के युवाओं में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुरू की थी। कश्मीर की समस्या को लेकर इस यात्रा की शुरूआत की गई थी। यह यात्रा 12 राज्यों से होकर शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी थी, जिसने लगभग 3300 किलोमीटर का सफर तय किया था। हमने अलगाववाद को चुनौती दी और यह संदेश देने का प्रयास किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। चुनौती अलगाववादियों को थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने अलगाववाद के सामने घुटने टेक दिए। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से इस यात्रा को 12 राज्यों से निकाला गया और हमने लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने की ठानी थी। लेकिन जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने हमें हिरासत में लिया, 50,000 से ज्यादा नौजवान जम्मू-कश्मीर की सीमा पर मेरे साथ थे। पुलिस ने 500 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस तरह

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

से लाल चौक पर जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने व्यवहार किया, अत्याचार किया गया, युवाओं पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया। वहां पर प्रदेश की पुलिस द्वारा तिरंगे को फाड़ा गया। कई युवाओं के हाथ तोड़ दिए गए। क्या आजाद भारत में अपने देश के किसी कोने में तिरंगा फहराना अपराध है? लोक सभा और राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष को 26 जनवरी के दिन गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। मुझे और मेरे साथी अनंत कुमार जी को जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उस दिन कठुआ की जेल में रखा गया। क्या इस देश में तिरंगा फहराना एक अपराध है? मैं यह सवाल केन्द्र सरकार से करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन युवाओं ने अलगाववाद को चुनौती दी, लाल चौक पर पुलिस ने जो पुलिसिए जुल्म किए, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया, क्या उसके खिलाफ केन्द्र सरकार ने कोई कार्रवाई की? क्या उसके बाद कोई उचित कदम केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया? क्या वह यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से नहीं थी, क्योंकि 12 राज्यों में, जहां से होकर यह यात्रा निकली, एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी? फिर क्या कारण था कि नेता प्रतिपक्ष लोक सभा और राज्य सभा को भी जेल में रखा गया? क्या कारण था कि हमें तिरंगा फहराने से रोका गया? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस देश भावना को युवाओं में जागृत करना भी कोई अपराध था? हिन्दुस्तान की फौज पर जो पथराव की घटनाएं हुई, 2500 पुलिसकर्मी घायल हुए, उनका हाल किसी ने आजतक पूछा है? आज देश की सीमा पार से उन नौजवानों को देश के अंदर बुलाया जा रहा है, जो आतंकवादी बनने चले गए थे। उन लोगों को दो-दो लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। लेकिन जिन स्पेशनल पुलिस अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर में रहकर आतंकवाद का सामना किया, उन्हें एक वर्ष से तनख्वाह नहीं दी गई है। क्या इन सवालों का जवाब केन्द्र सरकार में कोई दे पाएगा।

मैं आज यहां केवल इसलिए खड़ा हुआ हूं कि जम्मू-कश्मीर में जो तिरंगे का अपमान हुआ, वह किसी और ने, अलगाववाद ने नहीं किया, अपने देश की और जम्मू-कश्मीर की सरकार ने किया है। इसलिए मुझे पीड़ा होती है कि आज का युवा पीड़ित है कि अपने देश में तिरंगा नहीं फहरा पाता। उस कश्मीर के लिए हजारों नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उन युवाओं का क्या होगा, जिनके हाथ-पैर तोड़ दिए गए? क्या उस घटना पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई टिप्पणी की जाएगी? सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में अब कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री गणेश सिंह ने स्वयं को अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध किया है।

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम) : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम जो संतोष जनक नहीं है, के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आंध्र प्रदेश की मिथियास नामक एक निजी कंपनी इस योजना के अंतर्गत मेरे चुनाव क्षेत्र में 2942 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य कर रही है। लेकिन यह गंभीर चिंता का विषय है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कंपनी ने मेरे चुनाव क्षेत्र में केवल 210 गांवों में विद्युतीकरण का काम पूरा किया है अर्थात इस कार्य के लिए दी गई। अवधि में उसने केवल 7 प्रतिशत कार्यपूरा किया है। इस पिछड़े क्षेत्र के हजारों परिवार बिजली नहीं होने के कारण परेशानी झेल रहे हैं। इस क्षेत्र में बिजली नहीं होने के कारण न तो कोई बड़ा उद्योग न ही लघु उद्योग स्थापित किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि यह कंपनी इस क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, इस समस्या में तत्काल समाधान तथा इस क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक विकास में, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : सभापति महोदय, भारत के कुल नमक उत्पादन में गुजरात राज्य का 70 प्रतिशत हिस्सा है। उसमें कच्छ विस्तार उल्लेखनीय है। कच्छ विस्तार से 15 नमक रिफाइनियों द्वारा 30 लाख मैट्रिक टन रिफाइन्ड नमक का उत्पादन होता है। खाद्य एवं चीनी के वहन हेतु पर्याप्त रेक उपलब्ध कराए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गये हैं जबकि नमक के लोडिंग हेतु वेगनों का आबंटन अल्प, अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप लोडिंग साइट पर नमक का जत्था पड़ा रहता है तथा नमक खराब हो जाता है जिससे नमक न्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होता है।

20 लाख मैट्रिक टन नमक उत्पादन के लिए हर माह 100 रेकों की आवश्यकता होती है जिसके सामने केवल 10 से 12 रेक ही आबंटित किये जाते हैं। अत: नमक उत्पादन एवं रेक आबंटन असंतुलित है। पिछले 50 वर्षों से नमक उद्योग रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है फिर भी यही हालत है।

गुजरात सरकार एवं गुजरात के सांसदों ने केन्द्र सरकार से उपरोक्त मामले में अनुरोध किया है फिर भी स्थिति यथावत है।

अत: मैं सरकार से आग्रह और अनुरोध करती हूं कि कम से कम 70 रेक (वेगन) हर महीने नमक के वहन हेतु आबंटित किये जाएं।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी) : महोदय, मैं इस पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों, विशेषकर उन मुस्लिम हज तीर्थ यात्रियों की समस्या की ओर जो तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, की समस्याओं की ओर इस सम्मानीय सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह योजना पासपोर्ट के लिए इच्छुक लोगों को शीघ्र पासपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। लेकिन आवेदको को एक महीने के बाद भी पासपोर्ट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस योजना को 'तत्काल' योजना नहीं कहा जा सकता।...*(व्यवधान)* पासपोर्ट आवेदक को केन्द्र सरकार के अवर सचिव या इससे उपर के किसी अधिकारी से हस्ताक्षर कराने होते हैं जबकि राज्य सरकार में किसी निदेशक या इसके उपर के रैंक के अधिकारी से हस्ताक्षर कराने होते है। किसी आम आवेदक, विशेषकर किसी बुजुर्ग मुस्लिम के लिए इस प्रकार के हस्ताक्षर प्राप्त करना मुश्किल होता है। आमतौर पर हज यात्रा पर जाने वाले लोग 50 या 60 वर्ष के उम्र के होते हैं। बूढ़े लोगों की अक्सर दाढ़ी होती है। जब ऐसे दाढ़ी वाले लोग किसी आई.ए.एस. या आई.पी.एस. के पास हस्ताक्षर के लिए जाते है तो ये अधिकारी हस्ताक्षर करने से डरते हैं। इसलिए, माननीय विदेश मंत्री मेरा अनुरोध तथा सुझाव है कि तत्काल पासपोर्ट जारी करने के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र को स्थानीय सांसद द्वारा सत्यापित करने की अनुमति दी जाए। संसद सदस्य भी जिम्मेदार और समान रूप से जवाबदेह होते हैं।

[अनुवाद]

मैं विदेश मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल योजना की निगरानी करे ताकि उसे सच्ची भावना के साथ कार्यान्वित किया जा सके। चूंकि तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने में विलंब हो रहा है इसलिए इसे बंद किया जाना चाहिए अथवा पासपोर्ट पांच दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों और खासतौर से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले वे इस यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को पासपोर्ट जारी कर रहे थे। इसे जारी रखा जाए। यह केवल हज के लिए वैध था। इसे जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें हस्ताक्षर कराने के लिए इधर से उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री बोचा झांसी लक्ष्मी और डॉ. प्रभा किशोर ताविआड को श्री आसन रशीद द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के लोकसभा और राज्य सभा के सांसदों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इस मामले को लेकर गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह किया था। मैं एक ऐसा ही मामला सदन में उठाना चाहता हूं।

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को जो दस कोल ब्लाक्स अलाट किए थे, उनमें से सात कोल ब्लाक्स मध्य प्रदेश में हैं और तीन छत्तीसगढ़ में हैं। मध्य प्रदेश द्वारा खनिज निगम के खनन के लिए संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी का चयन कर भारत सरकार के पास सभी आवश्यक अनुमतियों के लिए प्रेषित कर दिया है। मारेगा नम्बर-1 कोल ब्लाक के लिए कोरबा का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी का चयन

[श्री गणेश सिंह]

नहीं किया जा सका। शेष 9 ब्लाक्स में से भारत सरकार ने तीन कोल ब्लाक्स का कोल थर्मल पावर प्लांट के लिए उपयोग में लाने का निर्देश दिया है। इसमें भी एक कोल ब्लाक जिसमें अभी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी है, इस ब्लाक के अंतर्गत डोगरीताल कोल ब्लॉक जिसके माइनिंग प्लान को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। शेष 6 कोल ब्लाक में से तीन कोल ब्लाक वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नो-गो एरिया में हैं, शेष तीन कोल ब्लाक्स में कार्य प्रारंभ हेतु भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इन ब्लाकों से जो कोयला निकलेगा, उसे स्टील एवं सीमेंट प्लांटों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयला नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने दस कोल ब्लाक मध्य प्रदेश को दे दिए हैं, यह तो यही कहावत हो गई- एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से वापस लेना।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिन कोल ब्लाक में कार्य प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है, उन्हें तत्काल अनुमति दें, तथा जिन ब्लाकों में थर्मल पावरों को कोयला न देने का प्रतिबंध लगाया गया है, उन पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश दें।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ लगातार जो भेदभाव हो रहा है, उस पर रोक लगायी जाए। किसानों की फसलों को पाले से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, पाले को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए एवं नई फसल बीमा योजना बनायी जाए।...*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर) : महोदय, अगर किसी आदमी के नाम से कहीं फर्जी बैंक खाता, मोबाइल सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड यह सब मिल जाए तो इसमें चौंकाने की बात नहीं, मगर यह सब उसकी जानकारी में नहीं होना चाहिए, जिसके नाम पर यह फर्जी डाक्यूमेंट्स तैयार हुए हों, यह बहुत ही बड़ी समस्या का विषय है। इसकी प्रबल संभावनाएं डी.डी.ए. की हाउसिंग स्कीम में आवेदन करने वाले आवेदकों के दस्तावेजों से है, जो कि असफल आवेदकों को वापस नहीं किए जाते और रद्दी में बेचने के लिए बाहर बोरियों में भरकर रख दिए जाते हैं, इनमें उन आवेदकों की फोटो, पैन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगी होती है, जिनके उपयोग से कोई भी धोखाधड़ी निर्दोष व्यक्तियों के साथ हो सकती है। डी.डी.ए. को यह भूल नहीं करनी चाहिए। इसी मसले पर पूर्व में भी कई बार आवाज उठ चुकी है। उसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तथा अब भी डी.डी.ए. के हेड क्वार्टर पर यह दस्तावेज बिखरे पड़े हैं। कोई भी इन्हें उठाकर इनका मिसयूज कर सकता है तथा उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, जिनके दस्तावेजों से कोई फर्जीवाड़ा कर दें।

अत: जनहित में मेरी मांग है कि जब डी.डी.ए. द्वारा असफल आवेदकों के चेक वापस डाक या कुरियर द्वारा भेज सकता है तो इतने कीमती दस्तावेज भी उसी के साथ वापस भेजे जाने चाहिए ताकि निर्दोष व्यक्ति को किसी भी परेशानी से बचाया जा सके।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : आपने हाउस का बायकाट किया था।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : मंत्री जी, फाइनेंस बिल का बायकाट किया था। मैंने आपसे पूछा था, तब आपने कहा कि जीरो आवर में आ जाइएगा। अब मैं जीरो आवर में बोलने के लिए आ गया हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपेया परेशान मत कीजिए। श्री मेघवाल, मैं आपको समय दे चुका हूं। आपका नाम चला गया था।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, इसी हाउस में यह चर्चा हुई थी कि एससीएसटी पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और दो दिन तक यह चर्चा हुई। मैं आपको नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकार्ड के जो आंकड़े बताने वाला हूं, ये चौंकाने वाले हैं कि चर्चा होने के बावजूद भी क्राइम बढ़ रहे हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। यू.पी. के बाद राजस्थान एससीएसटी पर अत्याचार के संबंध में द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अलवर जिले में तिजारा तहसील है, वहां एक हुसेपुरा गांव है, वहां पर एक घटना घटी कि एक बकरी को लेकर झगड़ा हुआ। वहां 25 परिवार एससी के रहते हैं, उन 25 परिवारों को रिएक्शन में उनके घरों को जला दिया गया। उनके जो कुएं थे, उनको नष्ट कर दिया गया और जितनी फसल थी, उसको काट दिया गया। जो 60 भैंस थीं, उनको चोरी कर लिया गया और उनके घर में कोई भी सामान नहीं छोड़ा। सारे घर का सामान तोड़ दिया गया, पंखा तोड़ दिया गया, कुर्सिया तोड़ दी गईं। यानी एक छोटी सी घटना को लेकर इतना रिएक्शन किया गया। मैंने इसकी शिकायत ह्यूमन राइट्स कमीशन को की। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वहां विजिट किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति आयोग को भी वहां विजिट करना चाहिए था। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है, वह संबंधित एमपी को मिलनी चाहिए। मेरी शिकायत पर ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां गया और उनका कहना है कि हम रिपोर्ट को सीक्रेट रखेंगे। हमारा कहना है कि रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि एससीएसटी पर अत्याचार के संबंध में दो एक्ट्स हैं, लॉ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं, *[अनुवाद]* सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार विवरण) अधिनियम 1989। *[हिन्दी]* इन एक्ट में भी संशोधन करने की जरूरत है क्योंकि इसमें गवाह लेने का जो प्रोसीजरल कॉमप्लीकेशन दिया हुआ है, उसके कारण जो एससीएसटी पर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनकी कंवेंशन रेट है, माननीय मंत्री जी को शायद ध्यान होगा, इस देश में 27.2 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, इसीलिए इन दोनों एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए और अनुसूचित जाति आयोग को भी वहां जाना चाहिए। जो आरटीआई एक्टीविस्ट बाड़मेर में था, उसके ऊपर भी चोट हुई है। हमारे भरतपुर में भी उनके झोंपड़े जला दिये गये हैं। ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल) : सभापति महोदया, मैं एक बहुत ही पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र से चुनकर आई हूं। वहां की एक बहुत ही विकराल समस्या है जो मैं यहां आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहती हूं। निश्चित ही मेरा क्षेत्र कृषि पर आधारित है। किसान वहां पर दिन रात मेहनत करता है लेकिन बदले में उसे अपने परिवार को पालने में भी दो समय का भोजन जुटा पाने में वह असमर्थ रहता है। किसान को अनेक संसाधन तो हैं। हमारे पास पांच बड़ी नदियां हैं। ताप्ती वहां से निकलती है और 29 बार उन आदिवासी अंचलों को पार करते हुए वह गुजरात को जाती है। लेकिन गुजरात आज कितना खुशहाल है, यह बात पूरा देश जानता है। लेकिन जिस ताप्ती का उद्गम स्थल मेरे संसदीय क्षेत्र में उस आदिवासी बहुल में है लेकिन आज भी वह इतना पिछड़ा हुआ है कि जहां कोई उद्योग नहीं है। उस पानी से कितने बड़े बड़े प्रदेश हैं जो आज खुशहाल हैं और देश और दुनिया में अनेक बेरोजगारों को जिन्दा रख रहे हैं। लेकिन वहां का किसान आज भी भूखा है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है और आज जब मेरी यह बात जीरो ऑवर में सुनी जा रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस माध्यम से मैं उनकी बातों को रखूंगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन बड़ी बड़ी नदियों पर किसानों के लिए बांध बनाये जाएं। उसका जो रेवेन्यू मिल रहा है, वह उस जिले को मिले। मेरे जिले का पानी महाराष्ट्र को जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों खुशहाल हैं लेकिन हम क्यों गरीब हैं? आज हमारा बेतूल जिला क्यों गरीब है? आज वहां रोजगार क्यों नहीं है? आज वहां किसान क्यों जिंदा नहीं है? क्या कारण है कि 63 साल के बाद भी किसान को उस जिले का पानी और वह चीज नहीं मिल रही है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योति धुर्वे : केंद्र सरकार, यूपीए सरकार इस जिले पर ध्यान दे, इस जिले को गोद ले ताकि वहां के किसान जिंदा हों, बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिलाओं को सशक्त करें। वहां की युवा पीढ़ी का सपना है और वह देख रही है कि शायद उन्हें भी अपना सपना साकार करने का मौका मिलेगा। मैं आपसे विश्वास लेकर जा रही हूं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह जिला खुशहाल होगा। यहां बड़ी परियोजनाएं लगेंगी, बड़े उद्योगों का निर्माण होगा। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र को दिलासा देना चाहूंगी और मुझे विश्वास है कि यह हमें मिलेगा। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यह इश्यू कई दिनों से जीरो आवर में लगा रहा था और आज मुझे मौका मिला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस इश्यू को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन, एक कार्यक्रम चला है कि हमारे पुराने बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी में क्रांतिकारी तरीके से काम किया है, उनके नाम पर जो इंस्टीट्यूशन थे, उनके नाम को बदल पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर बदलने का क्रम शुरू किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला में शिलारू ऐसा स्थान है, श्री वीरभद्र सिंह जी यहां बैठे हैं, जो पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. आरुन रशीद (थेनी) : महोदय, यह क्या है?...*(व्यवधान)* जनता ने सरकार से कहा कि संस्था का नाम श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा जाए...*(व्यवधान)* श्री राजीव गांधी इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री थे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप : आप मेरी बात सुन लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि श्री वीरभद्र सिंह जी भी उसी जिले से आते हैं, हिमाचल प्रदेश के कई वर्ष मुख्य मंत्री रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिलारू स्थान पर आल्टीटयू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सैंटर है। उसका नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आल्टीटयूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया था। कई वर्षों से यह नाम चल रहा था लेकिन पिछले दिनों श्री गिल, खेल मंत्री थे, वे हिमाचल प्रदेश में गए। वहां उद्घाटन किया और इसके बाद नाम बदलकर राजीव गांधी आल्टीटयूड ट्रेनिंग सैंटर रख दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप : महोदय, कभी बराबरी नहीं हो सकती है। वीरभद्र सिंह जी यहां बैठे हैं, वे केंद्रीय मंत्री हैं, मेरी मांग है कि हम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और राजीव गांधी जी को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेताजी ने अंग्रेजों के दांत यहां से खट्टे करवाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इसे बंद कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं अपने आपको इस मुद्दे के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, मैं अपने आपको इस मुद्दे के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, मैं अपने आपको इस मुद्दे के साथ संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री आप क्या कह रहे हैं?

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वी. नारायणसामी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त, श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधान मंत्री थे। वह इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब मैं श्री के.डी. देशमुख को बुलाता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : श्री देशमुख, कृपया अपना भाषण शुरू कीजिए। और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? श्री देशमुख, कृपया शुरू कीजिए।

[हिन्दी]

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और 80 परसेंट आबादी गांवों में रहती है। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्ज में डूब गया है। फसल नष्ट होने, प्राकृतिक आपदा ओला और पाला जैसी घटनाओं से किसान परेशान है, हताश है। देश में बढ़ती कमर तोड़ महंगाई, बिजली, पानी, डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी और औजार आदि सामानों में अप्रत्याशित वृद्धि जारी है। बढ़ती महंगाई में लागत के मुकाबले किसानों के द्वारा उपजाई गई खरीफ फसलों के उचित समर्थन मूल्य में वृद्धि किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। देश में हर वस्तु के मूल्य में काफी वृद्धि हो चुकी है। परंतु केवल किसानों के द्वारा उपजाई गई उपज के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण पूरे देश के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में तथा किसानों के हित में आगामी समय में देश में धान की फसल का उचित समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और मैं समझता हूं कि धान का समर्थन मूल्य कम से कम दो हजार रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की माननीया रेल मंत्री के ध्यान में इस सदन के माननीय 545 माननीय सदस्यों की एक पीड़ा और इस देश की एक अरब बीस करोड़ जनता को पीड़ा को लाना चाहता हूं। आज पूरे देश में रेलवे आरक्षण केन्द्र में बैठे कर्मचारियों द्वारा अपने मोबाइल पर बात करते रहने के कारण काउंटर पर बहुत भीड़ लगी रहती है और लोग लम्बी लाइनों में खड़े रहते हैं। जिससे आम आदमी को रेल यात्रा की टिकट लेने में बहुत असुविधा होती है।

महोदय, इस संसद परिसर में भी माननीय सांसदों के लिए एक आरक्षण केन्द्र खोला गया है। लेकिन उसका समय सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक है। मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि इस केंद्र का समय सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक किया जाए। इसके अलावा माननीय रेल मंत्री जी ने माननीय सदस्यों के पत्रों पर आम आदमियों के लिए सवारी गाड़ियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की है। लेकिन रेल भवन में बैठे कर्मचारी दलालों के चलते इस सदन के सदस्यों द्वारा जो आरक्षण हेतु पत्र दिये जाते हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है और दलालों के पत्रों पर खुलेआम लूट हो रही है। जिसके कारण माननीय सदस्यों के प्रिविलेज का निश्चित तौर पर हनन हो रहा है और आम जनता जो दिल्ली आकर अपना इलाज कराना चाहती है, उसे इलाज के लिए जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसे रेलगाड़ियों में जो आरक्षण मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के समय मोबाइल पर बात करने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि आम लोगों को लम्बी लाइनों में खड़े रहने की जरूरत न पड़े और सांसदों के पत्रों पर प्राथमिकता पर आरक्षण दिया जाए। यही मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पानी की कमी महसूस कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व बैंक की प्राथमिकता भी वर्षा के पानी को सहेजना और रोकना है। ऐसी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नारायण सिंह अमलाबे]

स्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के अंतर्गत सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2007 में कीटखेड़ी तालाब विकास खंड सुसनेर में एक लघु परियोजना स्वीकृत हुई थी, जिसकी राशि 1974 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भी दि, 7 अगस्त, 2007 को मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन उक्त तालाब का कार्य आज की तारीख तक शासन की लापरवाही के कारण प्रारंभ नहीं हुआ है। मेरे द्वारा इस संबंध में विभाग से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि इस तालाब की अद्यतन लागत राशि 4548.43 लाख रुपये होने के कारण इस योजना को अधिक लागत वाली योजना बताकर विलोपित करने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

महोदय, समय पर कार्य प्रारंभ न होने के कारण उक्त योजना की अद्यतन लागत बढ़ी है, मात्र यह कारण बताकर इस योजना का विलोपन करना मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ एक तरह से अन्याय होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन को यथोचित निर्देश दे कि उक्त कीटखेड़ी तालाब लघु सिंचाई परियोजना को निरंतर जारी रखे और शीघ्रता से इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.35 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 23 मार्च, 2011/ चैत्र, 1933 (शक) पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

©2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।